छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

षोडश सत्र

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023

(चैत्र 01, शक सम्वत् 1945)

[अंक 13]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023

(चैत्र 01 , शक् संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

<u>बधाई/शुभकामना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज हिन्दू नववर्ष का प्रथम दिन है । चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो रही है । साथ ही गुड़ी पड़वा भी है ।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश वासियों के साथ-साथ आप सभी को हिन्दू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पड़वा की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

इस शुभ अवसर पर सभी की खुशहाली की कामना करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्य महोदय, आज नवरात्रि का पहला दिन है । सदन के सभी सदस्यों को हिन्दू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभ्कामनाएं । आज विश्व जल दिवस भी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बीच की लाईन के पूरे मंत्री नवरात्रि मनाने महामाया गए हैं । कौन सी कामना से गए हैं, उन लोगों को कोई खतरा तो नहीं है ? रोज छप रहा है कि मोहन मरकाम जी विदा हो रहे हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, नवरात्र की सबको बहुत बहुत बधाई और माता के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं कि अगली बार संख्या इसी प्रकार बनी रहे । माता के चरणों में यही प्रार्थना है ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं मा दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि 2023 के चुनाव में आप वही दिखलाई दें और हम लोग यहां दिखें और बघेल जी मुख्यमंत्री जी के रूप में आसीन दिखें ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जल जीवन मिशन के तहत जिला रायपुर में बजट आबंटन तथा जारी कार्यादेश

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 1687) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जिला रायपुर हेतु कितनी राशि का बजट आबंटन किया गया? इनमे से कितनी राशि के वर्क आर्डर जारी किये गए थे? विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** क्या जारी किये गए कितने वर्क आर्डर निरस्त किये गए? यदि हां तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :(क) जिलेवार बजट आबंटन जारी नहीं होता अपितु व्यय हेतु आहरण सीमा जारी की जाती है। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में रू. 8324.00 लाख और वर्ष 2022-23 में (फरवरी 2023 तक) रू.17539.60 लाख राशि का आहरण सीमा जारी किया गया। राशि रू.46533.55 लाख के वर्क आर्डर जारी किये गये। विधानसभावार कार्यादेश की जानकारी **संलग्न [1]प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जी हां,निरस्त का कारण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय :- आज नवरात्रि है और माता जी का ही पहला प्रश्न लगा है, अच्छे से पूछिये ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवरात्रि पत्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब आ गया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे ठेकेदार जो काम को आधा-अधूरा छोड़कर चले गए हैं । ऐसे ठेकेदारों की राशि राजसात की गई है । मैं निवेदन करती हूं कि भविष्य में ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके सबक सिखाया जाए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से भी सबको नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई । सम्माननीय विधायक जी, तीनों ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है । आगे भी कोई भी ठेकेदार लापरवाही करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत मुरेठी और ग्राम पंचायत छपोरा जहां पानी की बहुत ज्यादा समस्या है । वहां पाईप लाईन का काम इनके द्वारा किया गया है लेकिन

[1] परिशिष्ट "एक"

टंकी का काम नहीं हुआ है । इसलिए जल्द से जल्द इसको करवाएं । वैसे ही छड़िया और नहरडीह में दो जगहों पर और है, इसलिए आपसे निवेदन चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदयय :- धन्यवाद् ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, वैसे दो प्रकार की योजनाएं होती हैं । एक जिसमें पानी टंकी के जरिये घर घर पानी सप्लाई किया जाता है और दूसरा स्पॉट सोर्स । लेकिन आपकी जो चिंता है उसको मैं दिखवा लूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें ।

<u>रायुपर में सी मार्ट का संचालन एवं व्यय राशि</u>

[ग्रामोद्योग]

2. (*क्र. 1504) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में आज दिनांक की स्थिति में कुल कितने सी मार्ट खुल चुके हैं एवम् कितने और खोले जाने की तैयारी है ? ये कहां-कहां खोले जायेंगे एवम् इनको खोले जाने में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि रायपुर जिले में सुभाष स्टेडियम तथा नालंदा परिसर में संचालित सी मार्ट का संचालन अवनी आयुर्वेदा प्रा. लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ हर्बल, घड़ी चौक, रायपुर नामक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवम् इन्हें ही रायपुर में अग्रसेन चौक भेसथान में खोले जाने वाले तीसरे सी मार्ट की भी जिम्मेदारी सौप दी गई है? **(ग)** प्रश्ननांक "ख" में उल्लेखित दोनो सी मार्ट में एवम खोले जाने वाले तीसरे सी मार्ट में कुल कितनी राशि की सामग्री शासन द्वारा क्रय की गई अथवा संचालन करने वाली निजी संस्था द्वारा ?आज दिनांक की स्थिति में यह लाभ में है अथवा हानि में ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :(क) प्रदेश में आज दिनांक की स्थिति में 35 सी मार्ट खोले जा चुके है एवं 01 सीमार्ट अग्रसेन भैसथान चौक रायपुर में खोला जा रहा है जिसका आरंभ नही हुआहै। सी मार्ट अग्रसेन भैसथान चौक रायपुर में खोले जाने वाले तथा पूर्व में रायपुरस्थित सी मार्ट में अब तक व्यय की गई राशि की जानकारी **संलग्न[2] प्रपत्र अ**अनुसार है।**(ख)** जी हां**(ग)** प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित दोनों सी मार्ट में एवं खोले जाने वाले तीसरे सी मार्टमें कुल कितनी राशि का सामग्री शासन द्वारा क्रय की गई अथवा संचालन करनेवाली निजी संस्था द्वारा तथा आज दिनांक की स्थिति में यह लाभ में है अथवाहानि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है।

---

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि रायपुर में सी-मार्ट का संचालन एवं व्यय राशि । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि रायपुर में दो खुल चुके और एक खुलने वाले सी-मार्ट में अब तक विभाग द्वारा कुल जमा साढ़े 28 लाख की खरीदी की गई है । जिसमें 20 लाख, 75 हजार की सामग्री छत्तीसगढ़ से की गई है जो कि इस मार्ट को संचालित करने वाली संस्था की ही सहयोगी है । क्या सी-मार्ट में खरीदी के नियम बनाए गए हैं ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर । सी-मार्ट का संचालन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है । इसके नियम बने हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या कहा, आपने समझ लिया ना ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी । एक प्रश्न और है । मंत्री जी दो सी-मार्ट पहले से खुल चुके हैं । वहां पर पहले से खुले हुए, वहां पिछले 8-10 माह में महिला स्व-सहायता समूह को 60 हजार का लाभ हुआ है । कृपया इसकी अच्छी मार्केटिंग करने का कष्ट करेंगे । जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को ज्यादा लाभ हो सके । ऐसा आप प्रयास करेंगे क्या ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर । सी-मार्ट का उद्देश्य ही है कि महिला स्व-सहायता समूह और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को मार्ट के द्वारा बेचा जाए । निश्चित तौर पर आपकी जो चिंता है उसको देख लेंगे । श्री कुलदीप जुनेजा :- धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- मोहित राम जी । शायद आपका पहला प्रश्न लगा है । ज़रा जमकर पूछिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मोहित राम जी। शायद आपका पहला प्रश्न लगा है। जरा जमकर पूछिएगा।

<u>वन मण्डल कटघोरा अंतर्गत जनहानि,जनघायल पशुहानि, फसलहानि प्रकरणों में मुआवजा भुगतान</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (*क्र. 1276) श्री मोहित राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वनमण्डल कटघोरा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15.2.2023 तक हाथियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि, फसलहानि के कितने प्रकरण मुआवजा राशि भुगतान हेतु लंबित हैं? **(ख)** लंबित मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावितों को कब तक हो जायेगा? **(ग)** क्या मुआवजा राशियों में बढोत्तरी प्रस्तावित है? यदि हॉ तो कब तक बढ़ोत्तरी की जायेगी।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मोहित राम :- अध्यक्ष महोदय, नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आपने मेरे प्रश्न को बहुत मुश्किल से लाने की कृपा की है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न हाथियों से जनहानि और मृत्यु के संबंध में है। मेरे विधान सभा में अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह दुखद घटना है और इसमें लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात में निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेस्क्यू सेंटर के लिए दो स्थान दिए हैं। मेरा विशेष निवेदन है कि वह दो जगह से पर्याप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है और वह पसान दाई मातिन का मुर्गा बेल्ट है, यह छूट गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाने की कृपा करिए। मैंने आखिरी में एक और निवेदन किया था, जो प्रश्न 'ग' में है। क्या मुआवजा राशियों में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है ? यदि हां तो कब तक बढ़ोत्तरी की जायेगी। इसमें जवाब यह आया है कि यह प्रस्तावित नहीं है। मेरा निवेदन यह था कि मैं मुआवजा बढ़ोत्तरी की इसलिए मांग कर रहा था कि जिस मकान को हाथी तोड़ते हैं, उसमें 5 फीट या 4 फीट के हिस्से को तोड़ते हैं, जब दीवार को तोड़ते हैं तो पूरा खपरा नीचे गिर जाता है। हमारे फारेस्ट विभाग के अधिकारी के द्वारा उनका जो नियम बना हुआ है, जो मापदंड है, उसके हिसाब से स्क्वेयर फीट में नापकर उनको मुआवजा राशि देते हैं। वह राशि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं मौके पर जाकर देखता हूं तो उस घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है तो मेरा निवेदन था कि मुआवजा राशियों में बढोत्तरी करिए। साथ ही, मैं यह कहूंगा कि जो मृत्यु राशि है, वह वर्तमान में हमारी सरकार ने 6 लाख रूपये बढ़ाकर दे रही है, इसके लिए भी निवेदन कर रहा था, यह राशि भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुखिया की मृत्यु होने के बाद उस घर में अंधेरा हो जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था बच्चों की शिक्षा दीक्षा चरमरा जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन था।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदू नववर्ष के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय :- Thank you.

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है। पहले जनहानि पर चार लाख रूपये मुआवजा दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 6 लाख रूपये किया गया है। लेकिन मकान के संबंध में जिस प्रकार से माननीय सदस्य की चिंता है तो मैं इसमें विचार करवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहेंगे ? आपके यहां हाथी से 6 लोग मरे हैं।

श्री मोहित राम :- 5 मृत्यु हाथी से हुई है, एक मृत्यु सुअर के साथ महिला की घटना हुई थी, इसमें सुअर और महिला दोनों साथ में मर गयी थी।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने हाथी मरे हैं ? एकाध हाथी मरा है।

श्री मोहित राम :- एक हाथी गचोटिया के पास बनिया पंचायत में मरा था, जो हाथी का बच्चा था, वह खेत के दलदल में फंस गया था, उससे मरा था। ऐसी शिकार से नहीं मरा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। धर्मजीत जी।

<u>अचानकमार टाइगर रिजर्व हेतु ग्राम खुड़िया में प्रवेश द्वार खोला जाना</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 1591) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि मुंगेली जिला अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिजर्व अवस्थित है? **(ख)** क्या कंडिका "क" के टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार ग्राम खुड़िया में खोला जाना प्रस्तावित है? हां तो कब तक खोला जाएगा, नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) अचानकमार टायगर रिजर्व मुंगेली तथा बिलासपुर जिला अंतर्गत अवस्थित है।**(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता, आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं तो दुर्गा के वाहन शेर के टाइगर रिवर्ज के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब है, वह बहुत हास्यास्पद जवाब है। मैंने यह पूछा कि टाइगर रिवर्ज का गेट खुड़िया में खोलेंगे क्या ? जी नहीं। टाइगर रिजर्व अचानकमार मुंगेली जिले में है तो आपने कह दिया कि बिलासपुर जिले में है, वह मुंगेली जिले में है। बिलासपुर जिले में शिवतराई के पास सिर्फ रिसार्ट बस है, बाकी 95 प्रतिशत एरिया मुंगेली जिले में है। उस टाइगर रिजर्व में प्रवेश का कोई द्वार भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि खुड़िया पर्यटन स्थल है, अगर आप वहां एक गेट खोल देते तो कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं होती और लोगों को आवागमन और टाइगर रिजर्व में घूमने का लुफ्त भी उठाने का मौका मिलता। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, आवश्यकता नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है ? खुड़िया में गेट खोलने की आवश्यकता क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय :- अब उसको रिकवेस्ट कर लीजिए ना खोला जाए करके, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मत खोलिए लेकिन मेरे को जानकारी तो दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली तथा बिलासपुर जिला अंतर्गत अवस्थित है, यह उत्तर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भाग बिलासपुर जिले में है

तो उसको छोड़कर उत्तर नहीं दिया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि आपने जो खुड़िया में गेट के बारे में बात कही है। इसके बारे में पर्यटक मार्ग के नियंत्रण हेतु भारत सरकार एन.टी.सी.ए. द्वारा जारी पत्र एफ.एन.-15-15-2021, एन.टी.सी.ए. के दिनांक 15.02.2022 के बिंदु क्रमांक 2 में यह निर्देश दिया गया था कि पर्यटक मार्ग में पर्यटक वाहन की आवाजाही एकतरफा होनी चाहिए क्योंकि खुड़िया पर्यटक मार्ग के प्रस्ताव में वाहनों की आवाजाही दोतरफा प्रस्तावित होने के कारण उस प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- केन्द्र से नहीं किया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं केन्द्र का ही समझ लेता हूं। आज जरा मुझे समझाइये कि क्या दोतरफा वाहन क्या है? मैं इसको नहीं समझ पाया। आपने उस आदेश को पढ़ा, मैं उसको समझ गया कि वह भारत सरकार का ओदश है। आप मुझे सरल भाषा में समझाइये कि खुड़िया में क्या समस्या आ रही है जिसके कारण वहां पर गेट नहीं खुलेगा ? मुझे क्रमांक से मतलब नहीं हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुड़िया से शुरू होकर जमुनाही, भुरकुण्ड तालाब, कंचनपुर, लोरमी होते हुए वापस खुड़िया पहुंचाने के मार्ग की संभावना पर विचार करने पर यह ज्ञात हुआ हुआ इस मार्ग की कुल लंबाई 48 किलोमीटर में से लगभग 10 किलोमीटर का भाग टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर आता है और बाकी 38 किलोमीटर का भाग टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर आता है। अत: यह संभावना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि लोरमी बफर में कोई पर्यटक मार्ग स्थापित करने की संभावना प्रतीत नहीं होती है अत: खुड़िया में प्रवेश द्वार खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बता दीजिए कि खुड़िया के पास ऐसा कौन सा गांव है जहां पर टाइगर रिजर्व का गेट खुल सकता है और जो उसके कोर जोन में है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा स्थल को नहीं देखा गया है। इनका प्रश्न यह था कि खुड़िया में प्रवेश द्वार खुलेगा या नहीं तो भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिली है इसलिए नहीं खुल पाएगा। मैं आपसे यह निवदेन करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के अधिकारी केन्द्र सरकार की आड़ लेकर अचानकमार टाइगर रिजर्व (खुड़िया) का जितना दमन हो सकता है, करते हैं। न तो आप वहां पर काम होने देते हैं और न आपने वहां पर जो मिट्टी का वनमार्ग बनना है उसको भी 4 साल में नहीं बनाया है। आपने 4 साल में 1 इंच भी वनमार्ग नहीं बनाया है। आप वहां के लोगों को रोजगार भी नहीं देते हैं। हम यह चाहते हैं कि खुड़िया में टाइगर रिजर्व का एक गेट खुले। जब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में खटिया, मुक्की और सरही में गेट हैं तो खुड़िया में एक गेट खोल देने से भारत सरकार के कौन से कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी ? यदि आप खुड़िया में गेट नहीं खोल सकते हैं तो आप कोर जोन के गांव में गेट खोलिये। वहां पर जमुनाही, जकड़बांधा, बीजरा, सलगी, मजूरहा और दुनिया भर के गांव हैं

और वहां तक रोड बनी हुई है तो आप कहीं पर तो गेट खोलिये। ताकि लोगों को वहां पर आवागमन के लिए साधन उपलब्ध हो। वहां पर आपके टाइगर रिजर्व का अमल रहेगा। वहां तो शिकार भी हो रहा है और अवैध जानवर मारे जा रहे हैं। कोई जानवर करेंट से मारा जाता है तो कहीं कुछ हो रहा है। आपको वहां पर गेट खोलने में क्या तकलीफ है ? इससे वहां के जानवरों की भी रक्षा होगी। बिलासपुर जिले के लोग वहां पर घुम-फिर लेंगे। आप मुझे आश्वस्त कर दीजिए। मान लीजिए कि खुड़िया में भारत सरकार के कानून का उल्लंघन हो रहा है और आप भारत सरकार के कानून का अक्षरश: पालन करते हैं जो कि कई वाहनों में नहीं होता है। आप मुझे यह बता दीजिए कि यदि खुड़िया में नहीं तो क्या आप जमुनाही में खोलेंगे, जमुनाही में नहीं तो क्या जकड़बांधा में खालेंगे, जकड़बांधा में नहीं तो क्या बीजरा में खालेंगे, बीजरा में नहीं तो क्या मजूरहा में खोलेंगे और मजूरहा में नहीं तो क्या सलगी में खोलेंगे ? ये सब बॉर्डर के गांव हैं और वह लोग भी बफर जोन का अभिशाप भुगतते हैं तो वहां पर उनको सुविधा पाने का हक है। आप कायदे-कानून की आड़ लेकर मत बचिये और इसको कर दीजिए। भारत सरकार ऐसा नहीं कह रहा है आप वहां पर टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए गेट नहीं खोल सकते। उससे क्या फर्क पड़ता है ? यदि वहां पर टूरिजम का गेट खुलेगा तो वह आपके नियम-कायदे और नियंत्रण में खुलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या आप खुड़िया के अलावा कहीं आजू-बाजू में गेट खोलने पर विचार कर सकते हैं और क्या उसके लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। धरमलाल कौशिक जी।

<u>वन वृत्त बिलासपुर अंतर्गत अनियमितता व भ्रष्टाचार</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 1619) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के आदेश पर अक्टूबर, 2021 में आमागुडा, भालुमुडा एवं परिक्षेत्र बेलगेहना के अंतर्गत अनियमितता एवं अन्य के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था तथा मार्च, 2022 में उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा के द्वारा जांच प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर को प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां तो उक्त जांच में कौन दोषी पाया गया व क्या अनियमितता पाई गई ? **(ख)** क्या यह सही है कि विधानसभा में मंत्री जी द्वारा इस प्रकरण में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित व नोटिस देने की घोषणा की थी ?यदि हां तो किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया व नोटिस दिया गया तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हॉ। जांच में श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी बेलगहना, श्री सेवक राम बैगा, उप वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक टेंगनमाड़ा, श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बेलगहना, श्री हितकुमार ध्रुव, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक नवागांव, श्री मुलेश कुमार जोशी वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक छुईया दोषी पाये गये थे। पाई गई अनियमितताओं का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ में है। (ख)** जी हॉ। विवरण **संलग्न प्रपत्र[3] - ब में है।**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसको मंत्री जी ने स्वीकार किया और उसको स्वीकार करके नीचे के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके उनको निलंबित किया गया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो भुगतान किया गया है उसमें भुगतान के पूर्व उसके निरीक्षण करने और लेखा देखने की जवाबदारी किस अधिकारी की होती है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब कार्य परिक्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत होते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मैंने आपसे यह पूछा है कि इसकी जवाबदारी किस अधिकारी की होती है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर)।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अंतिम भुगतान किया गया है और आपके फॉरेस्ट विभाग के जो नियम हैं, उसके अनुसार नीचे के अधिकारी का दायित्व नहीं है । अंतिम जो है, वह अंतिम है । भुगतान के पूर्व वन मण्डलाधिकारी समस्त कार्यों का माप करे अथवा निरीक्षण करे । सही भुगतान का अंतिम उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा । यह आपके छत्तीसगढ़ वन वित्तीय नियम के खण्ड 1 के नियम 4 के उपनियम 6 में है । मै आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें डी.एफ.ओ. के द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके कारण पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो इसके लिए आप डी.एफ.ओ. के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की कार्यवाही सम्पन्न हुई है और जांच की कार्यवाही में जिनके-जिनके विरूद्ध कार्यवाही हुई है और जो दोषी पाये गए हैं, उनके नाम हैं-श्री विजय कुमार साहू, वन क्षेत्रपाल, श्री सेवकराम बैगा, उप वनक्षेत्रपाल, श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल, श्री हितकुमार ध्रुव, वनरक्षक,श्री मुलेश कुमार जोशी, वनरक्षक । इन सभी कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में तो जानकारी है, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि आपने किसको निलंबित किया, कब निलंबित किया, वह प्रश्न मेरा नहीं है । मेरा प्रश्न

[3] परिशिष्ट "तीन"

यह है कि इसके लिए जवाबदार अधिकारी कौन है, वह आपने बता दिया । मैंने आपके वन विभाग के नियम और संहिता को पढ़कर बता दिया । आज ही के माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी के प्रश्न में आपने उसमें भी स्वीकार किया है कि उसके लिए अंतिम अधिकारी डी.एफ.ओ. है । मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि जितना घटनाक्रम हुआ और जो दोषी पाए गए, अंतिम भुगतान होने के पूर्व डी.एफ.ओ. का काम उसको चेक करना, उसका निरीक्षण करना, मौके पर जाना, लेकिन आपके डी.एफ.ओ. ने जो लापरवाही बरती है, उसके कारण सारी घटनाक्रम हुआ । मैं मांग करता हूं कि आप डी.एफ.ओ. को सस्पेंड करें और सस्पेंड करने के बाद में फिर उसमें आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मण्डलाधिकारी के द्वारा बहुत कार्य किया जाता है तो सभी कार्यों का निरीक्षण नहीं होता । नीचे के अधिकारी अपने स्तर पर जो काम करते हैं तो उसके स्तर पर जो भी बिल, वॉऊचर वगैरह जाता है, वह अंतिम भुगतान के लिए डी.एफ.ओ. के पास जाएगा, वह उसको अंतिम करेगा, लेकिन डी.एफ.ओ. की भूमिका क्या है, अगर उसकी भी कोई गलती है, यदि आप बोल रहे हैं तो मैं दिखवा लेता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवाने की बात नहीं है। एक चीज यह है कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवाने का मतलब जांच कराना है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा ठीक है, दिखवाने का मतलब जांच कराना है तो उसकी जांच होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवाने का मतलब जांच करा लेंगे और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्यवाही होगी, क्या दिक्कत है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है । मेरा दूसरा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब छोड़िए न, हो गया । वह सस्पेंड तो हो जाएगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा अंतिम प्रश्न । जो भुगतान नहीं हुआ है, उसमें एक डीजल का मामला है, वह मामला आपकी जांच में आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री जी का प्रश्न लगता है, वोरा जी बैठे हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही प्रश्न तो लगा है, बड़ी मुश्किल से ही लगता है । एक, डीजल का पेमेंट नहीं हुआ है । दूसरा, जांच में पाया गया है कि उसके जो प्रमाणक हैं, उस प्रमाणक को इन्होंने उपेन्द्र सिंह को भुगतान न करके उनके जो लेबर हैं, उसमें दूसरे को भुगतान हुआ और यह यह आपकी जांच में आया है । यह जो भुगतान की लंबित प्रक्रिया है, उसको आप कब तक करवा देंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जल्दी से जल्दी भुगतान करवा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- यथाशीघ्र ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है । आप टाईम लिमिट बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- यथाशीघ्र ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, आप यथाशीघ्र पर भी भरोसा करिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तीन महीने बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है । उसमें कोई भी तारीख बता दें । मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप आज भुगतान करवा दीजिए । आप तारीख बता दीजिए कि कब करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान से संबंधित जो मामला है, जिससे वसूल किया जाना है तो प्रारंभिक जांच में यह पता लग गया कि इससे वसूल किया जाना है, लेकिन उसकी विभागीय जांच चल रही है तो इसके कारण अब कितना समय लगेगा, उसमें तीन लोगों की तो कल ही सुनवाई होनी है इसलिए इसको यथाशीघ्र कर देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, आप यथाशीघ्र मत बोलिए, आप कोई भी तारीख बता दीजिए । आपने उनको दो महीने में बहाल कर दिया । मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने उसको विधान सभा में सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद में आपने बाहर जाकर उसको बहाल कर दिया । उसको बहाल करने की क्या इमरजेंसी थी, वह मुझे नहीं मालूम, मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता । इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको कब तक सुनिश्चित कर देंगे, यह ठीक रहेगा ? आप सुनिश्चित कर दें, तीन महीना करें, दो महीना करें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- 6 महीने में कर देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यही तो चाहता हूं । आपको धन्यवाद ।

<u>प्रदेश में बिजली बिल भुगतान हेतु शेष राशि</u>

[ऊर्जा]

6. (*क्र. 1527) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितने बिजली उपभोक्ता है? पिछले 03 वित्तीय वर्षो के अंत में बिजली बिल की कितनी राशि भुगतान हेतु शेष थी? **(ख)** पिछले 03 वित्तीय वर्षो के अंत में छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कुल कितनी राशि के बिजली बिल कितने सरकारी विभागों एवं कितने नगरीय निकायों के द्वारा भुगतान हेतु शेष थी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विभिन्न श्रेणी के 61,24,576 विद्युत उपभोक्ता हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से राशि रूपये 3,042.10 करोड़ भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 3,921.88 करोड़ एवं 2021-22 में बढ़कर रूपये 4,298.71 करोड़ हो गई है।**(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में कुल 32 सरकारी विभागों (नगरीय निकायों को छोड़कर) पर राशि रूपये 386.02 करोड़ की राशि भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 675.15 करोड़ तथा 2021-22 में बढ़कर रूपये 628.03 करोड़ हो गई है।इसके अतिरिक्त 170 नगरीय निकायों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में राशि रूपये 172.85 करोड़ भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 426.44 करोड़ एवं 2021-22 में बढ़कर रूपये 473.67 करोड़ हो गई है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से जारी है। उन्होंने बिजली बिल हाफ करके जो कार्य किया है, आम जनता को जो राहत पहुंचाई है, मैं उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्या है, यह पूछ लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरूण जी, सुबह-सुबह टिकट की गारंटी मिल गई है क्या ?

श्री अरूण वोरा :- क्या मिल गई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सुबह-सुबह टिकट की गारंटी मिल गई है क्या ?

श्री अरूण वोरा :- टिकट का क्या है, हम लोग टिकट के लिए थोड़ी ही काम करते हैं। हम तो श्रद्धा से काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वेरी गुड।

श्री अरूण वोरा :- हमारे मन में श्रद्धा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो-तीन लोग ऐसे हैं, जिनका पट्टा लिखाया हुआ है। उनके लिए कोई खतरा नहीं है। इनका टिकट कोई नहीं काट सकता।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब दुर्गा मां की कृपा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका और अमितेश जी का टिकट कौन काट सकता है ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाईन बोलूंगा। एक ही प्रश्न करूंगा, ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- उसी को करिये, बोल रहा हूं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाईन आगे यह भी बोलना चाह रहा था कि 4 वर्षों में सर्वहारा वर्ग के लिए जो कार्य किया है, हिन्दुस्तान के इतिहास में उनका नाम हमेशा

अविस्मरणीय रहेगा। मैं अब प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जो 13 नगरीय निकाय हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें से कितनी संस्थाओं ने अभी तक बिजली का बिल नहीं पटाया है ? यदि बिजली का बिल नहीं पटाया है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय का मार्च, 2022 तक 473.67 करोड़ रूपये का बिजली बिल बकाया है। वर्ष 2022-23 में जनवरी, 2023 तक वह 537.67 करोड़ रूपय बिजली बिल बकाया है। चूंकि पिछले दो-तीन वर्षों में कोरोना के कारण से यह स्थिति आई कि जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, शासकीय विभाग हैं, उनसे बकाया राशि की वसूली में शिथिलता आई है। चूंकि कोरोना काल था, इसलिए हम लोग इसमें बहुत जोर नहीं दिए थे।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इसमें कब तक वसूली हो जायेगी ?

श्री भूपेश बघेल :- अब आगे वसूल करेंगे।

श्री अरूण वोरा :- धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके निर्देश पर छत्तीसगढ़ में प्री-पेड मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह कार्य कहां तक पहुंचा है और कब तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्री-पेड का प्रश्न किया है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश में संचालित हो रहा है। इसमें एक-दो राज्य टेण्डर की स्थति में हैं। हम लोग भी अब टेण्डर लगाने की स्थिति में हैं। जैसे ही प्री-पेड मीटर लग जायेगा, तो जो आपकी वसूली का प्रश्न है, फिर वह नहीं आयेगा। क्योंकि प्री-पेड मीटर होगा। चाहे विभाग हो या व्यक्ति हो, जैसे ही प्री-पेड मीटर लगेगा यह सारा बकाया राशि की अपने आप वसूली हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अरूण वोरा :- धन्यवाद

<u>विमानन विभाग में हुए व्यय</u>

[विमानन]

7. (*क्र. 1581) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान एवं हेलीकाप्टर तथा चार्टर हेलीकाप्टर एवं विमान सेवा हेतु कितनी राशि खर्च की गई जानकारी देवें? **(ख)** छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा क्या पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को

नियुक्ति में वरीयता देने हेतु प्रावधान है ?क्या साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ मूलनिवासी के लिए कोई अतिरिक्त अंक सुनिश्चित है, जानकारी देवें । **(ग)** वर्तमान में राज्य शासन के पास उपलव्ध शासकीय हेलीकाप्टर / विमान की संख्या तथा नियुक्त पायलटो की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान पर रू 8,01,40,552/- (आठ करोड़ एक लाख चालीस हजार पांच सौ बावन) एवं शासकीय हेलीकाप्टर पर रू 91,25,582/- (इन्क्यानबे लाख पच्चीस हजार पांच सौ बयासी) तथा चार्टर हेलीकाप्टर के लिये रू 61,30,41,143/- (इकसठ करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार एक सौ तिरालीस) एवं विमान सेवा हेतु रू 19,57,84,074/- (उन्नीस करोड़ संतावन लाख चौरासी हजार चौहत्तर) खर्च की गई। **(ख)** छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी को नियुक्ति में वरीयता देने हेतु साक्षात्कार के लिए कुल निर्धारित 10 अंक में से छत्तीसगढ़ राज्य में किये गये सेवा की समयावधि तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के आधार पर अधिमान्य अंक निर्धारित किया गया है। जी नहीं। **(ग)** वर्तमान में राज्य शासन के पास 01 शासकीय विमान बी-200 उपलब्ध है तथा 01 पायलट (हेलीकॉप्टर) नियोजित हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, दूसरा विषय यह भी है कि पायलट भर्ती के सम्बन्ध में अजय चन्द्राकर जी के प्रश्न का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। लगभग-लगभग 34 करोड़ रूपया प्लेन में खर्च किए हैं। ये खर्च पायलट की कमी के कारण हुए हैं, पायलट की कमी को कारण बताया गया है। आज भी जो आकड़ें दिए गए हैं, लगभग करोड़ों रूपये खर्च हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने पायलट की कमी का दूर करने हेतु आपने भर्ती की प्रक्रिया भी की थी, तो भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद कितने लोगों का चयन हुआ था और आपने किसको वेटिंग लिस्ट में डाला था ? माननीय मुख्यमंत्री जी, यह पहला प्रश्न है, आप इसका जवाब दे दें। क्या वे छत्तीसगढ़ के हैं तो यह भी बता दीजियेगा ? आपने वेटिंग लिस्ट में किसका नाम है, वह भी बता दीजियेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पायलट भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इसमें समिति बनी थी। समिति के माध्यम से साक्षत्कार भी लिया गया था। चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण से यह प्रक्रिया रूकी हुई है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह मामला न्यायालय में क्यों गया ? वह इसलिए गया क्योंकि यह जो चयन प्रक्रिया है, वह दोषपूर्ण रहा, भेदभाव पूर्ण रहा है। एक लड़का जिसका चयन प्राथमिकता से किया गया था, वह पायलट केप्टन नसीम बामन है, जो हरियाणा का रहने वाला है।

अध्यक्ष महोदय :- कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है...।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में हक मांगने के लिये गया है । अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें नहीं सुना जा सकता ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं चयन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- जिस कारण भी गया हो, यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो यहां प्रश्न नहीं किया जा सकता ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- न्यायालय में विचाराधीन है...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं किया जा सकता ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने प्रश्न प्रक्रिया का पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरा और पूछ लीजिए ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को 10 अंक देने का प्रावधान किया था ? यह भी न्यायालय में तो नहीं गया होगा ? उसमें आपने जवाब भी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन इसके लिये अतिरिक्त कोई अंक नहीं है । इंटरव्यूह में अधिमान्य अंक है, इसमें कितना अंक दिया जाता है, यह सारी प्रक्रिया में है । उसके लिये भर्ती प्रक्रिया में, साक्षात्कार में, मूल निवासी को प्राथमिकता है । आपने दूसरा जो प्रश्न पूछा था, जिसमें शासकीय विमान 200 का है, उसमें तजुर्बा नहीं है ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तजुर्बा सबसे ज्यादा है । कैप्टन जिसका चयन हुआ है, उसको 3529 घण्टे का अनुभव है और यह भी एक सीनियर पायलट है, जिसे 6988 घण्टे का अनुभव है । यह बोईंग चलाने का अनुभव रखता है । यह एक सीनियर पायलट है ।

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, मैंने कहा है ना कि न्यायालय में विचाराधीन है ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं चयन प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ । न्यायालय में होगा अध्यक्ष महोदय ? वह लड़का एटीपीएल का है, उसके पास भारत सरकार से उच्च कोटि का पायलट लायसेंस है । उसको छोड़ा गया, जबकि यह छत्तीसगढ़ का ही है । उसको ऑलरेडी 7 लाख रूपया मिल रहा था, केवल इसलिये कि वह अनुसूचित जाति का आदमी है । योग्यता होने के बाद भी उसको अस्वीकार किया गया । वेटिंग लिस्ट में आने के बाद भी उसको अस्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, लखेश्वर बघेल जी ।

<u>जिला बस्तर में कैम्पा मद अंतर्गत किये गये कार्य</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (*क्र. 1561) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में विगत 03 वर्ष से जिला बस्तर अंतर्गत कैम्पा मद से ए.पी.ओ. चैनलिंग फेसिग कार्य एवं झरना का संरक्षण संवर्धन हेतु कार्यस्थल एवं स्वीकृत राशि परिक्षेत्रवार बतावे ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य मे ही कार्यो की अद्यतन स्थिति एवं व्यय राशि बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र[4] में दर्शित है ।**

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जिला बस्तर में कैम्पा मद के अंतर्गत किये गये कार्यों से संबंधित मेरा क्वेश्चन था । आदरणीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दिये हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या राशि आहरित करने से कार्य पूर्ण हो जाता है ? यह मेरे क्षेत्र का मामला है । बस्तर जिले से संबंधित था, कौन से कार्य पूर्ण हैं और कौन से अपूर्णा हैं, लेकिन मैंने क्षेत्र के सभी कार्य को देखा है, 4-5 कार्य ऐसे हैं, जो अभी तक अपूर्ण हैं, उसको भी पूर्ण बताया जा रहा है । ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा कार्य पूर्ण बताया जा रहा है, क्या उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की बात है तो अधिकारियों का नाम दे दें, निश्चित रूप से मैं पूरी जांच करवा दूंगा ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जांच से काम नहीं चलेगा, इस टाईप का काम अधिकारी लोग करते हैं, सदन में गलत जानकारी देते हैं, दिखवा लेंगे बोलने से नहीं होगा । आप इनके ऊपर कार्यवाही करे ।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेंगे नहीं, जांच करवा लेंगे बोले हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- दिखाने से काम नहीं चलेगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- दिखाने का बोला ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो जांच कराने की बात बोल रहे हैं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- एक बेतझरना हमारे डुरकाबेड़ा में है । डुरकाबेड़ा में 24 लाख खर्च करने की बात की जा रही है । उसमें 24 लाख मिला था, उसके बाद 50 लाख मिला । 75 लाख का वह कार्य था । वह भी कार्य अपूर्ण है । 24 लाख व्यय बता रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं दी गई है । हम लोग बहुत दिनों से इस कार्य के लिये प्रयासरत हैं, लेकिन बेतझरना भी नहीं हुआ है तोनकोंगरा में भी अलग

[4] परिशिष्ट "चार"

से चैनल फेंसिंग की बात की गयी है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2015-16 में लगभग 01 करोड़ 20 लाख की राशि खर्च की गयी है। उसके बाद उसमें तीन लाख रूपये राशि निकालकर उस कार्य को पूर्ण बता रहे हैं। अभी 01 करोड़ रूपये का काम कम्प्लीट नहीं है उसमें भी वह कार्य पूर्ण बताये जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिकारी लोग इस तरह के काम करते हैं, पैसा निकालकर कार्य को पूर्ण बताया जा रहा है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, आपने जो पहला प्रश्न किया था वह बहुत जानदार था कि क्या राशि आहरित कर लेने से काम पूर्ण हो जाता है ? उसी पर चढ़े रहते। आप इधर-उधर बिछड़ रहे हो।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, उसके बाद तोंगकोगेरा के संरक्षण के लिये राशि निकाली गयी थी, उस संबंध में भी है। उसके बाद बेतझरना में भी है, यह हमारे गांव डूरकाबेड़ा का मामला है। उसमें भी कार्य अपूर्ण है लेकिन पूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन इस संबंध को थोड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी तरह और भी 24 कार्य हैं, वन्य एरिया में भी है। मैदानी क्षेत्रों में जो अपूर्ण कार्यों को पूर्ण बताया जा रहा है। उसमें क्या होगा ? उसमें वर्ष 2020-21 का के 12 कार्य है, वह अपूर्ण बताये जा रहे हैं। उस संबंध में जांच की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, बता दीजिये। उनको पूरा संतुष्ट करिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिन कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मैं पूरे की जांच करा दूंगा। यदि मान लीजिये यहां पर गड़बड़ी बताई गई है तो बिना जांच के किसी को कैसे दोषी ठहरा सकता हूं। जांच तो होगी ही। आप यदि बोल रहे हैं तो इसमें तत्काल जांच करा कर इसमें कार्रवाई करेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- ठीक है लेकिन हम लोग भी तो जवाबदारी रखते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि कार्य अपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप बता रहे हैं इसीलिये बगैर लाग लपेट के डारेक्ट बोला गया है कि हम जांच करायेंगे और कार्रवाई करेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। मेरे ही तारांकित प्रश्न के उत्तर में विरोधाभास है। उसमें कार्य को पूर्ण बता दिया गया है और आज भी उस जगह पर काम ही नहीं हुआ है। मेरा वन विभाग में क्वेश्च्यन लगाने का लगभग पूरा प्रयास रहा है। सारे प्रश्नों के उत्तर गलत ढंग से दिये गये हैं। मैं भी चाहता हूं कि इसी जांच में मेरा प्रश्न भी शामिल कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप नाम बता दीजिये ना कि किसकी जांच कराना है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न में है। अब यदि मैं पूरा बताऊंगा तो विस्तार हो जायेगा। लेकिन मेरा भी शामिल करवा लीजियेगा क्योंकि कार्य अपूर्ण है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न आगे है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आगे है ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आगे नहीं है। वह जितना आगे है, वहां तक चर्चा हो भी नहीं पायेगी। मैंने अध्ययन किया है कि दोनों प्रश्न में विरोधाभास है। एक में कार्य पूर्ण बता दिया गया है और एक जवाब में कार्य अपूर्ण बता दिया गया है। इसकी भी जांच करा लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- जब आपका प्रश्न इससे उद्भूत ही नहीं होता है तो मंत्री जी जवाब देने के लिये बाध्य नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, यह पूर्ण, अपूर्ण की बात है और कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप नाम बता दीजिये कि यहां-यहां जांच करनी है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल-बिल्कुल, मैं नाम बता देता हूं। यह तारांकित प्रश्नोत्तर में प्रश्न संख्या 21 है। वन मंत्री यहां बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह प्रश्न संख्या 21 देख लेंगे।

<u>वन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव के स्वीकृत कार्य</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

9. (*क्र. 1509) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020-21 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के किन-किन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार जानकारी देवें. **(ख)** कण्डिका 'क' में स्वीकृत कार्य किन-किन फर्म/एजेंसी से करायेजा रहे हैं? इनमे से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ स्थिति में हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :(क) स्वीकृत राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)			
	नवीनीकरण	डामरीकरण	मरम्मत	रखरखाव
2020-21	3020000	-	846364	-

2021-22	14336000	-	1289680	-
2022-23	-	-	928825	-

विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र[5] में दर्शित है।(ख)** कंडिका ''क'' में स्वीकृत कार्य विभाग द्वारा कराए गए है किसी फर्म/एजेंसी से नहीं कराए गये है।। समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में वन मंत्री जी का उत्तर आ गया है और मैं उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- वाह, बहुत-बहुत धन्यवाद्। प्रश्न क्रमांक-10, माननीय डॉ. रमन सिंह जी। यह भी एक संयोग है कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं। (हंसी)

छ.ग.रा.वि.मं. द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु जारी निविदा

[ऊर्जा]

10. (*क्र. 845) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2022 में छ.ग.रा.वि.मं. द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु वर्तमान में निविदा जारी की गई है? **(ख)** वर्तमान में जारी निविदा में किस कंपनी को कार्यादेश दिया गया एवं किस दर पर उपरोक्त कार्य का आबंटन किया गया। **(ग)** पूर्व में कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु जारी निविदा में किस कंपंनी को कितनी दर पर कार्यादेश जारी किया गया था? **(घ)** निविदा जारी करने से कार्यादेश तक, क्या भण्डार क्रय नियम एवं निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि नहीं तो जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (छ.ग.रा.वि.मं. की एक उत्तरवर्ती कम्पनी) के द्वारा गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु निविदा जारी की गई है।**(ख)** वर्तमान में दिनांक 03.11.2022 को जारी निविदा में न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड को घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग (40 किमी. दूरी) हेतु रू. 466.00 प्रति मीट्रिक टन एवं राबर्टसन रेल्वे साइडिंग (80 किमी. दूरी) हेतु रू.683.50 प्रति मीट्रिक टन की दर पर माइन डेवलपर एवं आपरेटर (एम.डी.ओ.) मेसर्स गारे पेलमा- III कोलयरीज लिमिटेड के माध्यम से कार्य का आबंटन किया गया एवं एम.डी.ओ. द्वारा प्रोविजनल आशय पत्र जारी किया गया है।**(ग)** पूर्व में कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु दिनांक 17.11.2020 को जारी निविदा में न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स जय अम्बे रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड को घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग (40 किमी.

[5] परिशिष्ट ''पांच''

दूरी) हेतु रू. 460.00 प्रति मीट्रिक टन एवं राबर्टसन रेल्वे साइडिंग (80 किमी. दूरी) हेतु रू.675.00 प्रति मीट्रिक टन की दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी के अनुमोदन उपरांत एम.डी.ओ. मेसर्स गारे पेलमा- III कोलयरीज लिमिटेड द्वारा कार्यादेश जारी किया गया था।**(घ)** जी हां। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गए भंडार क्रय नियम ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राह्य नहीं किये गये है यद्यपि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं कार्य, निविदा प्रक्रिया, डेलीगेशन ऑफ पावर एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर निविदा जारी करने से कार्यादेश तक पूर्णतः पालन किया गया हैं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा-सा प्रश्न है और वह टेण्डर की प्रक्रिया को लेकर है। जिसमें छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा कोल के परिवहन का काम दिया जाता है। इसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों, खरबों रूपये का काम होता है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रश्न से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करोड़ों, अरबों रूपये की बचत हो सकती है। उस प्रश्न से जो मूल विषय आयेंगे, मैं उसमें प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्टेण्डर्ड प्रक्रिया में कुल कितनी कंपनियों ने भाग लिया था ? निविदा प्रक्रिया के लिये क्वालिफिकेशन की क्या शर्त थी ? क्या टेण्डर प्रक्रिया में दो कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान निविदा में 08 निविदाकर्त्ताओं ने ऑनलाईन निविदा क्रय की। इसमें से 04 निविदाकर्त्ताओं ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की। आपने इसकी प्रकिया के बारे में पूछा है ? प्रक्रिया तो आपने बनाई थी। आपकी सरकार के समय प्रक्रियाएं बनी थी। आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल पढ़ूंगा नहीं तो आपको उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप पटल पर ही रख दीजिए। आप उनको उपलब्ध करवा दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- पुराने मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को इतना सामंजस्य तो होगा कि एक दूसरे पर विश्वास करते होंगे।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या टेण्डर की प्रक्रिया में दो कंपनी होने की स्थिति में निविदा को कैंसिल करने का नियम है ? या नहीं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम नहीं है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो टेण्डर की प्रक्रिया कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुई, उसमें गाईड लाईन क्या हो सकती है ? और उसकी टेण्डर की प्रक्रिया में मापदण्ड क्या स्थापित हो सकते हैं? एस.ई.सी.एल. ने वह मापदण्ड निर्धारित किए हैं। साऊथ ईर्स्टन कोल फिल्ड के द्वारा कोल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए किलोमीटर के हिसाब से रेट तय करता है, उसने नोटिस, नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने दिनांक 22.07.2022 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी

किया है और उन्होंने रेट जारी किया है कि 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का रेट जारी किया है। 20 किलोमीटर के ट्रासंपोर्टिंग के लिए 116 रूपया, यदि यानी 40 किलोमीटर का ट्रासंपोर्टिंग होना है तो 232 रूपया होता है। मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि एस.ई.सी.एल. के 20 किलोमीटर कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 116 रूपया प्रति मेट्रिक टन चार्ज किया जाना चाहिए, मगर यहां टेण्डर की प्रक्रिया में 40 किलोमीटर के लिए 466 रूपया लिया गया। [XX][6] अगर एस.ई.सी.एल. के नियम के आधार पर टेण्डर की प्रक्रिया होती तो [XX] यह इतना बड़ा [XX] है कि इस प्रक्रिया में कोई भी टेण्डरकर्त्ता एस.ई.सी.एल. की दर में काम करने के लिए तैयार है मगर हमको यह मालूम है कि एस.ई.सी.एल. का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका रेट मालूम हुआ है उसके रेट के आधार पर यह मालूम हुआ है कि यह एक नोटिफिकेशन है, उसके बाद दुगुने दर में 446 रूपया प्रति 40 किलोमीटर के लिए टेण्डर देने की क्या मजबूरी थी ? और 210 रूपया प्रति मेट्रिक टन कहां जा रहा है ? एस.ई.सी.एल. के रेट के आधार पर 210 रूपया कहां जा रहा है, उसका क्या हिसाब है ? मैं यह माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा सा सवाल है और एस.ई.सी.एल. से और दूसरी खदानों से तुलना की गई है। रिजन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एस.टी.सी.रिवाईज्ड टू एस.टी.सी. दी डिफरेंस लीव डिस्टेंस आर.एस. अण्डर । इसमें एस.ई.सी.एल. की जो खदानें हैं उसके खदान के भीतर में जितने परिवहन होते हैं उसके बारे में है, जिसमें शून्य से 3 किलोमीटर का 40 रूपया है। 03 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के 87 रूपया है। 10 से 20 किलोमीटर तक के 116 रूपये है और इसमें जो चौथा क्लॉज है मोर दैन 20 किलोमीटर एक्चुअल प्लस 10 प्रतिशत। यह खदान के भीतर जो एस.ई.सी.एल. को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यह उसके लिए है। 20 किलोमीटर से ऊपर का नहीं है। एस.ई.सी.एल. में भी 20 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का अलग-अलग है। जहां तक बात है आप जो कह रहे हैं इसमें आप देखेंगे, खुद भी यदि उसी हिसाब से है तो जब आपने टेण्डर किया था उस समय आपको 40 किलोमीटर और 80 किलोमीटर का क्लॉज डालने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उस समय आप कह देते, जिस समय आपने यह नियम बनाया आप उसी समय कह देते कि एस.ई.सी.एल. में जो गाईड लाईन है उसके हिसाब से परिवहन होगा। आपने जो वर्ष 2017 में बनाया, आपने यह उस शर्त में नहीं डाला। उसमें इस प्रकार से नहीं था बल्कि आपने यह कहा कि चूंकि रेलवे साईड बनने में टाईम लगेगा और अभी भी लगभग डेढ़ साल लगेगा। जब वह बन जाएगा तो उसके बाद यह सड़क परिवहन की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय भी आपने यही क्लॉज डाला कि 40 किलोमीटर घरघोड़ा रेलवे साइंडिंग और 80 किलोमीटर जो राबर्टसन रेलवे साइडिंग तक पहुंचाने के लिए, आपको अलग से निविदा जारी करनी पड़ेगी, जिसमें एम.बी.ओ. के एक व्यक्ति, उसके प्रतिनिधि उस

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

कमेटी में रहेगा। आपके समय का ये सारे क्लॉज डले हुए हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे, विभागीय मंत्री थी तब यह आपने बनाया। तब उस समय आपने क्लॉज डाला तो प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता। वह दूसरी चीज है या दूसरी चीज है। खदान के भीतर के ट्रांसपोर्टेशन अलग है और अलग-अलग सड़कों के हिसाब से अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग खदानों में अलग-अलग रेट आते हैं।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, S.E.C.L. ने स्पष्ट रूप से जो नोटिस जारी किया है- This is inform to concern the SECL board 327 meeting in held 25.7.22 approve the revision of the surface transport charge revise stc for diffferent lead distance as a under, ये नोटीफिकेशन जारी किया है। यह सबके लिए है। यह भी FSA के लिए है, ऑक्सन के लिए है। यह सारी प्रक्रिया के लिए S.E.C.L. का मापदंड है। S.E.C.L. को हिन्दुस्तान में, छत्तीसगढ़ में कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा अनुभव है, छत्तीसगढ़ को, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को क्या अनुभव है। हम विशेषज्ञों की राय लेकर कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो काम पिछले 50 साल से कर रहे हैं, उनकी गाईडलाईन के आधार पर करप्शन को दूर करने के लिए मापदंड स्थापित करते हैं। S.E.C.L. ने जब गाईडलाईन तब किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को अलग से गाईडलाईन बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उससे बचत होती है, दोगुना कीमत पर यानि पर टन 250 रुपये के अतिरिक्त आज तक छत्तीसगढ़ के, हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना रेट डिफरेंस नहीं हुआ है कि 200, 250 रुपये में जो ट्रांसपोर्टिंग होनी थी, उसको 466 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग कराया जा रहा है। हिन्दुस्तान में इससे [XX][7] कहीं नहीं हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह ट्रांसपोर्टिंग के नाम से सरासर [XX] एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए इन सारे विषयों को S.E.C.L. के मापदंड के आधार पर, मेरी पहली मांग है कि टेंडर को ही रद्द किया जाये। आप नये सिरे से करोगे तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को और अन्य कंपनी को हजारों, करोड़ रुपये की बचत होगी। हमारे पास मापदंड है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानने को तैयार है। इसके बाद भी आप नई प्रक्रिया अपनाने को तैयार हैं। आप नई प्रक्रिया में 250 रुपये प्रति टन अतिरिक्त दे रहे हो। आप बचत करते तो हम तो बोलते कि आपने S.E.C.L. के मापदंड को नहीं माना। बचत नहीं की जा रही है, क्या इस टेंडर को निरस्त किया जायेगा?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केमिकल लोचा है। जब आपने मडवा पॉवर प्लाण्ट लगाया, आपको खदान मिली, आपने टेंडर की शर्तें लगाईं। क्या उस समय आपको ज्ञान नहीं था कि वहां S.E.C.L. ट्रांसपोर्टिंग करता है। मडवा तो कल बना, ट्रांसपोर्टिंग 2020 से शुरू हुई है। S.E.C.L. तो कब से चल रहा है और उसके नियम कब से बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रमन सिंह जी को बताना चाहूंगा कि न केवल यहां के ट्रांसपोर्टेशन की बात है, यदि आप कहेंगे तो नबीनगर पॉवर जनरेटिंग कंपनी

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड का आप कहेंगे तो 26 किलोमीटर की जो दूरी है, उसमें 13.15 रुपये लिया गया है। नबीनगर पॉवर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो एन.टी.पी.सी. की सहायक कंपनी है, वह 10 से 60 किलोमीटर की जो ट्रांसपोर्टिंग है, उसे 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया गया है। लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड में 33 किलोमीटर की दूरी है, उसमें 17.83 रुपये और 18.26 रुपये तक का है। हमने जो किया है वह 80 किलोमीटर तक के 8.54 रुपये और 40 किलोमीटर का 11.65 रुपये किया है। जो एन.टी.पी.सी. ट्रांसपोर्टिंग करा रहा है, उससे भी हम कम करा रहे हैं। अब उल्टा सवाल तो मुझ पूछना चाहिए कि जब आपके पास S.E.C.L. की गाईडलाईन है तो आपने शर्त क्यों डाली थी ? क्या आप [XX] करने के लिए शर्त डाली थी ? आपने इसको क्यों डाला ? यदि उस समय नहीं होता तो हमको टेंडर करने की जरूरत नहीं थी। उस समय क्लॉज कर देते कि S.E.C.L. की जो गाईडलाईन है वह 10 किलोमीटर तक की है, उससे अधिक की नहीं है, 20 किलोमीटर से अधिक का नहीं है। जबकि हमारी दूरी 40 और 80 किलोमीटर है। जितनी दूरी बढ़ेगी उसके अलग-अलग सड़कों के हिसाब से, दूरी के हिसाब से वह फिर किलोमीटर तय होता है। वह टेंडर एक बार नहीं, यह तीसरी बार है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं आ रहा है। जब 211 रुपये में ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है, हो रहा है और S.E.C.L. ट्रांसपोर्टिंग करवा रहा है तो उस रेट में आप दोगुने कीमत देने के लिए इतनी जल्दी तैयार क्यों हुए ? दो टेंडर ही आये थे, तीन टेंडर भी लगे होते तो समझ में आता। दो लोग ही निविदाकर्ता थे। दो निविदाकर्ता के साथ adjust करके [XX] [8] छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को विधायकों के जांच समिति के द्वारा अध्ययन करायें ताकि छत्तीसगढ़ के खरबों रूपये का बचत हो सकें। क्या मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को विधायकों की कमेटी बनाकर, संयुक्त विधायक दल कमेटी बनाकर जांच करावाने के लिए तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय :- आप ही जमाने में नियम बना है बता रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले से कहा कि केमिकल लोचा है। 211 रूपये था ही नहीं। अभी रमन सिंह जी ने 211 रूपये कहा। मैंने अपने उत्तर में कहा कि हम केवल 08 रूपये और 11 रूपये के हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं। अब यह कहते हैं 211 रूपये। तो 211 रूपये था ही नहीं। हम तो बहुत कम में ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं। यह 211 कहां से आ गया? जैसे मकान का 16 लाख आ गया था, वैसे ही इसको कह रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- शायद आपने जवाब को पढ़ा नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- आपने अभी 211 रूपये कहा।

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. रमन सिंह :- मैं आपके जवाब को repeat कर रहा हूं। आपको जवाब का दूसरा पर्ची मिल गया। मैं आपके जवाब को पढ़ रहा हूं। आपने बताया कि कोल ट्रांस्पोर्टेशन घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग (40 कि.मी. दूरी) के लिए 466.00 रूपये प्रति मीट्रिक टन एवं राबर्टसन रेल्वे साइडिंग (80 कि.मी. दूरी) के लिए 683.50 प्रति मीट्रिक टन की दर से कार्यादेश हुआ है। यह दोगुने से ज्यादा रेट है। प्रतिटन 250 रूपये का हिसाब हुआ है। यह इनके जवाब में आया है। मैं कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा हूं। यह दूसरा पर्ची पढ़ रहे हैं । ए.सी.सी.एल. के रेट के अनुसार 232 रूपये से ज्यादा नहीं होता जो 466 रूपये हो रहा है। यह दोगुने कीमत में है। इसलिए इसको तत्काल रद्द किया जाए और re-tender किया जाए। विधायकों के जांच दल से इसकी जांच कराया जाए। यह पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। [XX][9]

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं किलोमीटर के हिसाब से बताता हूं तो वह टोटल दूरी के हिसाब से बताना शुरू कर देते हैं। अब पूरा दूरी के हिसाब से बताऊंगा तो वह किलोमीटर में आ जायेंगे। पूरे 40 किलोमीटर का तो यह लिखित उत्तर में है।

अध्यक्ष महोदय :- केमिकल लोचा क्या है, यह मुझे तो समझा दीजिये? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मतलब रमन सिंह जी अभी तक कह रहे हैं कि जो 18 लाख मकान का लक्ष्य है, उसमें 8 लाख बनवा चुके हैं और उसके बाद 16 लाख बचा ही है। इसमें ए.सी.सी.एल. का गाइडलाईन है, उसको कौन मान रहा है। जितने भी जो बाहर की सड़के हैं, उसके परिस्थिति के हिसाब से, दूरी के हिसाब से होता है। अब यह तो सीमित दूरी के लिए है। 0 से 3 कि.मी., 3 कि.मी. से 10 कि.मी., 10 कि.मी. से 20 कि.मी. के लिए और 20 कि.मी. से अधिक के लिए 40 कि.मी. और 80 कि.की. राबर्टसन और घरघोड़ा का है। तो ऐसी स्थिति में आपने ही जब एम.डी.ए. नियुक्त किया, उस समय जो शर्त डाले थे, इसके लिए एम.डी.ओ. नियुक्त किया जायेगा और एम.डी.ओ. जो 0 से 3 कि.मी. तक का है, उसमें तो एम.डी.ओ. ट्रांसपोर्ट कर लेगा। लेकिन जिनका दूरी अधिक है, इसलिए टेंडर होगा और उस टेंडर प्रक्रिया में एम.डी.ओ. के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। आपने जो एम.डी.ओ. नियुक्त किया, उस समय की सारी शर्तें हैं। यह शर्त किसने बनाया। हमने तो शर्त नहीं बनाया। यह आपने शर्त बनाया और इसीलिए मैं कह रहा हूं यह केमिकल लोचा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब इस बात का आ जाए कि जब इतना बड़ा [xx] का मामला आ गया है तो जांच के लिए ..।

श्री भूपेश बघेल :- कहां से [xx] हो रही है?

डॉ. रमन सिंह :- [XX] का केमिकल लोचा हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जवाब तो यह आ रहा है कि आपके ही जमाने में नियम-कानून बने हुए हैं।

---

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोचा का सवाल जवाब दे रहा हूं। जब आज के तारीख में आप टेंडर करेंगे तो 225 रूपये में तैयार हो जायेगा तो 466 रूपये लगातार देने का [XX] आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। जो 232 में तैयार हो जाए, वह 466 रूपये में टैंडर स्वीकृत करना किसी मापदण्ड के आधार पर नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का जो कंपनी है, उसके माध्यम से टेंडर फ्लोट किया गया है और पूरे देश भर के पेपरों में इस टेंडर का विज्ञापन निकाला गया। ऑनलाईन टेंडर भरा गया और जब टेंडर भरा गया तो उस समय जितना रेट आयेगा उसी के हिसाब से होगा। अब आपके पास है तो अगले समय में टेंडर में भरवा लीजियेगा। उसमें कोई दिक्कत है क्या ? लेकिन आपको टेंडर की प्रक्रिया में कोई कमी है क्या? पूरे देश में इसका विज्ञापन दिया गया है। सारे समाचार पत्रों में, जो लोकप्रिय समाचार-पत्र हैं उसमें विज्ञापन दिया गया । ऑनलाईन टेंडर किया गया । 8 कंपनियां आयीं तो 4 कंपनी ने वापिस ले लिया, 2 सही पाया गया उसमें बीडिंग हुई । रिवर्स बीडिंग भी हुई, वह सब होने के बाद यह तय हुआ तो अब कहां से 200 हो गया ? जब हमने टेंडर बुलाया है उसमें कोई कमी नहीं है तो इसीलिये मैं बोल रहा हूं । इनके दिमाग में [XX] [10] भर गया है इसलिए ये हर समय वही-वही बात करते रहते हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन में जितनी भी दूसरी कंपनियां एस.ई.सी.एल. और दूसरी कंपनियां परिवहन करा रही हैं । एस.ई.सी.एल. और दूसरी कंपनियां तो एस.ई.सी.एल. की सड़कें खराब हैं, सबसे खराब सड़क एस.ई.सी.एल. की है जो उनकी इंटरनल रोड है । हमारी सड़क तो शानदार है । हमारी सड़कें नॉर्मल हैं तो वहां पर परिवहन की दर कम होगी कि ज्यादा होगी ? हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस.ई.सी.एल. के अंदर के रेट से दुगूने रेट में कोल परिवहन की अनुमति दी गयी ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से दूसरे कंपनी वाले मिले थे ?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा विषय है कि यदि इस विषय की जांच विधायकों से करा लें तो यह सारा विषय भविष्य के लिये बहुत अच्छा होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.टी.पी.सी. की जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं । उससे जुड़ी हुई कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं उसके बारे में मैंने आंकड़े दे दिये, उसके रेट मैंने दे दिये और जहां तक घरघोड़ा की जो सड़क है और राबर्टसन की जो सड़क है उसके बारे में जितने हमारे रायगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वे बेहतर जानते हैं । मैं भी गया था, मैंने निर्देश भी दिया था, कई बार उन सड़कों को बनाने के लिये आप सब जानते हैं और इनकी पार्टी के पदाधिकारी तो पदयात्रा भी किये हैं और

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अच्छी है तो फिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं ? वह सड़क वाकई में बहुत खराब है और हम लोग लगातार रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से कह रहे हैं कि उसको ले लें । वे लेते भी नहीं और उसके कारण से वह रेट आया लेकिन दूसरी जो और कंपनियां हैं, जहां ट्रोसपोर्टिंग हो रहा है उससे बहुत कम में किये हैं । इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ है और केवल रमन सिंह जी को [XX][11] का आरोप लगाना है करके । ये आरोप पहली बार नहीं लगाये हैं इसके और पहले आरोप लगाये थे और वर्ष 2012 में इन्होंने स्वयं भी जवाब दिया था । श्री देवजी पटेल जी ने प्रश्न किया था, इसी संबंध में प्रश्न लगाया था उसका जवाब दिया था ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा यदि आपको लगता है कि उस समय की परिवहन की दर और अभी की परिवहन दर में आपको चर्चा करनी है तो आप खुली चर्चा कर लें न । उस समय की परिवहन की दर क्या होती थी ? टेंडर की प्रक्रिया क्या होती थी ? उस प्रक्रिया की खुली चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- डॉ. रमन जी, वर्ष 2012 में यह शुरू भी नहीं हुआ था तब प्रश्न हुआ था । वह दूसरे संदर्भ में हुआ था । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- परिवहन की दर में खुली चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान) मैं आपको चुनौती देता हूं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- उस समय ट्रांसपोर्टिंग हुआ ही नहीं था । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- उस समय की दर को आज यदि तुलना करते हैं 10 परसेंट बढ़ेगा, 20 परसेंट बढ़ेगा । आप उसकी तुलना तो कर लो । आज आप उसकी तुलना करके उस पर खुली चर्चा करा लीजिये । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- दुनिया के सबसे महंगे पावर प्लांट का निर्माण इन्होंने कराया । (व्यवधान) जरूरत से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की । उसको नौकरी तक नहीं दे पाये । हम उस सबको झेल रहे हैं । उन्होंने एम.डी.ए. नियुक्त किया, एम.डी.ए. की शर्त इन्होंने तय की और उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं और पूरे टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी है इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दो मुख्यमंत्रियों के बीच में किसी को एलाऊ नहीं करता। चंदन कश्यप ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि दो मुख्यमंत्रियों से हमारा ज्ञानवर्धन होगा । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में आया है 675 रूपये में ट्रांसपोर्टिंग का ठेका नये एम.डी.ओ. को दिया गया है । (व्यवधान)

---

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- चंदन कश्यप जी ।

<u>अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं लो वोल्टेज की समस्या</u>

[ऊर्जा]

11. (*क्र. 1668) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2021 से 15 फरवरी, 2023 तक किन-किन ग्रामों में, कितने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई हैं तथा उक्त अवधि में कहां-कहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये है? (ख) क्या कंडिका 'क' के क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है ?यदि हाँ तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु एक मात्र मांग ग्राम कुम्हली (कोडरीपारा) से प्राप्त हुई थी। उक्त मांग के परिप्रेक्ष्य में 25 के.व्ही.ए. क्षमता का एक अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है।(ख) उत्तरांश ''क'' के ग्राम में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो गया है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आ गया है । लेकिन विभागीय अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है । धानपुरी और गातापार में 17 ट्रांसफार्मर खराब हैं और हम लोगों ने लो वोल्टेज की शिकायत की है । मेरे पास सूची भी उपलब्ध है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य परंपरा यह है कि जब पहली टेंडर होता है तो जब तक 3 लोग न हों तब तक टेंडर नहीं खोला जाता है और मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 4 लोगों ने भरा, सब लोग अमान्य हो गए । कोई दो लोग पात्र थे तो रिटेण्डर क्यों नहीं हुआ ? पहली बार में ही दो टेण्डर को कैसे क्लियर कर दिया गया ? (व्यवधान) यानी कोई करोड़ों रूपये का टेंडर होता है ।(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी आप बैठिए ।(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में आया है कि 675 रूपये में नई एम.डी.ओ. ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, कोलरिस नामक एक कंपनी है ।(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि कोलरी स्तर का कौन एम.डी.ओ. आ गया ? इसको क्या

एम.डी.ओ. दिया गया है ? इसके पास क्या क्वालिफिकेशन था ? ।(व्यवधान) इसके पास केपेसिटी थी ?

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ गया है लेकिन विभागीय अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको टेण्डर किया गया । जिसको एम.डी.ओ. बनाया गया, उसको पहले कौन सा अनुभव था ? देखिये जो टेंडर है, टेंडर में यदि कहते हैं कि 4 लोग, 8 लोग फॉर्म खरीदे । 4 लोगों ने फॉर्म भरा, 2 पात्र पाये गये और 2 अपात्र पाये गये । जब किसी भी बिडर ने निविदा में कोई शिकायत तो की नहीं । जब निविदाकर्ताओं ने ही कोई शिकायत नहीं की है तो फिर सवाल ही नहीं उठता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सामान्य परम्परा है कि पहली बार जब टेंडर बुलाया जाता है तो कम से कम तीन लोग आएं तभी खोला जाता है ।

श्री भूपेश बघेल :- यह कहां से नियम आ गया, चार लोग भरे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले ही टेंडर को 2 लोगों में खोल दिया गया । दो तो अमान्य हो गए थे ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी हमेशा गुमराह करते हैं । आठ लोगों ने खरीदा था और चार लोगों ने टेंडर भरा था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने ही तो बताया कि उसमें से 2 अपात्र हो गए ।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है, लेकिन चार लोगों ने तो भरा था ना । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सब लोग बैठिये ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, इनको हर चीज में [XX][12] दिखता है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपने श्री चंदन कश्यप को प्रश्न के लिए बुला लिया है और माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न भी कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही बोल रहा हूं । इसमें [XX] की जो भी बातें आई हैं । [XX] से संबंधित जो भी बातें है उसको विलोपित करें । चूंकि दोनों मुख्यमंत्री का सवाल है, मैंने किसी को बीच में अनुमति नहीं दी है । मैंने दूसरे सदस्य को प्रश्न के लिए बुला लिया था । चंदन कश्यप आप प्रश्न कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य परम्परा यह है कि ..(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आसंदी के आदेश की अवहेलना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायकों की कमेटी से जांच होनी चाहिए ।

---

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिये आप लोग ।

श्री अमरजीत भगत :- आसंदी के आदेश के बाद भी हल्ला कर रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इस मामले की जांच सदन की समिति से होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपकी मांग है ना । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप बता दें वहां ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया जाएगा । चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर को रद्द करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सामान्य परम्परा यह है कि जब पहली बार टेंडर होता है तो कम से कम तीन लोग क्वालीफाई हों ।

अध्यक्ष महोदय :- ममता चन्द्राकर ।

प्रश्न संख्या 12 xx xx

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 2 लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया तो री-टेंडर बुलाने में क्या परेशानी थी । सामान्य परम्पराओं का भी पालन नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी शर्मा । **प्रश्न संख्या 13** शिवरतन जी शर्मा अपना अगला प्रश्न करें ।

(श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर आप सही हैं तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ है । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। अब यह लोग यहां के माध्यम से [XX][13] की बात करके रास्ता खोजना चाहते हैं। जनता ने नकार दिया है और 2023 में भी नकारने वाली है । इनको हर बात में [XX] नजर आता है । कोई मुद्दा नहीं है तो केवल [XX] की बात करो ।

समय :

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

11.59 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

14. (*क्र. 1693) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक राज्य कैम्पा योजना से किन-किन कार्यो के लिए, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? स्वीकृत कार्यों मे कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? जानकारी दीजिए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :324 कार्यों हेतु कुल राशि रू. 2884.935 लाख की स्वीकृति दी गयी है। 205 कार्य पूर्ण एवं 119 कार्य अपूर्ण है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।**

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 हजार से अधिक पेड़ लगाए गए थे । लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं है क्या उसकी जांच कराएंगे । कई कक्ष ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 3-11/आठ-परि./2022, दिनांक 25 अगस्त, 2022

परिहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-11/आठ-परि./2022 दिनांक 25 अगस्त, 2022 पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। शून्यकाल ।

पृच्छा

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक वनवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनकी जीविका ह्रास होना कहलाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण का काम किया। तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक दर 2003 में 350 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति मानक बोरा किया गया। उसके साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गयी।

समय :

12:01 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, संग्राहकों को संग्रहण केन्द्र में तेंदूपत्ता के पारिश्रमिक के साथ उनके चरणपादुका देने की भी योजना है ताकि उनके पैर में कांटे ना चुभे। तेंदूपत्ता के संग्राहकों को दिया गया और उनको 2018 में कांग्रेस की सरकार आते ही चरणपादुका योजना बंद कर दी गयी। सभापति महोदय, वनवासियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर भी टेढ़ी नजर पड़ी। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में, कवासी जी सुन लीजिए। 2017 में 17 लाख मानक बोरे तेंदूपत्ते का संग्रहण होता था जिसकी नीलामी से 1358 करोड़ रूपए वन समिति को प्राप्त होता था जिसके अनुसार प्रति मानक बोरा 8000 रूपये की राशि संग्राहकों को मिलती थी। अकेले उनको तेंदूपत्ते के बोनस की राशि और उनके पारिश्रमिक की राशि मिला दें, मैं 2017 की तुलना कर रहा हूं, 8000 रूपये मिलता था, कांग्रेस की सरकार आते ही 2021 में तेंदूपत्ता संग्रहण कम होकर 13 लाख मानक बोरा पहुंच गया। उसमें से 10 लाख 32 हजार ही बेचा गया। इसमें मात्र 704 करोड़ रूपया वन समितियों को मिले। प्रति मानक बोरा 8 हजार रूपये तक मिलता था, अब यह घटकर आपकी सरकार में 6800 रूपये प्रति मानक बोरा हो गया। सरकार तेंदूपत्ते

की कीमत चार हजार रूपये करके वनवासियों को जो राशि मिल रही है, यदि उसकी तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समय 8 हजार रूपये की राशि मिल जाती थी और अभी वह राशि घटकर कमी आई है। मुझे लगता है कि तेंदूपत्ता का दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो उनको पारिश्रमिक मिलता था, अब यह पूरा का पूरा पिछले चार साल से दो दिन में...।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त में विषय रखिए।

डॉ. रमन सिंह :- मैं शून्यकाल में स्थगन के विषय को उठा रहा हूं।

सभापति महोदय :- थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखिए ना।

वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सभापति महोदय, यह भाषण का समय नहीं है। आपकी सरकार में 15 साल में हमारे सुकमा में (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- आप जवाब दे देना। आप मंत्री हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी तो बैठे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शून्यकाल में संक्षिप्त में अपना विषय रखें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- वे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शून्यकाल में भाषण नहीं होता है।

सभापति महोदय :- शून्यकाल में पूरा भाषण नहीं होगा।

डॉ. रमन सिंह :- मैं संक्षिप्त में ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें।

डॉ. रमन सिंह :- सभापति महोदय, मैं पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना कर रहा था, इनको क्या तकलीफ होती है, क्या पीड़ा होती है। पहले तेंदूपत्ता के तोड़ाई का काम करीब-करीब 15 दिन, 18 दिन चलता था, अब तीन दिन में, दो दिन में तेंदूपत्ता की तोड़ाई का काम खत्म हो जाता है। ना उनको रोजगार का अवसर मिल रहा है, ना उनको जो फायदा मिल रहा था, वह मिल रहा है। सभापति महोदय, हमने स्थगन दिया है, इसमें चर्चा कराई जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, आप अनुमति देंगे तो तेंदूपत्ता वाले में दो मिनट बोल देता हूं। क्योंकि लंबा बोले हैं तो दो मिनट मैं भी बोल देता हूं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप स्वीकार करा लीजिए, अच्छे तथ्य आएंगे। (व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जरूरत पड़ेगी तो प्रस्तुत किया जाएगा।

सभापति महोदय :- आपसे भी और सभी सदस्यों से आग्रह भी है कि शून्यकाल में संक्षिप्त में अपना विषय रखें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, जब से प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से बस्तर और सरगुजा में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले वनवासियों का शोषण

हो रहा है। इन्होंने दिखाने के लिए 2500 रूपये से 4,000 रूपये रेट जरूर बढ़ा दिया है, पर स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में तेंदूपत्ते की तोड़ाई एक से दो दिन होती है। (वधानव्य)

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बार-बार बोलता हूं कि आप आदिवासी को वनवासी मत बोलो। हम लोग यहां के रहने वाले लोग हैं। हम किसी गांव से नहीं आये हैं। शिवरतन जी आपत्ति क्यों करते हैं ? इसको निकाल दिया जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वर्ष 2017 में तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को 427 करोड़ रूपये पारिश्रमिक दिया है और 749 करोड़ रूपये प्रोत्साहन राशि दी गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके अभिभाषण में छपा है। जिसको आपने यहां पर... किया है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वर्ष 2021 में पारिश्रमिक 520 करोड़ रूपये और प्रोत्साहन राशि 110 करोड़ रूपये दी गई है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- हम लोग यहां के रहने वाले लोग हैं। आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मतलब, वर्ष 2017 में वर्ष 2021 की तुलना में लगभग 500 करोड़ रूपये का भुगतान ज्यादा किया गया है। यह सीधे-सीधे आदिवासियों के शोषण की बात है और तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के शोषण की बात है।

सभापति महोदय :- ठीक है, आपकी बात पूरी आ गई। सौरभ सिंह जी, आप अपनी बात रखें।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक तरफ यह सरकार वनवासियों के हित की बात करती है और दूसरी तरफ उनका शोषण करती है। हमने इस विषय पर स्थगन दिया है इस पर चर्चा कराएं।

श्री कवासी लखमा :- ये केवल चुनाव के साल डेढ़ हजार रूपये दिये थे। 15 साल में कभी 1200 रूपये, कभी 1800 रूपये दिये थे। केवल एक साल ही 2,500 रूपये दिये थे। हम लोग 4000 रूपये दे रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप इसको स्वीकार कर लो और इसपर चर्चा करा लो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- लखमा जी, आप यह भी बता दीजिए वन का अधिकार एक नंबर में और दूसरे नंबर पर मिलता था। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017 में 17 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता, वर्ष 2019 में 10 लाख मानक बोरा, वर्ष 2021 में और कम लिया गया और वर्ष 2022 में थोड़ा बढ़ा और इस साल में वर्ष 2022...मानक बोरा लिया। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन आदिवासी मन ला जरसी गाय देबो कहे रहे हव। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, सौरभ जी, आप यह बता दीजिए कि 2,500 की राशि ज्यादा होती है या 4,000 रूपये की राशि ज्यादा होती है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मंत्रियों के द्वारा शून्यकाल में हस्तक्षेप किया जा रहा है और डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमने स्थगन दिया है उस पर हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- वह...बनाने वालों का सिद्धांत यह है कि 15 साल में 2,500 रूपये किये। केवल असत्य बोलते हैं। कितना असत्य बोलेंगे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप उसको खाना-पीना में लगा देते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया, शून्यकाल में प्रतिपक्ष को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल में मंत्री जी को यह अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रखिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम बात रख तो रहे हैं लेकिन मंत्री जी हमको अपनी रखने दे तब तो अपनी बात रखेंगे। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हर साल इनके मानक बोरा में जो तेंदूपत्ता संग्रहण होता है वह घट रहा है। यदि कोरोना के 2 साल को भी छोड़ दिया जाए और यदि इनके शासनकाल की तुलना की जाये।

श्री कवासी लखमा :- वह कोरोना में भी तेंदू पत्ता तोड़े हैं।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें बहुत कम तोड़ गया था और उसकी संख्या भी ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- 4,000 रूपये की राशि ज्यादा होती है या 2,500 रूपये की राशि ज्यादा होती है ? लोगों को 4,000 रूपये की राशि मिल रही है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- तब भी वर्ष 2017, 2018 और 2019 में जितना तेंदू पत्ता तोड़ा गया, उतना नहीं तोड़ गया है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार तेंदूपत्ता को संग्रहण करके ले कर आते हैं लेकिन उनके तेंदूपत्ते को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको नहीं खरीदा जाता है। आपसे आग्रह है कि आप इस स्थगन को ग्राह्य करें और माननीय मंत्री जी जो भी बातें बोल रहे हैं, वे सारी बातें इसमें आ जाएंगी।

श्री कवासी लखमा :- सौरभ सिंह जी, आप कभी तेंदूपत्ता नहीं तोड़े हैं। मैंने तेंदूपत्ता तोड़ा है। हमारे परिवार अभी भी तोड़ते हैं। हम लोगों को मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है।

सभापति महोदय :- डॉ. बांधी जी, आप बोलिये।

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ जी, क्या 4,000 रूपये से 2,500 रूपये ज्यादा होता है ? जूता-चप्पल भी खरीद लेंगे, पहन भी लेंगे और जिसको देना होगा उसको दे भी देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- आपका भुगतान 600 करोड़ रूपये है और हमारा भुगतान 1,100 करोड़ रूपये था। आप भुगतान का ग्राफ देख लीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे जो तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक लोग हैं और इनके भुगतान जो की समस्या है और इनके लाभ की भी बात है। इन सारी बातों पर चर्चा है। सरकार कहती है कि हम इतने पैसे दे रहे हैं वह भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या लाभ हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। किस तरीके से गरीबों से छल हो रहा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके इसपर चर्चा कराएं, ताकि सभी बातें प्रामाणिक तौर पर सदन के अंदर आ जाएं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा को देखिये। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आदिवासी अपना ख्याल खुद रख लेंगे और उसको खरीद लेंगे। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय सभापति महोदय, कब पानी गिर गया, कब मौसम खराब हो गया और कब कलेक्शन कम हो जाएगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, हमने जो स्थगन दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रदेश में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। हमारे प्रशनों में भी कई बार आया कि प्रदेश में लगातार तेंदूपत्ते की तोड़ाई कम क्यों हो रही है ? यह भी चर्चा का विषय रहा कि क्या नक्सलियों को पैसा जा रहा है ? जो वास्तविक तेंदूपत्ता तोड़ने वाले परिवार हैं, उनके इंकम में तेंदूपत्ता के मानक बोरा का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बावजूद लगातार कमी हो रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। आखिर वह कमी क्यों है और वह पैसा कहां जा रहा है और उसके कारण क्या हैं ? यह जानना जरूरी है। चूंकि सदन की कार्यवाही चल रही है इसलिए इस विषय पर चर्चा कराया जाना जरूरी है। ये परिस्थितियां विशेष रूप से जरूरी हैं जब यह सरकार बोलती है कि हम उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं लेकिन यह आंकड़े और तथ्य बताते हैं कि उनके इंकम में लगातार कमी हो रही है और तेंदूपत्ता तोड़ाई में लगातार कमी हो रही है। इसका कारण क्या है ? इसको जानना जरूरी है। इसलिए आप सारे काम रोककर तत्काल इस पर चर्चा करवाएं।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आपकी बातें आ गईं। माननीय कौशिक जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, जो बीमा का पैसा मिलता था, उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया। आप उसको दिलवाइये। भारत सरकार ने उस पैसे को देना बंद क्यों किया ? अभी आप स्वीमिंग पुल बना रहे थे...।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण स्थगन दिया है। उस स्थगन के माध्यम से।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो आपको यह व्यवस्था देनी चाहिए कि जब हम शून्यकाल मे प्रश्न उठा रहे हैं तो मंत्री जी बार-बार खड़े हो रहे हैं। पहले भी एक बार इसकी मांग की जा चुकी है। यह बार-बार डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं । दोनों विधि विधायी कार्यों को बहुत अच्छे से समझते हैं और खासकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हों और उनकी उपस्थिति में उनके मंत्री शून्यकाल में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह उचित नहीं है, वह बहुत ही निन्दनीय है । यह शून्यकाल है और बैठे-बैठे व्यवधान उत्पन्न करना ठीक नहीं है (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्रियों से आग्रह है कि शून्यकाल में सदस्यों को अपनी बात रखने दें ।

श्री कवासी लखमा :- तेंदूपत्ता तोड़ता तो पता चलता । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग नीतिगत बात रखते तो हम हेल्प कर सकते हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सभापति महोदय, माननीय अजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि शून्यकाल सदस्यों के लिए है । अच्छी बात है । रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे । शून्यकाल में भाषण नहीं किया जाता । अजय जी भाषण ही कर रहे थे, उसी को तो मंत्रिगण बोल रहे थे कि भाषण मत करो, शून्यकाल में मुद्दे उठाओ । 15 साल में कम से कम आप अपने नेता को तो सीखा लेते ।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए आप हल्ला करवा रहे हो । आपका तर्क यही है कि इसीलिए आप हल्ला करवा रहे हो ।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, अब आपके ही लोग रोक रहे हैं । माननीय चन्द्राकर जी, आप बैठिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एक बार तो सत्य बोलो । खड़े हो रहे हो तो खड़े होईए, लेकिन एकाध बार तो सत्य बोलो ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमने महत्वपूर्ण स्थगन दिया है और हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक हैं, जो तेंदूपत्ता तोड़ने का काम करते हैं । उस समय जब वे तेंदूपत्ता तोड़ रहे थे तो बहुत लंबे समय तक तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद पारिश्रमिक भी ज्यादा मिलती थी, उसके अतिरिक्त उनको बोनस भी दिया जाता था । आज जिस प्रकार से सरकार की व्यवस्था है, उसमें एक तरफ रेट बढ़ाकर उनको झुनझुना पकड़ाने का काम किया गया कि हमने 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए कर दिया, लेकिन 4000 रूपए करने के बाद में उनकी आमदनी बढ़नी

चाहिए, पर उनकी आमदनी घट रही है । आमदनी घट रही है, मतलब सरकार ने उनके साथ में धोखा किया है कि जो तेंदूपत्ता तोड़ने का समय और दिन है, उसमें कटौती की गई है । कटौती करने के कारण हमने उदाहरण दिया है कि 2017 में 17 लाख मानक बोरा संग्रहित होता था और 2021 में 13 लाख मानक बोरा हो रहा है । 13 लाख मानक वोरा और 17 लाख मानक वोरा में अंतर है या नहीं है ।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, आप विस्तार में मत जाईए, कृपया संक्षिप्त में बात रखिए ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, नेता जी भाषण दे रहे हैं । अगर भाषण ही दे रहे हैं तो संग्राहकों का बीमा होता था, उसको आपने क्यों बंद करवा दिया ?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप उड़ीसा में जाकर देखिए । उड़ीसा में तेंदूपत्ता का 1800-1900 रूपए का रेट है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह सरकार उनके हक को मार रही है, उनके तेंदूपत्ता तोड़ाई के दिन को कम कर रही है ।

सभापति महोदय :- आप सभी से आग्रह है कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने इस संबंध में स्थगन दिया है । आप स्थगन को ग्राह्य करिए और ग्राह्य करने के बाद में हम उसमें चर्चा करना चाहेंगे, उसमें चर्चा हो जाये । सरकार की तरफ से जो सदस्य बोलना चाहें, वह चर्चा करें और यह बात साफ हो जाये कि पहले उनको ज्यादा पारिश्रमिक मिल रहा था या अभी उनको ज्यादा पारिश्रमिक मिल रहा है । यह बात चर्चा में आ जाएगी ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई । माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, पहले हमारे तेंदूपत्ता मजदूरों को शुरूआत के दिनों में एक-एक महीना तक काम मिलता था । बाद में 20-25 दिन का काम मिलने लगा, फिर वह 15 दिन काम मिलने लगा, फिर 10 दिन काम मिलने लगा ।

श्री कवासी लखमा :- बृजमोहन अग्रवाल तेंदूपत्ता तोड़ा है क्या, इसके परिवार का कोई तेंदूपत्ता तोड़ा है क्या ? मत तोड़े भाई । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब से कांग्रेस की सरकार आई है ।

सभापति महोदय :- माननीय लखमा जी, शून्यकाल है । सदस्यों को बोलने का अवसर दें ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इनको फील्ड का नॉलेज नहीं है । एक महीने का काम होता है । 10 दिन तेंदूपत्ता तोड़ाई होती है, उसके बाद ढोने का काम होता है । आज 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को दी जाती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब से कांग्रेस सरकार आई है, यह सरकार सबसे ज्यादा शोषण श्रमिकों का कर रही है । मजदूरों को दो दिन से ज्यादा काम मजदूरों को नहीं मिल रहा है और इन्होंने 25 सौ रूपए को 4 हजार कर दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- एमन किताब में पढ़क आथें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले बोनस के रूप में उनको अलग से राशि मिलती थी । आज उनको नुकसान हो रहा है । नुकसान हो रहा है तो सरकार उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, उनके बीमे की व्यवस्था नहीं कर रही है और तेंदूपत्ता श्रमिकों का शोषण हो रहा है । हम चाहेंगे कि इस स्थगन को आप स्वीकार करें और इसके ऊपर में चर्चा करवाएं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति जी, जल, जंगल, जमीन के मूल अधिकारी हमारे वनवासी भाई हैं, लेकिन आज प्रदेश में स्थिति यह है कि इन्हीं वनवासी भाइयों को आज अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए सड़क में उतरना पड़ रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- रंजना, कभी तेंदूपत्ता तोड़ी है क्या ? हम अभी तोड़ते हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं गई हूं ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- सभापति महोदय, इन लोगों को फील्ड का नॉलेज नहीं है । ऊपरी-ऊपरी बात कर रहे हैं, उपर में रहकर काम कर रहे हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति जी, ये सरकार हमारे वनवासी परिवारों के भाई बहिनों के लिए न तो इनके लिए कोई योजना बना पा रही है, न तो किसी योजना का ढंग से लाभ हमारे वनवासी भाई-बहिनों को दिला पा रही है । साथ ही साथ उन्हें तेंदूपत्ता का सही मूल्य जो वास्तविक रूप से उनको मिलना चाहिए, वह यह सरकार नहीं दे पा रही है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- 2800 से 4000 हो गया ।

सभापति महोदय :- रंजना जी, आपकी बात आ गई ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आदिवासियों को वनवासी मत बोलिये। (व्यवधान) आदिवासी कोई जंगली जानवर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप बोल रही हैं। आप जंगली-जानवर बोल रहे हैं।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप आदिवासी बोलिये। उनका अधिकार मिल रहा है, उनको तेन्दूपत्ता का अधिकार मिल रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जायें।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, वनवासी क्षेत्र में तेन्दूपत्ता तोड़ने वालो को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब सन् 2017 में 1710 लोगों को 749 करोड़ रूपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ था। सन् 2021 में कांग्रेस की सरकार में 13 लाख मानक बोरे में मात्र 520 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। इस तरह प्रोत्साहन राशि मिलाकर 630 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह बहुत कम राशि है। जबकि भा.ज.पा. शासनकाल में ज्यादा राशि का भुगतान हुआ था। अभी उनको दो ही दिन काम मिलता है, पहले महीना, दो महीना काम मिलता

था। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग चरण पादुका बांटते थे, एक पैर का चप्पल छोटा और एक पैर का चप्पल बड़ा रहता था। आप लोग ऐसा काम करते थे।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने स्थगन लाया है, वहां तक तो ठीक है। ये वनवासी बोलते हैं तो उधर से दो-दो जने आपत्ति करते हैं कि वनवासी मत बोलिये। (कवासी लखमा को संबोधित करते हुए) आप मेरी बात तो सुन लीजिये, पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्रीमती देवती कर्मा :- वनवासी कैसे बना रहे हैं, कोई जानवर हैं क्या ? आदिवासी को वनवासी बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलो कि वह बजट में वनवासी शब्द का प्रयोग वही किए हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो थोड़ा आगे बात करके देखो। बजट में वनवासी शब्द छपा है। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में वनवासी बोले हैं, वनवासी बोलना कोई जुर्म नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को विलोपित करिये और इधर की बात को भी विलोपित करिये।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, वनवासी शब्द को विलोपित किया जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी बोल सकते हैं, यहां के लोग नहीं बोल सकते , यह कौन सा तरीका हुआ ? दोहरा मापदण्ड। आपमें हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी से बोलिये कि बजट से वनवासी शब्द का प्रयोग क्यों किये ?

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, हमने तेन्दूपत्ता तोड़ने को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। पूर्व में 350 रूपये से लेकर 2500 रूपया पारश्रमिक तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये 4000 रूपया तोड़ाई पारश्रमिक तो जरूर किये, लेकिन लगातार उनके कामों के दिनों में कमी, मानक बोरे में कमी, उनके आय में कमी आ रही है। वह धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी लाभ में कमी आ रही है। माननीय सभापति महोदय, हमने इसमें स्थगन दिया है। सब काम रोककर उस पर चर्चा कराई जाये।

श्री कवासी लखमा :- नेता जी, तुम्हारे क्षेत्र में, मांझी के क्षेत्र में तेन्दूपत्ता होता है। वह माझी चुपचाप बैठा है। तुम लोग तो तेन्दू पत्ता तोड़े ही नहीं हो। ना खूंटा देखे हो, ना छांटने जाते हो।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया बैठिये।

श्री डमरूधर पुजारी :- हम लोग तुड़ाई करते हैं, आप लोग तो वनवासी के लिए चिंता नहीं करते और चिकचिक बात करते हो। हम लोग तेंदूपत्ता एरिया से आते हैं। तेंदूपत्ता के बारे में जानकारी रखते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय चंदेल जी अपनी बात रखें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति जी, मेरा आपसे विन्रम आग्रह है कि अगर शून्यकाल में हमारे कोई सदस्य विषय को उठा रहे हैं तो माननीय मंत्री बैठे-बैठे भी टिप्पणी करते हैं और जब कोई वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस सदन का कोई माई-बाप नहीं हो सकता, जिसको सदन का नेता उचकाता हो। (शेम-शेम की आवाजें)

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, यह तो पूरा सदन अनियंत्रित हो रहा है, इसको नियंत्रित करिये। सामान्य रूप से सदन की कार्यवाही ऐसे नहीं चलती है। मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारा बस्तर का जो आदिवासी अंचल है, जशपुर है, सरगुजा है, जहां-जहां वन आच्छादित क्षेत्र है, वहां तेन्दूपत्ता की खरीदी पहले एक महीने तक होती थी, अब दो दिन हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जो चरण पादुका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में में प्रारंभ हुआ था, वह चरण पादुका बांटना बंद कर दिए हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- एक चप्पल छोटा, एक चप्पल बड़ा।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, उनके पैर में जो कांटा गड़ता था, उनको इसकी भी चिंता नहीं है। माननीय मैं आपके सामने में उस समय के जो फिगर है और आज का जो फिगर है, उसको रखता हूं। (व्यववधान)

सभापति महोदय :- माननीय संक्षिप्त में बात रखिये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हमारे सरकार के समय पूर्व में जो भुगतान हुआ था। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रविन्द्र चौबे जी, माननीय रविन्द्र चौबे जी, अगली बार आप व्यवस्था मत दीजिएगा कि दूसरा माननीय नेता बोलेंगे तो हल्ला नहीं होना चाहिये । यह आपकी जिम्मेदारी होगी । चाहे सदन दो दिन चले या एक घण्टे चले ।

सभापति महोदय :- माननीय आप अपनी बात रखें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- वह बोलने देंगे तब तो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलने दीजिए या यह व्यवस्था अपने ऊपर लागू कीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, धमका रहे हैं । यह धमकाने वाली बात है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, सदन चलाने की हमारी जवाबदारी है तो प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह धमकी नहीं चलेगा । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको नहीं बोलने देंगे । आपके नेता भी नहीं बोल पायेंगे। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- यह धमकी नहीं चलेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठ जायें । व्यवधान

श्री नारायण चंदेल :- यह हो क्या रहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- बिल्कुल है । (व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं । आप बैठ जाईये । कृपया बैठ जायें । आप अपनी बात रखें । अपनी बात आप संक्षिप्त में रखें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय....।

श्री रविन्द्र चौबे :- यही तो अपराध है । नेता प्रतिपक्ष कौन है भई ? अजय चन्द्राकर कि धरम कौशिक है कि नारायण चंदेल जी हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोगों ने स्थगन दिया है, हमारे सदस्य बोल रहे हैं, मंत्री जी बैठे-बैठे बोल रहे हैं । टिप्पणी कर रहे हैं । मंत्री जी व्यवधान कर रहे हैं। संसदीय सचिव जी जब बात कर रहे हैं तो रविन्द्र चौबे जी उधर मुंह करके बैठे हुये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता प्रतिपक्ष कौन है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- यह व्यवस्था ठीक नहीं है, जो बात कर रहे हैं ना, केवल हमारे लिये नहीं है । आपको पहले इसका अंतरण करना चाहिये, पालन करना चाहिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम सुन रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कहां सुन रहे हो ? आपके 2-3 मंत्री लगातार खड़े हो रहे हैं, व्यवधान कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- जब-जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो आप जरूर खड़ा होते हैं । (व्यवधान) ज्यादा मुखर हो गये हैं ।

सभापति महोदय :- आप सबकी बातें सुनी गई है । सभी बातें आ गई है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सभी की बातें सुनी गई है, सभी की बातें आ गई है, कृपया आप अपनी बात रखें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने नहीं देना चाहते हैं । जैसे कौशिक साहब को बोलने नहीं दे रहे थे ना, वैसे हो रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आपकी तरफ से निर्देश मंत्रियों को जाना चाहिये, सत्ता पक्ष के सदस्यों को जाना चाहिये, धमकी भरे हुये व्यवधान कर रहे हैं । आपकी तरफ से व्यवस्था आनी चाहिये ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्रीगणों से भी अनुरोध है कि ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- व्यवधान करना...।

सभापति महोदय :- कोई व्यवधान नही कर रहे हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप अपनी बात पूरी करेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को संचालित करिये और सदन जितनी गंभीरता से पहले चला है, यह सदन चर्चा के लिये है । यह सदन हल्ला-गुल्ला के लिये नहीं है । माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि तेंदूपत्ता के विषय पर हम लोगों ने स्थगन दिया है । आज पूरे छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन को बचाने की आवश्यकता है । माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी भाई का तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि बंद कर दिया । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे आदिवासी भाईयों को उस समय प्रोत्साहन राशि 749 करोड़ रूपये मिला था और आज मात्र 110 करोड़ रूपया मिला है ? इतना अंतर है ? आपने इसलिये स्थगन दिया है । मैं आपको कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुल भुगतान 1176 करोड़ रूपया हम लोगों ने भुगतान किया था । आज भुगतान की क्या स्थिति है ? 630 करोड़ रूपया है, कितना अंतर है ? यह इस बात को स्पष्ट करता है कि आदिवासी विरोधी सरकार है, इसलिये हमने स्थगन दिया है। हमारा आग्रह है कि...।

सभापति महोदय :- आप कृपया स्थगन की ग्राह्यता पर बात करिये।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, हमारा आग्रह है कि तेंदू पत्ता के विषय को लेकर हमने जिस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया है। हमारा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोककर उस पर चर्चा करायें। हम इस सदन के सामने अनेक तथ्य रखेंगे।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

सभापति महोदय :- तेंदू पत्ता के संग्रहण को लेकर एवं उसके पारिश्रमिक दर के संबंध में मुझे श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। विचारोपरांत मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस पर चर्चा करवाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह इतना गंभीर मामला है। यह महत्वपूर्ण विषय है।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5.00 मिनट के लिये स्थगित।

(12.26 से 12.37 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.37 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

<u>ध्यानआकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- अब में नियम 138(1) के अधीन ध्यानआकर्षण की सूचनाएं लूंगा।

सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सुविधा के विस्तार की दिशा में कई योजनायें चलाई जा रही हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को खेती कार्य में सुविधा प्राप्त हो सके। इन योजनाओं का निर्माण निस्तारी भू-जल संवर्धन एवं कृषकों के साधन से सिंचाई के लिए किया जाता है। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड डोंगरगढ़ के गातापार एनीकट निर्माण कार्य के लिए बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (102) भू-तल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5059) एनीकट/स्टापडेम का निर्माण 26 वृहद निर्माण कार्य 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत एनीकट निर्माण के लिए 275.35 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक-3759/एफ-1-16/31/एस-2/2022, दिनांक 27.07.2022 को प्रदान की गई थी, परन्तु स्वीकृति मिलने के 8 माह बीतने के बाद भी किसी प्रकार की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। विभाग के अधिकारियों के चलते स्वीकृत कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया आज

दिनांक तक प्रारंभ नहीं की जा सकी है। विकास कार्यों के समय पर प्रारंभ नहीं होने से क्षेत्र के किसानों एवं आमजनों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, सत्य है कि छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सुविधा के विस्तार की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे प्रदेश के किसानों को खेती कार्य में सुविधा प्राप्त हो सके। इन योजनाओं का निर्माण निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं कृषकों के साधन से सिंचाई के लिए किया जाता है। राज्य शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगढ़ के गातापार एनीकट निर्माण कार्य के लिए बजट शीर्ष मांग संख्या- 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702 लघु सिंचाई पर पूजीं परिव्यय (102) भू-तल 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5059) एनीकट/स्टापडेम का निर्माण 26 बृहद निर्माण कार्य 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत एनीकट निर्माण के लिये राशि रुपये 275.35 लाख की नहीं, अपितु रुपये 208.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक- 3759/एफ-1-16/31/एस-2/2022, दिनांक 27.07.2022 को जारी की गई थी। सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण एस.ओ.आर. में संशोधन पश्चात इस कार्य के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 5483/एफ-1-16/31/एस-2/2022, अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 17.11.2022 द्वारा राशि रुपये 275.35 लाख की जारी की गई है। यह सत्य नहीं है कि स्वीकृति मिलने के 08 माह बाद भी किसी प्रकार की निविदा प्रारंभ नहीं की गई है, बल्कि सत्य यह है कि तकनीकी स्वीकृति आदि औपचारिकताओं के उपरांत इस कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 3462/ब.ले.लि./2022-23, दिनांक 30.11.2022 को प्रथम निविदा आमंत्रण किया गया, जिसमें एकल निविदा एवं प्रतिस्पर्धा के अभाव में दिनांक 17.01.2023 को शासन हित में निविदा निरस्त किया गया है। पुन: नवीन एस.ओ.आर. दर पर आधारित निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: यह कहना बिल्कुल ही निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है कि विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता एवं अधिकारों के दुरूपयोग के चलते स्वीकृत कार्य के लिये निविदा प्रारंभ नहीं की जा सकी है। वस्तुत: स्वीकृत कार्य के लिए नियमानुसार समय पर सारी प्रक्रियाएं की जा रही है, अत: किसानों एवं आमजनों में सरकार के कार्यों से रोष नहीं अतिपु प्रसन्नता व्याप्त है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो प्रश्न करूंगा मैं चाहूंगा भी कि उसका उत्तर मिल जाये। जब भी कभी किसी काम की बजट में स्वीकृति होती है, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रोसेस होता है कि एक इंजीनियर estimate बनाता है, एस.डी.ओ. के पास जाता है, एस.डी.ओ. के बाद फिर ई.ई. के पास जाता है, ई.ई. के बाद एस.ई.,सी.ई. और ई.एन.सी. के पास जाता है और ई.एन.सी. के बाद सीधा-सीधा वित्त विभाग में जाता है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारे जितने भी राजनांदगांव के प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति के लिये गये होंगे, क्या वित्त विभाग ने लेटर जारी किया कि

इन प्रकरणों में ये-ये कमी है या ई.एन.सी. ने लेटर जारी किया? जब उनको पता चल जाता है कि हमारा रेट बढा हुआ है, जिस एस.ओर.आर. में हमारा प्राक्कलन बनना चाहिए, वह नहीं बन पाया। इतने प्रोसेस होने के बावजूद भी न ई.एन.सी., न एस.ई., न सी.ई. को पता रहता है। हम डॉयरेक्ट वित्त विभाग में भेजते हैं और वित्त विभाग का भी एक दायित्व बनता है कि वह विधिवत लेटर जारी करे कि आपके प्रकरण में ये कमी है। हमारे आदमी को वहां पर जाकर प्रोसेस करनी पड़ती है। एक भी लेटर जारी नहीं होता। हम उसको मौखिक रूप से बोलते हैं कि कौन-कौन प्रकरण में आपत्ति लगी हुई है, क्या उस पत्र क्रमांक को बताने की कृपा करेंगे। जब यह प्रोसेस आया कि हमारा एस.ओ.आर. से रेट बढ़ गया है, इसको पुनरीक्षित बजट की आवश्यकता है। वित्त विभाग के कौन से पत्र क्रमांक के माध्यम से ई.एन.सी. को बताने का प्रयास किया और ई.एन.सी. ने एस.ई. को बताने का प्रयास किया, सी.ई. ने ई.ई. को बताने का प्रयास किया, क्या आप उस लेटर का पत्र क्रमांक बता सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चलिये अच्छा हो गया कि यदि आज मैं ध्यानाकर्षण नहीं लगाया रहता तो प्रोसेस भी नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनको विधिवत बता दीजियेगा। हम कल लगा देंगे। परसो 2 प्रश्न है। माननीय सभापति महादेय, मैं उत्तर चाहूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, बजट हमेशा unscrutinize रहता है। फिर उसको प्रशासकीय स्वीकृति के लिए सतत् प्रक्रिया, जिसके बारे में आप कह रहे हैं ए.सी.सी., विभाग, फिर फायनेंस, उसमें यह सभी विभागों में जाता है। यह सतत् प्रक्रिया है। इसके मापदण्ड बने हुए हैं। कितना तक के विभाग जारी करेगा। अगर ज्यादा हो जाए तो फायनेंस को जायेगा। मुझसे ज्यादा मेरे आदरणीय साथी उसको समझते हैं। दूसरा, उनका जो प्रश्न है। हमने उत्तर में ही कहा है कि यह तो रूटीन का काम है। पहला निविदा निरस्त किया गया, क्योंकि वह सिंगल निविदा था ओर दूसरे बार निविदा करने की प्रक्रिया है। चूंकि सदन में चर्चा हो रही है तो इसको शीर्घ करा देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- साहब जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

(2) छुईखदान-उदयपुर-दनिया रोड की जमीन अधिग्रहण से प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना.

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है कि :-

छुईखदान-उदयपुर-दनिया रोड, लंबाई लगभग 26.96 किलोमीटर, जिसकी लागत 74.96 करोड़ है, जो ए.डी.बी. द्वारा मे. एन सी नाहर ठेकेदार तथा परियोजना प्रबंधक श्री डी. के. महेश्वरी द्वारा निर्माणाधीन है। इस मार्ग में 15 ग्रामों के लगभग 258 किसानों की लगानी भूमि आई है, जिसमें से अब तक मात्र 3 किसानों को शासन द्वारा मुआवजा प्रदान किया गया है। शेष 255 किसान अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उक्त मार्ग में लगभग 373 परिवारों के मकान, दुकान, शौचालय, पशु शेड, बाउंड्रीवाल तोड़े गये हैं, जिसके लिये औने-पौने में भुगतान किया गया, परंतु तोड़े गये मकान, शौचालय, पशु शेड, बाउंड्रीवाल के नुकसान का आकलन किस आधार पर किया गया, यह परिवारजनों को नहीं बताया गया है। सभी परिवार उनको मिले मुआवजे को लेकर असंतुष्ट हैं। इनमें 84 पट्टा धारित प्रभावित परिवार हैं, जिनके मुआवजा हेतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सर्वे के दौरान राजस्व विभाग (तहसीलदार छुईखदान) द्वारा जमीन की उपलब्ध्ता प्रमाण पत्र फर्जी ढंग से गलत जानकारी के साथ जारी किया गया, जिसमें मार्ग के दोनों ओर 20-20 मीटर आर.ओ.डब्यू. हेतु जमीन की उपलब्धता (शासकीय जमीन) बतायी गयी थी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों द्वारा शिकायत तथा आंदोलन करने पर तहसीलदार द्वारा जारी जमीन की उपलब्धाता प्रमाण पत्र गलत पाया गया। ए.डी.बी. परियोजना द्वारा बनाये जा रहे सड़क मार्ग में 15 ग्रामों दनिया, उदान, मौहाभाठा, बुंदेली, मैनहर, उदयपुर, खपरी, पद्मावतपुर, सिलपट्टी, गोपालपुर और कोडका के लगभग 700 किसान प्रभावित हैं। यहां किसानों को सूचना दिये बिना ही 70 एकड़ की लगानी जमीन में रोड बन गयी, जिसमें शासन द्वारा न तो अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी एवं न ही किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान किया गया। जिसका खामियाज़ा सभी 700 किसान और उनके परिवारजन भुगत रहे हैं। राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों सहित पूरे क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- यह कहना सही है कि छुईखदान-उदयपुर-दनिया रोड, लंबाई लगभग 26.96 कि.मी. ए.डी.बी. द्वारा मेसर्स एन.सी. नाहर ठेकेदार तथा परियोजना प्रबंधक श्री डी.के. महेश्वरी द्वारा निर्माणाधीन है। परंतु यह कहना सही नहीं है कि उक्त सड़क निर्माण से प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान करने के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वास्तविक तथ्य यह है कि अनुविभाग गंडई-छुईखदान के 12 ग्रामों के कुल 219 खातेदार प्रभावित हुए हैं। जिसमें से पूर्व में, अनुविभाग गंडई-छुईखदान के अंतर्गत 9 ग्रामों के 142 खातेदारों के प्रभावित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जिसमें से ग्राम सीताडबरी में प्रभावित 16 खातेदारों में से 08 खातेदारों को आपसी भूमि क्रय नीति 2016 के अंतर्गत क्रय पंजीयन कार्य पूर्ण किया जाकर मुआवजा राशि 19 लाख, 40 हजार, 400 रूपये का भुगतान हो चुका है। अन्य 12 खातेदारों का पंजीयन हेतु क्रय आदेश जारी किया गया है। 09

ग्रामों के शेष 134 खातेदारों का मुआवजा राशि का भुगतान संबंधी प्रकरण प्रक्रियाधीन है तथा 03 ग्राम जोम, उदान एवं मैन्हर के खातेदारों द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। छुईखदान-उदयपुर-दनिया मार्ग में प्रभावित कुछ खातेदारों का मुआवजा पत्रक में नाम छूट जाने से पुन: आंकलन की मांग की गई थी । इस मांग पर राजस्व विभाग एवं ए.डी.बी. द्वारा संयुक्त टीम गठित करते हुए पुन: सर्वे कराया गया है । सर्वे टीम द्वारा कुल 7 ग्रामों के 77 खातेदारों का अतिरिक्त रूप से उक्त सड़क निर्माण में प्रभावित होना उल्लेखित करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु परियोजना प्रबंधक ए.डी.बी. दुर्ग को प्रेषित किया जा चुका है । इस प्रकार छुईखदान-उदयपुर-दनिया मार्ग में कुल 12 ग्रामों के कुल 219 खातेदार प्रभावित हुए हैं ।

शासकीय भूमि पर स्थित संरचना मकान, दुकान, शौचालय, पशु शेड, बाउंड्रीवॉल के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. लोन-3) के द्वारा एन.जी.ओ. वन फाउंडेशन के माध्यम से नुकसान का सर्वे कार्य किया जाकर मुआवजा वितरण किया गया है । केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड रायपुर की गाईडलाईन के अनुसार 328 प्रभावित व्यक्तियों को 05 करोड़ 59 लाख, 27 हजार 615 रूपये एवं 48 शासकीय संरचनाओं को 39 लाख 29 हजार 275 रूपये अर्थात् कुल राशि 05 करोड़ 85 लाख, 06 हजार 890 रूपये का भुगतान करने के पश्चात् प्रभावित संरचना हटाया जा रहा है ।

छुईखदान-उदयपुर-दनिया मार्ग में प्रभावित होने वाले खातेदारों की लगानी भूमि का मुआवजा प्रकरण आपसी भूमि क्रय नीति 2016 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है, जिसमें नियमानुसार मुआवजा निर्धारण कर भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है । छुईखदान-उदयपुर-दनिया मार्ग में प्रभावित ग्रामों के कृषकों को मुआवजा राशि भुगतान किये जाने में राजस्व विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता नहीं बरती गई है और न ही प्रभावित किसानों सहित क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा जो ध्यानाकर्षण है । वह दो विभागों पी.डब्ल्यू.डी. और राजस्व से संबंधित है । माननीय मंत्री जी इसमें बहुत सी कार्यवाही तो सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तुत होने के पश्चात् शुरू हुई है । आपने स्वयं ने उत्तर में स्वीकार किया है कि पहली जो सूची बनी है । उसमें 142 किसान प्रभावित थे और 8 किसानों को मुआवजा दिया गया है । 134 किसानों का मामला प्रक्रियाधीन है । रोड का 90 परसेंट काम हो चुका है । वहीं जब दोबारा शिकायत की गयी तो फिर से सीमांकन कराया गया और 77 खातेदारों का नाम फिर से जोड़ा गया । आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं । आपने 5 करोड़ 85 लाख रूपये मुआवजा देना भी स्वीकार किया है । मैंने अपने ध्यानाकर्षण में 3 बातें उठायी हैं । पहला जब पी.डब्ल्यू.डी. ने कार्य सेंक्शन किया और रोड के लिये जब भी काम शुरू हुआ तो राजस्व विभाग के अभिलेख के अनुसार कितने लोगों की लगानी जमीन प्रभावित हो रही है उसकी पहली सूची बननी चाहिए थी । प्रभावित किसान शिकायत करने जाये यह कहां तक

उचित है ? उसके बाद आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पहली सूची 142 की बनी, बाद में दोबारा शिकायत करने में 77 की बनी तो यह कहीं न कहीं, मैं अव्यवस्था बोलूंगा । मेरा इसमें कोई आर्थिक लेनदेन का आरोप नहीं है लेकिन कहीं न कहीं हमारे दोनों विभागों में सामंजस्य की कमी है और सामंजस्य की कमी के कारण किसान परेशान होता है । सारे रोडों में लगभग-लगभग यही स्थिति है तो मेरा आपसे पहला आग्रह तो यह है कि दोनों विभागों में संयुक्त रूप से होना चाहिए कि काम शुरू होने के पहले कौन-कौन सा किसान प्रभावित होगा यह तय हो जाये । दूसरा विषय जो है, आपने जो 5 करोड़ 85 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया है । इसमें बड़ी संख्या पट्टेधारी किसानों की भी है । जो पट्टेधारी लोग हटाये गये हैं तो क्या उनको अन्य स्थान का पट्टा देंगे ? एक । जिन पट्टेधारी लोगों का कब्जा हटाया गया है, क्या उनको पट्टा देंगे ? यह मेरा नंबर वन प्रश्न है । नंबर दो, आप जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 134 और 77 जो बाद में सूची बनी, इनको कितने दिनों के अंदर मुआवजा दिलवा देंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि मुआवजे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इसके साथ-साथ जो 5 करोड़, 85 लाख रूपया जो भुगतान हुआ है । इसमें 5 करोड़, 59 लाख, 27 हजार 615 रूपए और 48 शासकीय संरचनाओं को 39 लाख 29 हजार । ये जो राशि का भुगतान हुआ है । इसमें जमीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ है । इसमें जिन लोगों ने भी वहां पर निर्माण कर लिया था उनको क्षतिपूर्ति के रूप में जो दिया जाता है, वह है । इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने पहले बताया जो खातेदार थे उनमें 142 और उसके बाद 77 जो बाद में संशोधन में जोड़े गए हैं । इनकी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उनको भुगतान हो जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, दो बातें हैं । प्रक्रिया चल रही है, अब शासन की प्रक्रिया कैसे चलती है यह आप भी जानते हैं । यह प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगी, समयावधि बता दें । इनका कुल मुआवजा कितना बनेगा और मैंने जो प्रश्न किया कि जिन पट्टधारियों का कब्जा मेन रोड गांव के अंदर से हटाया गया उनको व्यवस्थापन में और कहीं जमीन का पट्टा देंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पुनर्वास नीति में पात्र होने पर प्रकरण में पट्टे पर विचार किया जाएगा । दूसरी बात, मुआवजा राशि में बहुत सी ऐसी कमियां होती हैं जैसे पारिवारिक विवाद होते हैं कि मुआवजा कौन लेगा ? ऐसी बहुत सी जांच करनी पड़ती है । क्योंकि अगर गलत आदमी के पास मुआवजा जाएगा तो उसकी रिकवरी करना इतना आसान नहीं होता । इसलिए यह प्रक्रिया में है और हम लोग दोनों विभाग को निर्देश देंगे कि सामंजस्य स्थापित करके जल्दी से जल्दी मुआवजा भुगतान कर दें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया । मंत्री जी ने कहा कि कुछ मामलों में विवाद होता है । जो अविवादित प्रकरण हैं, जिनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, उनके लिए

तो कोई समय सीमा बताइए । मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का, मैंने जो ध्यानाकर्षण लगाया था, मैंने सचिवालय से निवेदन किया था कि कंबाइन कर ले लेकिन छूट गया । दो-दो साल हो गया काम पूरा हुए, लेकिन आज तक उनका मुआवजा सिर्फ प्रक्रियाधीन है । इसके लिए कोई न कोई समय सीमा आप निर्धारित कीजिए । 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इतने दिनों के अंदर हम अविवादित मामलों का भुगतान कर देंगे । दूसरा, आपने जो पट्टा देने की बात की । वे पात्र थे इसीलिए तो उनको पट्टा दिया गया, यदि अपात्र होते तो उनको पट्टा नहीं दिया जाता । जो पात्र थे उनको पट्टा दिया गया और उनको फिर से पट्टा दे दो, मैं यही बात कर रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुआवजा भुगतान का निर्धारण प्रक्रियाधीन है, अत: अनुमानित मुआवजा का आंकलन किया जाना संभव नहीं है, मुआवजा निर्धारण व भुगतान जल्द ही किया जाएगा । मैं पट्टे के बारे में फिर बता रहा हूं कि जो पुनर्वास नीति के तहत् होगा, इसमें जांच करा लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको अधिकार है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है । जो लोग पात्र थे उनको आपने पट्टा दिया, अगर वे पात्र नहीं होते तो उनके पट्टा नहीं देते । अब उनकी जमीन हटा ली गई तो उनको दूसरी जगह व्यवस्थित करो । पुनर्वास नीति में है तभी तो आप ने पट्टा दिया । दूसरा, आपको जो जमीन का मुआवजा देना है । आपको कोई न कोई समय सीमा तो निर्धारित करना चाहिए । यह प्रक्रिया अंतहीन होती है । शासन 20-20 साल चला लेता है । आप 4 महीना, 6 महीना, आप अपनी सुविधानुसार बताइए कि हम इतने दिनों के अंदर मुआवजा दिलाने की व्यवस्था कर देंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, जो मुआवजा वितरण किया जाता है, जो जमीन का अधिग्रहण होता है उसमें कम से कम एक-एक साल लगता है । ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें देरी हुई है । हम लोग कोशिश करके जल्दी से जल्दी भुगतान कराएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, अंतिम प्रश्न । आपने फिर जल्दी से जल्दी कराने की बात की । मैंने समय अवधि निर्धारित करने की बात की । आपने उत्तर में लिखा है 3 ग्राम जोम, उदान एवं मैनहर के खातेदारों द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अरे भाई, मेरी जमीन रोड में निकल गई आपके पास राजस्व विभाग की रिपोर्ट आ गई कि मेरी जमीन निकल गई । तो मुझे आवेदन करने की क्या जरूरत है ? विभाग को स्वस्फूर्त भी मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं न कहीं विभाग इसमें चूक रहा है । इसमें मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं । कहीं न कहीं हमारा विभाग इसमें लापरवाह है । अगर विभाग को समय सीमा निर्धारित कर देंगे तो किसानों को उसका फायदा मिलेगा।

समय :

1:00 बजे

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है। उन तीनों ग्राम के लोगों से भी हम जल्द से जल्द आवेदन मंगवा लेंगे।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी आपका नाम नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट पूछ लेने दीजिए ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, पुनर्वास नीति में, नियमों में अगर कोई पट्टेदार है, उसको हटाया जाता है तो उनको दूसरी जगह पट्टा दिया जाएगा। यह पुनर्वास नीति में भी है, नियमों में भी है। अभी आप दो तीन विधेयक ला रहे हैं, उसमें भी है। आप उनको पट्टा जल्द से जल्द कब तक दे देंगे, उनको दूसरी जगह दोबारा पट्टा कब तक दे देंगे, यह बता दीजिए ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैंने बताया ना कि इसमें जो क्षतिपूर्ति राशि दी गयी है, उसमें पट्टेदारी कितने हैं, उसको भी हम लोग दिखवा लेंगे और पट्टा नियम के अनुसार दिया जाएगा।

सभापति महोदय :- ठीक है।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज मिलेट से बने भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में और पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) रायपुर जिले में संचालित एवं स्वीकृत छात्रगृह आवास योजना का किराया लंबित होना।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

रायपुर जिले में शिक्षा सत्र 2014-15 से 2018-19 तक संचालित एवं स्वीकृत छात्रगृह आवास योजना का किराया लंबित है, जिसके इस वर्ग के विद्यार्थियों राजधानी रायपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान सत्र में योजना का संचालन षड़यंत्रपूर्वक बंद किये जाने से अजा/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, छ.ग. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 27.09.2001 के तहत छात्रगृह योजना प्रारंभ की गई है। छात्रगृह में 5 या 5 से अधिक छात्र/छात्रा एक ही स्थान पर रहते हैं और अपनी भोजन व्यवस्था स्वयं कर अध्ययन करते हैं, उन्हें आवास व्यवस्था अनुदान की पात्रता होती है। छात्रगृह के लिए किराये का भवन लेकर छात्रगृह की स्थापना की जाती है।

जिला रायपुर में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक निम्नानुसार छात्रगृह का संचालन किया जाकर स्वीकृत छात्रगृह के भवनों का किराये का भुगतान किया गया है :-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत छात्रगृहों की संख्या	कुल भुगतान राशि	लाभान्वितों की संख्या
1	2014-15	13	9,54,381	217
2	2015-16	20	29,29,540	271
3	2016-17	32	48,83,342	307
4	2017-18	26	49,26,730	260
5	2018-19	12	34,39,710	243

यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक छात्रगृह आवास का किराया लंबित है। बल्कि उपरोक्त अवधि में राशि रूपये 1,71,33,703/- का छात्रगृह आवास के किराये का भुगतान किया गया है जिसमें 1298 छात्र-छात्राएं योजना से लाभान्वित हैं। केवल वर्ष 2018-19 के 02 छात्रगृह जिसके भवन स्वामी श्री राकेश कोटले अग्रोहा कॉलोनी रायपुर तथा श्यामलाल ढीढी नया रायपुर जिनके भवन का किराया निर्धारण भाड़ा नियंत्रण अधिकारी से नहीं होने के कारण भवन का किराया भुगतान नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2019-20 में रायपुर जिले पूर्व से संचालित 33 छात्रगृहों के भौतिक सतपन करने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर के आदेश क्रं/छा.आ./291-2/2019-20/9784, दिनांक 09.01.2020 के द्वारा जांच दल गठित किया गया था। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर 33 छात्रगृह में से 14 छात्रगृह संचालित होना पाया गया जिसके आधार पर वर्ष 2018-19 के 12 छात्रगृहों के किराये राशि रूपये 34,39,710 का भुगतान वर्ष 2020-21 में किया गया है।

पूर्व में किये गये निरीक्षण को आधार मानते हुए वर्ष 2019-2020 में संचालित 09 छात्रगृहों के किराये राशि 28,56,000 रूपये का भुगतान वर्ष 2021-2022 में किया गया है। वर्ष 2020-2021 एवं

2021-2022 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के कारण छात्रगृह संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान सत्र में छात्रगृह योजना का संचालन बंद है। बल्कि वर्ष 2022-2023 में 04 छात्रगृह संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों में से 02 आवेदन सही पाये जाने की स्थिति पर इन छात्रगृह संचालन की स्वीकृति दिनांक 18.01.2023 को प्रदान की गई है। जिसमें 30 छात्राएं वर्तमान में निवास कर अध्ययन कर रही हैं। श्रीमती झगीता जोशी भवन स्वामिनी तथा श्री हितेन्द्र विश्वकर्मा भवन स्वामी जिनका भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा चुका है।

छात्रगृह योजना वर्तमान में रायपुर जिले में संचालित हो रही है। यह कहना गलत है कि इस वर्ग के विद्यार्थियों को राजधानी रायपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा यह कहना भी सही नहीं है कि विभाग के प्रति योजना संचालन पर किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति अऊ जनजाति के लइका मन गरीब होथे। आसपास के क्षेत्र में छात्रावास नहीं होए के कारण ओमन शहर में आके उच्च शिक्षा ग्रहण करथे। अइसे लगथे कि हमर सरकार के छवि ला खराब करे बर हमर विभाग के कर्मचारी-अधिकारी मन छात्र के लिए जो योजना संचालित है, ओला समय-समय में कम करत जात हें। जइसे कि मैं आप ला बताना चाहत हो वर्ष 2015-2016 में 20 छात्रगृह, वर्ष 2016-2017 में 32, वर्ष 2017-2018 में 26 अऊ वर्ष 2018-2019 से अभी 9 छात्रगृह हें। जेमे हमर लइका मन ला पढ़े में बहुत परेशानी होथे। पहिली हमन 500-600 लइका मन ला लाभान्वित करत रहे हन अऊ आज 25-25 लइका मन ओखर से लाभान्वित होथे। मेहा मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहत हो कि छात्रगृह के संख्या ला बढ़ाए जाएं अऊ जो भवन नहीं हे तो कब तक भवन निर्माण कराए जाही और कब तक नये छात्रावास बनाये जाएंगे? जिससे हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे लाभान्वित हो सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके द्वारा जो छात्रगृह की योजना का संचालन किया जा रहा है उसमें हमारे बच्चे लाभान्वित हो सके। जब छात्रगृह की योजना का संचालन किया जा रहा है तो हमारे अधिकारी-कर्मचारी उसको कम क्यों कर रहे हैं, इस पर आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, छात्रगृह योजना में यह प्रावधान है कि जिन बच्चों को छात्रावास में जगह नहीं मिलती है और यदि वह पढ़ना चाहते हैं और यदि 5 छात्र या 5 छात्रा एक स्थान पर रहना चाहते हैं तो वह आवेदन पत्र दे देते हैं। वह जिस संस्था में रहते हैं उस संस्था के प्रमुख के माध्यम से विभाग को सूचना मिलती है और फिर विभाग उनके पास भाड़ा नियंत्रण अधिकारी को भेजता है। यह योजना बंद नहीं की गई है यह योजना संचालित है। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, स्नातकोत्तर में पढ़ना चाहते हैं तो वह तय कर ले कि यदि वह 5 से अधिक की संख्या में वहां पर

आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। यदि ऐसे छात्र आते हैं तो हम उनके लिए यह व्यवस्था करते हैं। जो छात्रावास में रहते हैं वह छात्रावास में ही रहते हैं और जो छात्रावास में नहीं रह पाते हैं, उनके लिए यह योजना है। आपने कहा कि किराया लंबित है। मैंने पूरे विस्तार से इसको बताया है कि वर्ष 2014 से लेकर 2018-2019 तक जितने किराये लंबित थे, उनको दिया गया है। वर्ष 2019-2020 और वर्ष 2020-2021 में कोविड के समय वहां पर कोई छात्र नहीं रह रहे थे। इसलिए उनको नहीं दिया गया। लेकिन यह योजना अभी बंद नहीं हुई है। चाहे छात्र हो या छात्रा, जो भी पढ़ना चाहते हैं वह 5-5 की संख्या में यहां आ जाएं। वह जिस संस्था में रहते हैं उसके प्राचार्य या संस्था प्रमुख के माध्यम से वह आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए यह बिल्कुल खुला हुआ है।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि विगत 3-4 सालों से बहुत सारे लोगों की राशि बकाया है और वह बच्चों को रखते भी हैं। उनको बिजली का बिल और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसलिए वह बच्चों को अपने घर में रखकर उसको छात्रागृह के रूप में उपयोग करते हैं। मेरे पास उदाहरण है जैसे चन्द्रहास टण्डन, संतोषी नगर का लगभग 70 हजार रूपए बकाया है । श्यामलाल कुर्रे सेक्टर-6 चीचा, रायपुर का लगभग 4 लाख रूपया बकाया है । मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के लिस्ट हैं, जिनका लगभग 35 से 40 लाख रूपया बकाया है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनके किराये का भुगतान जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, मैंने कहा कि छात्रगृह योजना में जिनका मकान हमने किराये पर लिया है, अगर उनकी अनुमति भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के पास से नहीं मिली है तो हम कैसे किराया दे सकते हैं । जहां-जहां भुगतान हेतु लंबित हैं, वह आप मुझे दे दें, मैं उसका पूरा भुगतान करा दूंगा, लेकिन जो किराया निर्धारण नहीं हुआ है, वह लंबित है और जो छात्रगृह योजना के तहत छात्रों को रहना बताया गया था तो हमने अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है । वहां पर जांच कमेटी गई, जांच में पाया गया कि वहां पर छात्र नहीं रहते हैं, पर यहां पर छात्रों की संख्या बताई गई हैं, वहां कोई नहीं रहते हैं, ताला पाया गया । ऐसे प्रकरण में हम उनको किराया कैसे देंगे । आप जो बता रहे हैं, हम उसको देख लेंगे, परीक्षण करा लेंगे । अगर देने लायक होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा ।

(4) अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन दिसंबर, 2022 तक राजधानी रायपुर में पूरा नहीं हो पाया है। टेंडर प्राप्त करने वाले और क्रियान्वयन करने वालों

तक की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सड़कों को खोद कर महीनों तक पाईप लाईन नहीं बिछाई जा रही है, जिसके चलते अक्टूबर से लेकर 26 दिसंबर, 2022 तक, अस्थमा, अटैक और कार्डियक अरेस्ट के केस में आश्चर्य जनक ढंग से वृद्धि हुई है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर मेकाहारा तक में रोज डेथ हो रही है। यही नहीं केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 11 छोटे शहरों-कस्बों में नई पानी सप्लाई की लाईनें बिछाने के लिए अमृत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 540 करोड़ रूपए का फंड स्वीकृत हुआ है। जिन 11 कस्बों को प्रोजेक्ट में रखा गया है, उनमें से 4 रायपुर से लगे हुए हैं। इनमें रायपुर से लगा कुम्हारी अकेला नगरपालिका है, बाकी सब नगर पंचायतें हैं। दिसंबर, 2022 तक की स्थिति में इसके लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना तक नहीं बनाई है। जबकि इस योजना के तहत केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की टंकियां, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के साथ घरों तक नल पहुँचाने की लागत का मूल्यांकन कर सहायता दे रही है। अमृत मिशन योजना में नागरिकों को मूल सुविधा जलापूर्ति के अलावा सीवरेज, सेफ्टी, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थल और पार्क, सुधार प्रबंधन और सहायता, क्षमता निर्माण पर तो कोई कार्य योजना ही धरातल पर नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार के नाम पर प्रचारित कर रही है। इसके कारण प्रदेश के नागरिकों में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना अंतर्गत राजधानी रायपुर के पेयजल हेतु दो चरणों में परियोजनाओं की स्वीकृत हुई है । योजना में 61448 निजी नल कनेक्शन प्रदान करने का कार्य, 14 स्थानों में उच्च स्तरीय जलागार निर्माण एवं 80 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है । वर्तमान में 80 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 12 उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण एवं 61006 निजी नल कनेक्शन प्रदाय किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष कार्य जून, 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

योजनांतर्गत प्रगतिरत् कार्यों की मानीटरिंग निकाय के अभियंता एवं योजना हेतु नियुक्त पीडीएमसी द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा भी कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जाता है । योजना अंतर्गत कुल 855.96 कि.मी. पाईप लाईन बिछाया जाना है जिसमें से अद्यतन 834.13 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है । पाईप लाईन बिछाये जाने के कार्य हेतु प्रक्रिया के तहत् प्रस्तावित सड़क की खुदाई उपरांत पाईप लाईन बिछाया जाकर तत्काल बैक फिलिंग करते हुए मार्ग समतल किया जाता है । गड्डों की बैक फिलिंग कर नेचुरल कॉम्पैक्शन हेतु 30 दिवस तक समतलीकरण किया जाता है, जिसके पश्चात् रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया जाता है । उक्त कार्य के कारण अस्थमा अटैक व कार्डियक अरेस्ट संबंधी कोई भी शिकायत नगर पालिक निगम, रायपुर को प्राप्त नहीं हुई है ।

मिशन अमृत 2.0 योजना केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2021 में लागू की गई है। मिशन अवधि 2021 से 2026 तक है। मिशन अमृत 2.0 अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों (01 नगर पालिका परिषद एवं 10 नगर पंचायत) के जल प्रदाय परियोजना हेतु कुल राशि रू. 542.80 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.11.2022 को प्राप्त हुई है। जिसके उपरांत निकायों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण करते हुए अग्रिम कार्यवाही त्वरित रूप से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मिशन अमृत 2.0 हेत ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। योजनान्तर्गत अन्य निकायों के जल प्रदाय परियोजनाओं हेतु भी डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

अमृत मिशन योजनान्तर्गत नागरिकों को पेयजल आपूर्ति के अतिरिक्त हरित स्थल एवं उद्यान विकास कार्य एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। अमृत मिशन 2.0 योजना अन्तर्गत भी उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्य पूर्णता पर है। अत: प्रदेश वासियों में किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायपुर शहर की अमृत मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजना 2 चरणों में स्वीकृत हुई है। पहले चरण की योजना कितनी राशि की थी और कब तक पूरी होनी थी ? दूसरे चरण की योजना कितनी राशि की थी और कब तक पूरी होनी थी ? अगर योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है ? जरा इसकी जानकारी दे दें। उसी लागत भी बता दें ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय, रायपुर हेतु केन्द्र प्रवर्तित अमृत मिशन योजना अन्तर्गत राजधानी हेतु स्वीकृत कार्यों की जानकारी इस तरह से है। जल प्रदाय प्रथम चरण में 80 एम.एल.डी., नया विद्युतीकरण संयंत्र निर्माण, उच्चस्तरीय जलागार निर्माण, जिसमें जोरा, देवपुरी, बोरियाखुर्द, कचना, आमासिवनी का निर्माण कार्य, 7 नई टंकी हेतु 214 किलोमीटर जलवाहिनी बिछाये जाने का कार्य है। यह कार्यादेश 2014 और 2017 को दिया गया था। उसी तरह से रामनगर में 4900 किलो लीटर क्षमता का जलागार निर्माण कार्य का कार्यादेश 18.05.2017 को दिया गया था, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उसी तरह से श्याम नगर में 3300 किलोलीटर क्षमता का जलागार निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 19.05.2017 दिया गया था। यह कार्य भी पूर्ण हो गया है। भनपुरी में दूसरे चरण में 3200 किलोलीटर क्षमता, देवेन्द्र नगर में 3400 किलोलीटर एवं बैरन बाजार में 3400 किलो लीटर उच्चस्तरीय जलागार का निर्माण कार्य का कार्यादेश 12.09.2019 दिया गया था। यह कार्य भी पूर्ण हो गया है। रायपुर 2.0 में रायपुर के 2500 किलो लीटर, कुकरबेड़ा में 1000 किलोलीटर उच्चस्तरीय जलागार के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 03.03.2019 को दिया गया था। इसका फिनिशिंग कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और 31.03.2023 तक इस कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है। पैकेज 3.0 में लाभाण्डी, फुण्डहर में उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक

31.08.2020 को दिया गया था। यह कार्य 31.12.2023 को पूर्ण हो जायेगा। पैकेज 4.0 में रायपुरा, कुकुरबेड़ा, भनपुरी, शंकर नगर, ईदगाहभाठा, तेलीबांधा, मठपुरैना में जलवाहिनी बिछाने एवं घरेलू कनेक्शन का कार्य 8.3.2019 को कार्यादेश दिया गया था। पाईप लाईन का कार्य पूर्ण हो गया है। 31.3.2023 तक पूर्ण का टेस्टिंग कार्य 31.5.2023 तक पूर्ण कर लिया जाना है।

समय :

1.19 बजे **(सभापति महोदय श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, पैकेज 5.0 में बैरन बाजार, देवेन्द्र नगर, एम्स टाटीबंध, डंगनिया, संजय नगर, न्यू राजेन्द्र नगर, लालपुर में जल वाहिनी बिछाने एवं घरेलू नल कनेक्शन का कार्यादेश 8.3.2019 को दिया गया था। पाईप लाईन का कार्य 31.3.2023 तक पूर्ण कर टेस्टिंग कार्य 31.6.2023 तक पूर्ण किया जाना है। इसी तरह से 200 एम.एल.डी. का चंदनीडीह में 75 एम.एल.डी. का 11.42 किलोमीटर का सीवर लाईन ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने यह जानकारी चाही थी कि जो पहले चरण का काम है, उसकी स्वीकृति कब मिली, कब तक पूर्ण होना था ? दूसरे चरण की स्वीकृति कब मिली, उसको कब तक पूर्ण होना था, रायपुर जैसी राजधानी में अमृत मिशन योजना के लिये कितने-कितने पैसे पहले चरण में मिले, दूसरे चरण में मिले और अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? उसमें खाली भ्रष्ट्राचार का खेल चल रहा है । कितने पैसे का उपयोग अभी तक हुआ है और इसमें आपको कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? माननीय मंत्री जी रायपुर शहर जैसे सरकार की नाक के नीचे, वहां पर भी भ्रष्ट्राचार का खेल चल रहा है और काम पूरा नहीं हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्ट्राचार की बात कहां आ गई है ? जबरदस्ती का कुछ भी बोल रहे हैं ? काम के बारे में पूछ रहा है, भ्रष्ट्राचार कहां शुरू गया ? मैं आपको बता तो रहा हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना फेस वन में स्वीकृत राशि 156 करोड़ था, जलप्रदाय योजना फेस 2 में स्वीकृत राशि 269.83 लाख है, दोनों का प्राप्त राशि 352 करोड़ रूपये है, जिसमें पहले फेस में व्यय राशि 133.26 करोड़ और दूसरे फेस में 223.83 करोड़ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहली योजना की स्वीकृति कब मिली और कब तक पूरा होना था ? दूसरी योजना की स्वीकृति कब मिली और उसे कब तक पूरा होना था ? यदि पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिये कौन दोषी है और आपने क्या कार्यवाही की है ? जो दोनों एजेंसियां हैं, पी.डी.एम.सी. और केन्द्र सरकार की थर्ड पार्टी इन दोनों ने इसके बारे में क्या रिपोर्ट दी है ?

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी । जवाब दीजिए ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर जल प्रदाय योजना फेस 1 की निविदा आमंत्रण 5-5-2017 को हुई थी और 15,079 लाख रूपये स्वीकृत राशि है और कार्य की अवधि 30 माह थी । माननीय सभापति महोदय, इसमें 96 परशेंट कार्य पूर्ण हो चुका है । उसी तरह फेस 2 का काम 6-10-2018 को निविदा आमंत्रण किया गया था । 11279 लाख रूपये की इसमें स्वीकृति हुई थी और काम 18 महीने में पूर्ण किया जाना था । इसमें 93 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है और तीसरे में 98 प्रतिशत का काम पूर्ण हो चुका है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं जो पूछ रहा हूँ...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट रूको ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि वर्ष 2017 में इसकी स्वीकृति दी गई और 30 माह में काम पूरा होना था । आज 2023 चल रहा है, आज 65 महीने हो गये हैं, 30 महीने के बजाय 65 महीने हो गये हैं । वर्ष 2018 में जो काम स्वीकृत किये गये, वह 18 महीने में पूरे होने थे, आज उसको 60 महीने हो गये हैं । इतने दिनों में भी यह काम पूरा क्यों नहीं हुआ है, आज भी रायपुर शहर टैंकरों के भरोसे है । क्या नगर निगम टैंकरों में पैसा कमाने के लिये भ्रष्ट्राचार करने के लिये इन कामों को पूरा नहीं कर रहा है ? मंत्री जी, मेरा आपके ऊपर में आरोप नहीं है, रायपुर नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है, अपने लोगों को चिन-चिन के दे, ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया गया है, जो काम को पूरा नहीं कर रहे हैं । आप जो काम पूरा कर रहे हैं, मैं इसके बाद प्रश्न पुछूंगा । माननीय मंत्री जी बतायें कि 61 हजार नलों में से कितने घरों में नल का पानी पहुंचना प्रारंभ हो गया ? अपने ही जवाब में देते हैं कि वर्ष 2023 के तीसरे महीने तक काम पूरा होगा । इसमें मेरे जवाब में बोलते हैं कि काम पूरा हो गया है । जरा मंत्री जी यह बता दें, एक काम 30 महीने में पूरा होना था, दूसरा काम 18 महीने में पूरा होना था, वह काम अभी तक पूरे नहीं हुये तो आपने क्या कार्यवाही की है ? जो पी.डी.एम.सी. है, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन है, उन्होंने आपको क्या-क्या रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद में आपने ठेकेदारों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बता दिया है कि अधिकांश काम हो चुका है, 98 प्रतिशत काम हो गये हैं, 93 प्रतिशत काम हो गये हैं, अधिकांश काम जो थे, वह पूर्ण हो चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी के पास जवाब नहीं है, मैं तारीख पूछ रहा हूँ । मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए । 61,448 घरों में नल का पानी पहुंचना था, अगर 93 प्रतिशत, 98 प्रतिशत काम पूरा हो गया है तो कितने घरों में नल का पानी पहुंचना शुरू हो गया है ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- 61,006 लोगों का हो गया है माननीय सभापति महोदय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, मैं आपसे जवाब नहीं, तारीख पूछ रहा हूं। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं आप उसके जवाब में केवल यह बता दीजिये। 61 हजार 448 घरों में नल का पानी पहुंचना था। यदि 93 प्रतिशत या 98 प्रतिशत काम पूरा हो गया है तो 61 हजार 448 घरों में से उस नल के माध्यम से कितने घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, 61 हजार 06 लोगों के घरों में कनेक्शन हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं कितने घरों में नल का काम हो गया, यह नहीं पूछ रहा हूं। कनेक्शन में पानी नहीं पहुंच रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं कनेक्शन की बात तो कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मंत्री जी कुछ और बता रहे हैं कि यहां की टंकी निर्माणाधीन है, वहां की टंकी निर्माणाधीन है। तो पानी कैसे पहुंच गया ? इसमें 61 हजार में से 20 हजार लोगों के घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं 300, 400 ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, इनके पास भ्रष्टाचार बोलने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, अग्रवाल जी को केवल भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पहले फेस में 440 करोड़ रूपये और दूसरे फेस में 540 करोड़ रूपये, लगभग 11 सौ करोड़ रूपये शहरों में पानी पहुंचाने के लिये मिला है। अकेले सिर्फ रायपुर शहर के लिये 440 करोड़ रूपये मिला है। 440 करोड़ रूपये मिलने के बाद भी घरों में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है ? टंकी का काम कम्प्लीट क्यों नहीं हो रहा है ? जिस काम को 30 महीने में पूरा करना था, वह काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है ? जिस काम को 18 महीने में पूरा करना था, वह काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस काम को आपने 2017 में दिया तो 30 महीने कब पूरे होते हैं और समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की ? आपने दूसरे फेस को 2018 में दिया, वह काम 18 महीने में पूरा होना था लेकिन आज 60 महीनों के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है और घरों में नलों में पानी नहीं आ रहा है। जो दोषी है, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, आप प्रश्न पूछिये। यह तो पूरा भाषण दे रहे हैं। प्रश्न भी नहीं करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अब यह आप समझ लीजिये कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं या भाषण दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से समय-सीमा पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- चलिये मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, आपने जवाब दिया है कि 61 हजार 448 में से 61 हजार 06 घरों में नल के कनेक्शन लगे हैं परंतु उसमें पानी नहीं जा रहा है, टंकियों का निर्माण नहीं हुआ है, पाइपलाइन को नहीं जोड़ा गया है (व्यवधान) पाइपलाइन से।

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान) सुनोगे या सिर्फ भाषण देने का काम करोगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुनिये तो अग्रवाल जी, हल्ला मत करिये ना।

सभापति महोदय :- बैठिये। जवाब आने दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसके बगैर रायपुर राजधानी में हजारों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापित महोदय, आप मंत्री जी, श्री कवासी लखमा को प्रताड़ित कीजिये, यह बार-बार खड़े हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीज।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, इसको बोलिये यह भी बार-बार उठते हैं। क्योंकि हमको उसका जवाब देना है, हमको सरकार चलाना है, जनता को पानी पिलाना है। यह कुछ नहीं करते हैं केवल बार-बार बोलते रहते हैं।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा जी, आप बैठिये। मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, 61 हजार घरों में नल लग गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कवासी जी, हम आपको अनुमित दे देते हैं, आप इनके टेबल में चढ़कर बोलिये ना। बैठे-बैठे बोलने के बजाय यहां चढ़कर बोलिये, टेबल में आ जाओ। टेबल में खड़े होकर बोलिये।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, उनको बैठे-बैठे बोलने की जगह टेबल में खड़े होकर बोलवाईये। सारी परंपराएं तार-तार हो रही है, आप इसको भी तार होने दो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, 61 हजार घरों में नल लग चुके हैं। उसमें 60 हजार घरों में पानी चालू है। इसमें जो 01 हजार घर है, उनमें ग्रीष्म काल में परीक्षण किया जाना है, परीक्षण करके उनको भी पानी दिया जायेगा। नल लग चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब आपकी राम नगर की टंकी नहीं बनी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, बन गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने अपने जवाब में बोला है, आप दिखवा लीजिये। जब आप बोल रहे हैं कि टंकियों का निर्माण मार्च, 2023 तक पूरा होगा। मैं यहां पर अकेला नहीं हूं, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी है, माननीय कुलदीप जुनेजा जी है, माननीय विकास उपाध्याय जी है, ये भी

जानते हैं कि कितने घरों के नलों में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। उनकी मजबूरी है कि वह नहीं बोल सकते। इसलिये मैं आपके सामने बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी जो काम 30 महीने में होना था, वह नहीं हुआ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, मैं बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप एक बार सुन लीजिये। जो काम 30 महीने में होना था, आज 60-65 महीने पूरे हो गये, वह काम पूरा नहीं हुआ। जो काम 18 महीने में होना था, आज 60 महीने होने के बाद भी वह काम पूरा नहीं हुआ। जो सड़के खोदी गयी है, समाचार पत्रों में रोज आ रहा है कि धूल के गुबार उड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपको स्वास्थ्य विभाग से जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जानकारी ले ली है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह योजना जब से शुरू हुई है, तब से कितने लोगों के दमा के केस बढ़े हैं, कितने लोगों के टी.बी. के केस बढ़े हैं, कितने लोगों के हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं, धूल के कारण कितने लोगों की लंग्स की बीमारी बढ़ी है ? यदि आपने इसकी जानकारी ली है तो आप मुझे बता दें कि उसमें पिछले एक साल में उसकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ? वर्ष 2019-20 में कितने थे और वर्ष 2020-21 में कितने हुए और वर्ष 2022-23 में कितने हुए, आप यह मुझे बता दें?

सभापति महोदय :- चलिए। अब समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां 834 किलोमीटर में पाईप लाईन डाली गई है क्योंकि माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। वहां 834 किलोमीटर में पाईप लाईन डाली गई है उस 834 किलोमीटर में से कितने को रिस्टोर करके, उसके ऊपर में फिर से जैसी सड़क थी, वैसे ही सड़क या कांक्रिटीकरण या डामरीकरण कर दिया गया है क्या ? और यदि नहीं किया गया है तो वह कब तक करवा देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य टैंकर के बारे में बात कर रहे थे। इनके समय में तो टैंकर ही चलता था। अभी हमारे यहां नगर निगम में...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह ध्यानाकर्षण है। यह बजट भाषण नहीं है। मैंने प्वाईंटेड प्रश्न पूछे हैं। रायपुर राजधानी सबके लिए है। यहां की सड़कें नहीं बनेंगी, खुदाई हो जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, लोग धूल के गुबार में रहेंगे। अगर हम राजधानी को ठीक नहीं कर सकते तो हम बाकी जगहों को क्या ठीक करेंगे ?

सभापति महोदय :- आप जवाब दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्वाईंटेड प्रश्न पूछा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्वाईंटेड प्रश्न का प्वाईंटेड उत्तर ही बता रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां 834 किलोमीटर में खुदाई हुई है उसमें कितनी सड़कों का रिस्टोर हो गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। इनके समय में 64 टैंकर चलते थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी फिर वही बात कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने प्रश्न किया है आप उसका जवाब तो सुनेंगे।

सभापति महोदय :- वह उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने प्वाईंटेड प्रश्न पूछे हैं कि वहां 834 किलोमीटर में खुदाई हुई है उसमें कितनी सड़कों का रिस्टोर हो गया है? आप यह कब तक करवा देंगे ?

सभापति महोदय :- इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप लास्ट जवाब दीजिए।

वाणिज्यिक कर (आबकारी)मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप थोड़ा सुनिए तो इधर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह मिलीभगत है, वहां काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप उनका जवाब तो सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब आने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, जो 834 किलोमीटर में पाईप लाईन बिछाने का काम पूरा किया गया है इसमें 11 किलोमीटर..। पाईपलाईन विस्तारीकरण का 834.13 किलोमीटर प्रगति हो गई। इसमें 21.43 किलोमीटर शेष बचा है जो सड़क बना रहे है उसे टेस्टिंग के लिए रखा जाता है हम बिना टेस्टिंग के सड़क बना देंगे तो बाद में दिक्कत होगी तो कहां पर फॉल्ट है, वह पता नहीं चलेगा। 833 किलोमीटर जो रेस्टोरेशन का कार्य हो गया है । अब 1.13 किलोमीटर शेष है, जो टेस्टिंग के लिए बचा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय,मैं प्वाईंटेड प्रश्न का प्वाईंटेड उत्तर बता रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लें। आप भी इस शहर में रहते हो। जो सड़कें खोदी गई हैं उनको केवल मिट्टी से बराबर कर दिया गया है। उसके ऊपर डामरीकरण या कांक्रीटीकरण नहीं किया गया है। नियम के तहत जो उसको खोदता है, उस सड़क को पुराने स्वरूप में लाना है। वह सड़क पुराने स्वरूप में नहीं आने से वहां धूल के कारण मोहल्ले-मोहल्ले में लोग इतने परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें लोग गिर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपने यह काम ठेकेदारों से करवाना है और ठेकेदार अपना पैसा बचाने के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं। अभी गर्मी का समय है और ज्यादा धूल उड़ेगी, लोग बीमार पड़ेंगे। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूँ कि आप उन सब सड़कों को कब तक ठीक करवा देंगे ? आप इसके लिए पूरी तरह निर्देश जारी करेंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इनको बता दिया कि रेस्टोरेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। जो 1.13 किलोमीटर बचा है वह हम टेस्टिंग के बाद करवा देंगे। इसमें कॉम्पेक्टिंग के लिए कुछ समय लगता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, उसमें समय लगता है तो कॉम्पेक्टिंग के बाद ही किया जाता है। यह जो 21.83 किलोमीटर बचा है और जो 1.13 किलोमीटर बचा है उसके बाद हम करवा देंगे, हम मना कहां कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है। अब समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है और इस पर प्रश्न है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत मूल सुविधा जल आपूर्ति, सिवरेज, सेफ्टी, वर्षा जल की निवासी, शहरी परिवहन, हरित स्थल, पार्क का सुधार, प्रबंधन, सहायता क्षमता निर्माण इसके लिए आपने क्या-क्या काम किया है ? और इस अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कितना पैसा खर्च किया गया है ? जरा इसकी जानकारी दें दें।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, यह लास्ट है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी एक सवाल है कि अमृत मिशन योजना को लेकर पूरे शहर में, सब जगह गलियों के अंदर सड़कों की खुदाई हो रही है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी टेस्टिंग होनी बाकी है इसलिए वहां पर हम सड़क नहीं बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर टेस्टिंग भी हो चुकी है इसके बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है । यह ठेकेदार के इसमें है रोड बनाना है या नहीं बनाना है। कृपया माननीय मंत्री जी यह बताने बतायेंगे कि यह शर्त ठेकेदार के निविदा में है या नहीं? अगर है तो इतने दिन तक क्यों छोड़ा गया है? पूरे गलियों में रोड की

खुदाई हो रही है।

सभापति महोदय :- इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति जी, मैं भी माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दुर्ग में भी लगभग 20 हजार कनेक्शन हैं, सड़क खुदी हुई है, आपने कहा कि रेस्टोरेशन का काम हो रहा है, उससे हम संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय :- पहले रायपुर को निपटने दीजिए, बाद मे दुर्ग जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- दुर्ग के मामले में स्थगन लेकर आईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना के तहत रायपुर हेतु स्वीकृत कार्यों की जानकारी मैं आपको बता देता हूं। 80 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र का एक लक्ष्य था, यह कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। उच्च स्तरीय जलागार निर्माण का काम जो है, यह 14 बनाये जाने थे उसमें 12 पूर्ण हो गये हैं, 09 में जल आपूर्ति प्रारंभ कर दी है, 3 जलागारों में टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 30 हजार नल कनेक्शन।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं 30 हजार नही बोल रहा हूं। आप थोड़ा सा उत्तर सुनिये। 14 नग में 12 नग पूर्ण हो गये हैं, 02 बचे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा यह बता दो कि यह 02 टंकियों से कितने नलों में पानी की आपूर्ति होनी है ? आपकी जानकारी में क्वांटीटिक्शन है। यह कितने नलों में पानी की आपूर्ति होनी है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, कोई क्वांटीटिक्शन नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिये, इस विषय में बहुत चर्चा हो गई। कृपया समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने यह पूछा है कि वर्षा जल निकासी, सीवरेज, सेफ्टी निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थल, पार्क, सुधार प्रबंधन, उसके बारे में भी यह जानकारी दे दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, हर 2 मिनट में जवाब पाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति जी, एक ध्यानाकर्षण में क्या एक-एक घंटे प्रश्न पूछेंगे ?

सभापति महोदय :- इस संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है। कृपया समाप्त करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, जो काम पूछ रहे हैं उसी को तो उनको बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पार्क का, सीवरेज का पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हॉ सीवरेज का, सीवरेज प्लांट का निर्माण, .. आप सुनिये न।

सभापति महोदय :- आप बैठकर प्रश्न न करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं हरित स्थल का, सीवेरज, सेफ्टी, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन, पार्क सुधार का पूछ रहा हूं। उसके बारे में जानकारी दीजिए।

सभापति महोदय :- आप शून्यकाल की सूचनायें लूंगा।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे है, वह बार-बार उठ रहे हैं, ऐसा थोडी होता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, मैं सबका तो उत्तर बता रह हूं। एक-एक करके उत्तर बताऊंगा कि एक साथ सभी का उत्तर बता दूंगा। 9 नग उद्यान बनाने का था, 9 पूर्ण हो गये हैं, 200 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 03 नग का निर्माण था, 03 नग प्रगति पर हैं। इसमें से 90 एम.एल.डी. के कारा, 35 एम.एल.डी. का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 27 जून 2022 को प्रारंभ किया जा चुका है। चंदनीडीह में 75 एम.एल.डी. प्लांट का कार्य पूर्ण हो गया है, ट्रायल काम चल रहा है, सीवर लाईन 11 किलोमीटर से 500 मीटर कार्य बचा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चल रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उसकी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग के बाद चालू कर देंगे। वही तो आपको बता रहा हूं।

सभापति महोदय :- अब नियम 267-के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने प्रश्न किया है। आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं हुआ। यदि समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं करते ?

सभापति महोदय :- इस विषय में काफी चर्चा हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरे इसमें 04 पैराग्राफ हैं, अभी तो मैंने खाली रायपुर शहर का फेस-1 और फेस-2 का पूछा है। इसके तहत 540 करोड़ रुपये की राशि 11 शहरों के लिए और स्वीकृत हुई है और आज तक उसकी डी.पी.आर. नहीं बना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डी.पी.आर. बन गया है। यह असत्य बोलते हैं। 11 जगहों का डी.पी.आर. बन गया है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर हो गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरे पास उत्तर है। यह बोलते हैं कि असत्य बोल रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके पास उत्तर है, हम आपको थोड़ी उत्तर दिये हैं।

सभापति महोदय :- इस विषय में बहुत चर्चा हो गई है। सब आ गया है। समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी को बोलना चाहिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, शहरी परिवहन, हरित स्थल, पार्क, सुधार प्रबंधन, क्षमता निर्माण के लिए क्या काम किये गये हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने सबका उत्तर दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसके बाद मैं यह भी बोल देता हूं, यह पूरा ध्यानाकर्षण दो पार्ट में है, एक पार्ट में रायपुर शहर है और एक पार्ट में दूसरे चरण में 11 शहरों के लिए दिया गया है, उसके बारे मैंने पूछा है। रायपुर शहर में अमृत मिशन के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था, क्षमता निर्माण, हरित स्थल विकास, पार्क विकास के लिए पैसा दिया गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, बृजमोहन जी, पूछने के लिए सक्षम हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हरित क्रांति का हो तो गया है। 9 काम थे, वह पूरे हो गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं खाली आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अमृत मिशन के पैसे में बहुत बड़ा स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, यह कितना बार प्रश्न पूछ सकते हैं?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह राजधानी का रायपुर शहर का मामला है।

श्री शिवरतन शर्मा :- जितना संभव है उतना और पूछ सकते हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज। सहयोग करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, प्रश्नों का उत्तर तो लाईये। आप माननीय मंत्री जी के प्रश्नों का उत्तर तो लाईये।

सभापति महोदय :- आ गया, आ गया। शर्मा जी, बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, क्या पूरे रायपुर शहर के अमृत मिशन के तहत आपने स्वीकार किया 440 करोड़ रूपये से ज्यादा फस्ट फेस में स्वीकृत हुए हैं तो यदि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, काम पूरे नहीं हुए हैं, समय-सीमा पर काम नहीं हुआ है तो क्या आप इसकी जांच करवा कर दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमा डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, 98 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। कहीं कोई इस तरह की शिकायतें नहीं आई है। जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक चीज बचा है।

सभापति महोदय :- चलिये, खत्म करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है।

श्री कवासी लखमा :- यह कितने बार पूछेंगे? दिन भर पूछेंगे क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि माननीय मंत्री जी मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप अमृत मिशन दो में 11 शहरों के लिए 540 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए तो 11 शहरों का नाम बता दें। आपने स्वीकृति की जो दिनांक दी है, उसमें नीचे कहा है कि हम टेंडर की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके नीचे आप कह रहे है कि डी.पी.आर. की कार्रवाई चल रही है। डी.पी.आर. की कार्रवाई चल रही है या टेंडर की कार्रवाई चल ही है और 11 शहरों को कितनी-कितनी राशि मिली है? यह आप बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बता देता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, उत्तर आने दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, सह 11 शहरों में जल प्रदाय योजना कुम्हारी के लिए 11,821 लाख रूपये और निविदा दर की स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। जल प्रदाय योजना समोदा के लिए 3,095.07 लाख रूपये की स्वीकृति हुई है। द्वितीय निविदा आमंत्रित हो गई। अंतिम 23.03.2023 है। इसी तरह जल प्रदाय योजना प्रेम नगर के लिए 3446.42 लाख रूपये द्वितीय निदिा आमंत्रित हुई है। वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 22.03.2023 को खोला जाएगा। जल प्रदाय योजना बोदरी है। इसकी लागत राशि 7716.05 लाख है। इसका प्रथम निविदा आमंत्रित की गई है। अंतिम तिथि 22.03.2023 है। इसी तरह जल प्रदाय योजना फिंगेश्वर है। इसकी लागत राशि 3941.58 लाख है। निविदा दर टेंडर कम्प्लीट हो गया है। निविदा दर की प्रक्रिया प्रचलन में है। जल प्रदाय योजना माना कैंप 4437.94 लाख का है। इमें टेडर कम्प्लीट हो गया है। निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, समाप्त करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, मैं इनको 11 गांव के बारे में बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- हो गया। हो गया। यह आपका अंतिम प्रश्न था। प्लीज-प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- बहुत हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह राजधानी का रायपुर शहर का हम लोगों को हम माननीय जगत गुरू को सोचते थे कि जल जीवन मिशन में ही गड़बड़ हो रही है, परंतु इससे बड़ी गड़बड़ नगरीय प्रशासन में हुई है। (व्यवधान)

समय :

1.43 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

सभापति महोदय :- निम्नलिखत सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री चंदन कश्यप
2. श्री शैलेश पांडे
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. श्री बघेल लखेश्वर
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

(प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

समय :

1.43 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

समय :

1.43 बजे

<u>शासकीय विधि विषय कार्य</u>

सभापित महोदय :- मैंने, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

1. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)
2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकारी विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)
3. छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) तथा
4. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहितस (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुरःस्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है।

मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नियमों के अनुसार विधेयक दो दिन पहले सदस्यों को वितरित होना चाहिए। हमारे सदन की कार्यवाही आज भी है, कल भी है और परसो भी है तो इसकी आवश्यकता ही क्या है कि आज ही प्रिंट करना, आज ही पारित करवाना? क्योंकि यह लेजिस्लेटिव एजेंबली है और लेजिस्लेशन बनाना हमारा प्रमुख काम है और उस प्रमुख काम को भी हम जल्दबाजी में निपटायें, उसके ऊपर चर्चा नहीं करें । कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं । जिन विधेयकों से छत्तीसगढ़ का भविष्य तय होना है तो इसलिये हम चाहेंगे कि पुर:स्थापन आज करवा दें परंतु उसके ऊपर चर्चा आप कल करवा लें, परसों करवा लें । आखिर ऐसी आवयश्यकता क्या है?

श्री धरमलाल कौशिक :- कल भी नहीं हो पायेगा तो 24 तारीख को करवा दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पुर:स्थापन के साथ चर्चा भी जरूरी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है । सदन में पूरा उपस्थित होकर पूरे बजट को हमने एक दिन पहले पारित किया, विनियोग को हमने एक दिन पहले प्रस्तुत करवाया । हम इसमें भी सहयोग करेंगे । सरकारी बिजनेस जितना है उसको पूरे को पास करेंगे परंतु नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता क्यों है ? अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर इसे 23 या 24 तारीख को लेना चाहिए । आज इसको लेने की आवश्यकता नहीं है । आज ही पुर:स्थापित करना, अब एक पत्रकार संशोधन विधेयक आया है । वह मूल विधेयक है और मूल विधेयक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 15 पेज का विधेयक है । हमको उसको पढ़ना है, हम कैसे उसके ऊपर में चर्चा करेंगे ? हम चाहेंगे कि यहां से यदि हम कोई कानून पास करें तो पुख्ता कानून पास करें । इसे जिस दिन प्रस्तुत हुआ उसी दिन पास करने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहेंगे कि इसके बारे में आपको व्यवस्था देनी चाहिए और आपको यह कहना चाहिए कि इसको 23 या 24 तारीख को ले लिया जाये ।

सभापति महोदय :- चलिये, इस संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री से पूछ लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है । यह अलग-अलग विधेयक हैं और इस विधेयक में एक-दो संशोधन नहीं, कुछ मूल विधेयक है, कुछ संशोधन के हैं । आज वितरित किया गया है और वितरित करने के बाद में आज पुर:स्थापन और चर्चा यह संभव नहीं है । यदि इस सत्र का आज सदन का अंतिम दिन होता ।

सभापति महोदय :- इस संबंध में संसदीय मंत्री जी से पूछ लें । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, पुर:स्थापन करने की बात है । (व्यवधान) इसमें परसों चर्चा करा लें । चर्चा करवाने के बाद इसे पारित करें । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के हमारे साथी बहुत विद्वान हैं । वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं । (व्यवधान) हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहे हैं और बृजमोहन जी भी बहुत विद्वान साथी हैं । वे 3 बार के मंत्री रहे हैं । इतना ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं । आप इसको एक झलक में पढ़ लेंगे, इसमें चर्चा करायी जाये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि आसंदी से व्यवस्था आ ही चुकी है उसके बाद माननीय बृजमोहन जी ने आपको यह सुझाव दिये तो आसंदी की व्यवस्था में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा । नंबर एक। इस सदन में इसके पूर्व भी इस प्रकार से पुर:स्थापन और चर्चा एक ही दिन में हुई है। आप भी जब आसंदी में थे तब भी हुई है इसलिये कोई नयी चीज नहीं हो रही है। नंबर दो और तीसरी बात कि कल विनियोग की पूरे दिन चर्चा है इसलिये आज सारे विधेयकों पर चर्चा करने का अवसर है इसलिये तय किया गया कि केवल, बाकी सारे विधेयक का पुर्नस्थापन तो पहले हो चुका है । आपका तो संशोधन विधेयक है । यह केवल पत्रकारों की सुरक्षा के संदर्भ में जो विधेयक लाया गया है चूंकि सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और हम लोग समझते हैं कि उसका पारण तत्काल आवश्यक है इसलिये आसंदी ने जो व्यवस्था दी, मैं समझता हूं कि वह बेहतर है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारी आपत्ति है कि नियम-कार्य, प्रक्रिया संचालन समिति के तहत् किसी भी मूल संशोधन विधेयक में विधायकों को संशोधन प्रस्ताव देने का भी अधिकार है । अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप सदन को तो गुमराह मत करिये । पहला विधेयक टी.एस. सिंहदेव, मालसेवा कर, यह संशोधन विधेयक आज पुर:स्थापित होगा । दूसरा विधेयक श्री जय सिंह अग्रवाल, यह आवासहीन व्यक्ति को पट्टा देने का यह आज पुर:स्थापित होगा, तीसरा विधेयक भूपेश बघेल जी, मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक यह आज मूल विधेयक है, यह आज यहां पर पुर:स्थापित होगा । जयसिंह अग्रवाल जी, भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक यह आज यहां पर पुर:स्थापित होगा । डॉ. शिवकुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री जी, छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक यह विधेयक...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बोल रहा हूं भई । (व्यवधान) ये कोई चीज सुनने को तैयार ही नहीं हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, ये आसंदी के निर्णय के खिलाफ में बोल रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसके ऊपर में चर्चा करा लें । यह पहले प्रस्तुत...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब एक-बार निर्णय ले लिया है तो उसके बाद उसमें आपत्ति लगाने का क्या मतलब है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसके ऊपर में चर्चा करवा सकते हैं । इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है । यह पुर:स्थापित हो चुका है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, जब आसंदी ने व्यवस्था दे दी है तो आसंदी की व्यवस्था के खिलाफ ये क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आसंदी की व्यवस्था के विरूद्ध कोई भी बात करना उचित नहीं है । यह परंपरा रही है और सदन की यह परंपरा रही है कि आसंदी को चुनौती देना उचित नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, श्री टी.एस.सिंहदेव जी । (व्यवधान)

समय
1.50 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7, सन् 2023)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023) (क्रमांक 7, सन् 2023 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि हम लोग किसी लेजिसलेशन के मामले को, हम चाहते हैं कि यह सदन की कार्यवाही में आना चाहिए कि अगर सदन में नियम तोड़े गए हैं, हमारी कार्य संचालन नियमावली के नियमों को तोड़ा जा रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, कोई नियम नहीं तोड़ा गया है । पहले भी कौशिक साहब आसंदी पर थे तो ऐसा हो चुका है । यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है । आसंदी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नही होगा और आसंदी ने जो आदेश पारित किया है हमें उसका पालन करना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह कानून बनाने वाली संस्था है । अगर कानून बनाने वाली संस्था में ही कानून तोड़े जाएंगे तो हम कहां जवाब देने के लिए उपस्थित होंगे ? जब हमारे पास में दो दिनों का समय है । जो पुर:स्थापित हो चुके हैं उन पर आप चर्चा करवा लीजिए । जो पुर:स्थापित नहीं हुए हैं, उन्हें आज ही पुर:स्थापित करना उचित नहीं । हमको संशोधन देना है ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, इतनी देर में तो विधेयक पुर:स्थापित हो जाता, ये समय ले रहे हैं । हर बारे में टोकते रहते हैं । इनके नेता खड़े होते हैं तो भी नहीं मानते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दूसरा वाला पढ़वाइए सभापति महोदय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी बात आ जाए । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाएं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी बात आ जाए, उसके बाद आपका निर्णय शिरोधार्य होगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं । कोई नियम प्रक्रिया से अलग नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छे कानून बनें, हम उसका स्वागत् करते हैं । परंतु हम चाहते हैं कि चर्चा में सब चीजें आ जाए, हम इस काम को नियमानुसार करें । अगर आज ही समापन जैसा कि माननीय धरम कौशिक जी ने कहा, पूर्व में भी कार्यवाहियां हुई हैं, वह कब हुई हैं अगर अंतिम दिन हो और उसके बिना काम रूक जाए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नियमानुसार ही हो रहा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- चर्चा के समय बोलेंगे उनको जो बोलना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, हम जिस दिन से सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई है । पूरे बजट में हमने भाग लिया और एक दिन पहले पारित किया । विनियोग विधेयक एक दिन पहले पारित हुआ तो कम से कम सबसे महत्वपूर्ण काम लेजिसलेटिव एसेंबली का है, लिजिसलेशन बनाना, उसमें तो नियम नहीं तोड़ना चाहिए । अगर हम कार्य प्रक्रिया संचालन के नियमों को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए यह ठीक नहीं होगा । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यहां सब नियमानुसार ही हो रहा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप स्वयं कह रहे हैं कि हमें पुर:स्थापन में आपत्ति नहीं है । पुर:स्थापन होने दें फिर अपनी बात कहें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी पुर:स्थापन ही तो हो रहा है, चर्चा के समय खूब बोल लीजिए ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7, सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7, सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8, सन् 2023)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8, सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8, सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8, सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूं

(3) छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मैं छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2023 (क्रमांक 10 सन्2023) का पुर:स्थापन करता हूं।

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

सभापति महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)	**15 मिनट**
2.	छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023)	**1 घंटा**
3.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)	**30 मिनट**
4.	छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)	**30 मिनट**
5.	छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)	**1 घंटा**
6.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)	**30 मिनट**

सभापति महोदय :- मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान दी गई)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने जो आपत्ति ली है, उसमें व्यवस्था नहीं आई है।

अभिलेखागार के लिये नहीं

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हाल में माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र लिया जाना है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समूह छायाचित्र हेतु सेंटल हाल में उपस्थित होने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1:57 से 3:00 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

3.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023)

सभापति महोदय :- नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, डॉ. शिवकुमार डहरिया जी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- ले-दे कर कोरम के लायक हैं। यदि इधर वाले नहीं रहेंगे तो कोरम भी पूरा नहीं होगा। अब आप यह सोच लीजिए कि हम लोग आपकी कितनी मदद कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हैं न, चिंता काबर करत हस।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप लोग 5 लोग हैं और हमारी संख्या देख लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- जब घंटी बजी तो केवल हम लोग और डहरिया जी थे। (हंसी)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- घंटी बजी है, 2 मिनट आने में लेगेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या है कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किये इसलिए सब लोग नाराज हो गये हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या पहले मैं बोलूं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पहले मंत्री जी यह बताये कि इस विधेयक में क्या है, कैसा है और क्यों लाये हैं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। मंत्री जी, आप आखिरी में जवाब दीजिएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नगरपालिक-निगम अधिनियम-1956 की धारा-292 (ख) की उपधारा-1 (क) (ग) तथा उपधारा-2 में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा-292 (ख) में वर्तमान प्रावधान के अनुसार आवासीय कालोनी में कालोनी निर्माता, कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 15 प्रतिशत भूमि आयुक्त को अंतरित किये जाने का प्रावधान है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपरोक्तानुसार भूमि हस्तनांतरण के अतिरिक्त कालोनी निर्माता, कालोनाइजर द्वारा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत पूर्ण विकसित भूखण्ड या आवासीय भवन या प्रकोष्ठ देने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य में भी लागू था जिसे वर्ष 2021 में अधिनियम में संशोधन उपरांत वर्ष 2022 में नियम में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्गों के सदस्यों के लिए भूखण्ड एवं आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 15 प्रतिशत के बराबर रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लिए आरक्षित भूखण्ड तथा अनुपात 3:2 रखा गया है। अर्थात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 9 प्रतिशत तथा निम्न आय वर्गों के लिए 6 प्रतिशत निर्धारित है। राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रमश: 9 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड, आवासीय इकाई आरक्षित किये जाने का संशोधन प्रस्तावित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से शहरी गरीबों के साथ-साथ सभी वर्गों को आवश्यक रूप से बुनियादी सेवाओं जैसे-सड़क, बिजली, नाली एवं स्वच्छ पीने का पानी इत्यादि से पूर्ण सुविधायुक्त आवास की पूर्ति के लिए यह संशोधन आवश्यक है। इस संशोधन ने पूरे प्रदेश में कालोनी निर्माता, कालोनाइजर कालोनी निर्माण हेतु आकर्षित होंगे जिससे नये आवासों के सृजन की संभावना बढ़ेगी तथा प्रदेश में आवास निर्माण को गति मिलेगी। प्रदेश में शहरों की बढ़ती शहरी जनसंख्या के आवास की सुविधा के लिए अधिनियम में संशोधन से प्रदेश में अधिक संख्या में आवास निर्माता आवास निर्माण हेतु आएंगे, जिससे लोगों को आवास के साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। एक एकड़ से छोटी भूमि के कालोनी निर्माता, कालोनाइजर्स को विहित दर से भूमि या आवास के स्थान पर शुल्क जमा करने का विकल्प दिया गया है। अधिनियम में यह प्रावधान गरीबों की सेवा निधि के रूप में वर्णित है। अधिनियम की धारा-292 (ख) (ग) में अधिनियम की धारा-128 (ग) उल्लेखित है। वास्तव में उक्त प्रावधान गरीबों की सेवा निधि के उपयोग के संबंध में है। अधिनियम की धारा-128 (क) गरीबों की सेवा निधि से पृथक निधि के रूप में स्थापना से संबंधित है जिसमें राशि जमा करने का प्रावधान है। अत: प्रस्तावित संशोधन में धारा-128 (ग) में स्थान पर धारा-128 (क) संशोधन किये जाने

हेतु प्रस्तावित है। प्रदेश में कालोनी निर्माताओं को अन्य प्रदेशों के समान अधिनियम नियम में संशोधन से कालोनी निर्माता, कालोनाइजर अधिक से अधिक में प्रदेश में निवेश हेतु प्रोत्साहित होंगे तथा लोगों को आवास की उपलब्धता के साथ-साथ।

श्री सौरभ सिंह :- डहरिया जी, एक ठी विधेयक ला पास हो जावन दौ, ओकर बाद दूसर ला पढ़िहौ । आपके लगातार दू ठी विधेयक हे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या है, बोलिए ।

श्री सौरभ सिंह :- तुहर दो ठी विधेयक हे, पहिली एक ठी विधेयक ला पास हो जावन दव, तेकर बाद दूसर के उद्देश्य ला पढ़िहौ । दूनों विधेयक ला सरपट पढ़थौ, पहिली एक ठी ला निपट लेवव ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुमन तो दू झन हौ न । दूनों झन बोलहू ।

श्री सौरभ सिंह :- दू झिन हन । एक झन पहिली विधेयक में बोलबो अउ अउ एक झन दूसर विधेयक में बोलबो । पहिली एक ठी विधेयक ला निपटा लेवव, तेकर बाद दूसर ला निपटाहव ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी एक के ठन विधेयक ला निपटावथौं । या दूनों ला एक संग निपटाना हे ।

श्री सौरभ सिंह :- डहरिया जी, आप उद्देश्य ला पढ़थौं त दूसर विधेयक के उद्देश्य ला पढ़ देथौ । पहिली एक विधेयक ला पास होवन दौ ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एके विधेयक के चलथे भई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको देखकर पढ़ने आदत हो गई है तो जो कागज मिलेगा, उसे पढ़ेंगे । क्या पहला, क्या दूसरा उसको क्या करना है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तै कौन सा बिना देखे पढ़थस, ओला बताना भई।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आगे बढ़िए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये दूनों मोर संग नहीं सके सकय, मैं अतका बता देथौं ।

श्री सौरभ सिंह :- हमन नहीं सक सकन ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कईसे सक सकबे । लोगों को आवास की उपलब्धता के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी । अत: प्रस्तावित संशोधन विधेयक पारित किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति जी, कॉलोनी की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया है और बहुत सारे कालोनाईज़र ने बहुत सारी जमीन दी हुई है । पूर्व में एक बार यह आदेश जारी किया गया था कि 5 एकड़ से कम की जो कॉलानियां होंगी, वह शुल्क जमा कर सकते हैं, परन्तु उसको बाद में परिवर्तित करके उसको एक एकड़ कर दिया गया। इसलिए अगर उसको 5 एकड़ किया जाये तो मुझे लगता है कि आपके पास में शुल्क के रूप में राशि आएगी और साथ में आप उसका विकास कर पाएंगे । क्योंकि आज के समय में जितनी जमीन मिली है,

उस जमीन को भी विकसित नहीं कर पा रहे हैं, कॉलोनियों से उस जमीन को अधिग्रहित नहीं कर पा रहे हैं । उस जमीन का सीमांकन नहीं कर पा रहे हैं । अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के लिए आवास बने तो आवास बनाने के लिए आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए । पहले तो मैं चाहूंगा कि आपने जितना बताया कि कॉलोनी की परिभाषा क्या है ? इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है और आपने जो पढ़ा, उसमें एक एकड़ कहा । यदि उस एक एकड़ को 5 एकड़ किया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको विकास शुल्क मिलेगा और विकास शुल्क से आप गरीबों के मकान बना पाएंगे । आज आप पैसे के अभाव में गरीबों के मकान नहीं बना पा रहे हैं और कॉलोनियों के द्वारा आपको जो जमीन दी गई है, उस जमीन को आप विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें 5 एकड़ का संशोधन लाएंगे तो मुझे लगता है कि यह उपयुक्त होगा, अन्यथा इसके लाने का कोई महत्व नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 और 6 प्रतिशत आरक्षित कर रहे हैं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री, वे तो हमारे गुरू है, मैं गुरू से बहस नहीं कर सकता, उनसे सीखना है । उन्होंने कहा है । उनसे नहीं सीख पाएंगे तो कवासी लखमा जी से सीखना है, नहीं तो बृहस्पत सिंह जी से सीखना है । उद्देश्यों के औचित्य में 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत क्यों करेंगे, इस कथन का उल्लेख क्यों नहीं है? 9 और 6 प्रतिशत करने का कारण क्या है ? आप अपने उद्देश्य को पढ़ लीजिए। अब जब तक उद्येश्य को नहीं बताएंगे कि 9 और 6 प्रतिशत करने का कारण क्या है? अभी जैसे बृजमोहन जी ने कहा कि कॉलोनी की परिभाषा तो अपनी जगह है, हो सकता है कि वे बताएंगे । पहले वह जितना प्रतिशत था, उसका उल्लेख कहीं पर नहीं है कि जो दो श्रेणियों में एल.आई.जी. के लिए 15 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित था, अब उसको 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कर रहे हैं तो उसको कम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण उद्देश्यों में मंत्री जी नहीं बता रहे हैं तो पहले वे कारण बता दें कि उसको 9 प्रतिशत से 6 प्रतिशत करने से शासन को फायदा या घाटा क्या है तो फिर उसमें बहस करें या सुझाव दें । मेरे ख्याल से यह विधेयक अधूरा है । इसके उद्देश्यों के औचित्य में इसका उल्लेख नहीं है इसलिए आप इसको फिर से प्रस्तुत करवाएं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर साहब, आप एक चीज जरूर बताईए कि शर्ट को अंदर करके कैसे आये हैं, कुछ खास बात है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मैंने आपको अपना गुरूदेव माना है । आपकी बात को मानूंगा ही । आपने तो लेजिस्लेशन से लेकर ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा है, जिसमें सीखने के लायक न हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं साहब, अच्छा फोटो खिचाये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, उनको बोलने दीजिये। यह प्रश्न थोड़ी ही है। यह प्रश्नकाल नहीं है। पहले अपनी बात कर लें, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो बोलने का सवाल ही नहीं है। मैं तो तकनीकी चीज पूछा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- फोटो खिंचवाते समय मुस्कुरा नहीं रहे थे सर।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपके हाथ-पाव जोड़ता हूं। या तो हम बिना बहस के इसे पारित कर दें। यदि बहस चाहते हैं तो थोड़ी गंभीरता दिखे। देखो न, कैसे उत्तर आता है। हम कितनी बार जोर-जोर से बोलेंगे। मैंने आपसे यह पूछा है, मैंने आपको संबोधित किया, उदेदश्यों में इस बात का कथन नहीं है कि जमीन के प्रतिशत को घटाने से क्या लाभ या क्या हानि है ? क्यों घटाया जा रहा है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं अभी तो बताया हूं। जब, इनका भाषण खत्म होगा तो मैं अंत में उत्तर दूंगा तो बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछता हूं कि भूखण्डों की कुल संख्या में एल.आई.जी. और ई.डब्ल्यू.एस. के लिए प्रतिशत घटा रहे हैं, वह विधेयक के उदेद्श्यों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ? क्योंकि इसका कही पर उल्लेख नहीं है। सिर्फ घटाया जा रहा है, ये है। अब उनको मालूम नहीं है तो मैं कैसे बहस करूंगा। आप इसकी व्यवस्था दे दीजिये। मंत्री जी तो आखिरी में बोलूंगा, बोलते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी बता दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आलरेडी उदेश्यों में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विधेयक को पढ़ लीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आवास- निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र सबके लिए आवास की मूल आवश्यकता की पूर्ति तो करता ही है, साथ में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी करता है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रं. 37 सन् 1961) में यह सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान है कि निजी क्षेत्र के भवन निर्माता, आवासीय कालोनी का विकास करते समय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) की आवासीय आवश्यकताओं की अनिवार्य रूप से पूर्ति भी करें।

विगत कुछ वर्षों में, विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए अनेक आवासीय इकाईयों का निर्माण किया गया है। इन लक्ष्य समूहों की मांग और क्रय शक्ति में भी बदलाव आया है। अतएव, इन वर्गों की नई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और लचीले कानून द्वारा भवन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए तथा आवास निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी आवासों से संबंधित प्रावधानों को पुनरीक्षित किया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रं. 37 सन् 1961) की

धारा 339-ख में उपयुक्त संशोधन करना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पहले से ही कुछ अन्य प्रदेशों में ऐसे संशोधन हो चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि उदेद्श्यों में नहीं है, अभी आपने जो पढ़ा, वह उदेद्श्यों में नहीं है। अब मैं आपसे पूछ देता हूं कि 15 और 10 प्रतिशत है, उसको 9 और 6 प्रतिशत कर रहे हैं। उसको 3 और 2 प्रतिशत क्यों नहीं कर रहे हैं ? आपको यह बताना पड़ेगा। आप 9 और 6 प्रतिशत क्यों कर रहे हैं। 3 और 2 प्रतिशत क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसलिए उदेद्श्यों में इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है, जो कहीं पर नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, कर दिए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, कहीं पर नहीं है। धारा नहीं है, केवल एक लाईन कह रहे है कि हम 15 से 10 प्रतिशत कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, यह प्रश्नकाल नहीं है। अपना भाषण पूरा करें उसके बाद मैं अपने उत्तर में बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा ही कानून बनायेंगे तो बिना बहस के पास कर देते हैं। कानून बनाने में ऐसी गंभीरता रहेगी तो बिना बहस के पारित कर देते हैं। आपके पास प्रचंड बहुमत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- सभापति महोदय, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसका उत्तर भी दिया जाता है....।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- मैं तो दे ही रहा हूँ सभापति जी । उत्तर तो बता दिया हूँ कि किन उद्येश्यों से किया जा रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कानून बनाने वाली संस्था है, किसी कानून को भी हम सही तरीके से बनायेंगे तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा । माननीय सदस्य जिस बात को उठा रहे हैं, माननीय मंत्री जी का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं किस आधार पर आपने 15 और 10 को 9 और 6 किया है, उसका कोई आधार होगा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- लाभ होगा, हम बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा या अधिक क्यों नहीं किये ? सिर्फ इतने प्रतिशत में क्यों लाये ? आप उसका विधिवत उत्तर दे दें ? प्रदेश के पूरी जनता के हित का विषय है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो इस विधेयक के उद्येश्य हैं, उस पर सवाल उठाया है, उसका उल्लेख कहीं पर नहीं है । जब हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं, व्यापक विचार विमर्श हो, चर्चा हो, अगर कोई सदस्य की शंका है, माननीय मंत्री जी उसको डिफाईन करें, उसका समाधान करें, क्या है, किस उद्येश्य से ला रहे हैं, इसका क्या असर

पड़ेगा ? यह विधायिका का काम है, यह पवित्र सदन है, हम प्रदेश की जनता के लिये कानून बना रहे हैं, उस पर तो सार्थक चर्चा होनी चाहिये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इसीलिए आधे घण्टे का समय रखा गया है कि सभी विद्वान साथी पढ़ लें, समझ लें और अपना-अपना वक्तव्य दें । अपनी बातों को रख लें, इसीलिए सदन में आधे घण्टे की चर्चा रखी गई है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस प्रश्न के साथ ही माननीय मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे । उपधारा 1 के खण्ड ग में शब्द एवं अंक धारा 128 ग के स्थान पर शब्द एवं अंक धारा 128 क प्रस्थापित किया जाये । इस पूरे विधेयक में 128 (क) का कहीं पर उल्लेख नहीं है, आप पूरा विधेयक देख लीजिए । धारा 128 (क) कहां पर है, जब भी कोई मूल विधेयक में संशोधन विधेयक लाया जाता है, मूल विधेयक की जो धारायें हैं, उसका उल्लेख होता है, उसे साथ में उपाबंध के रूप में दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया है । इसके साथ में इसमें बोल रहे हैं कि परन्तु और राज्य शासन नियमों द्वारा प्रवरंजनित कर सकेगी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु कानूनी निर्माता कालोनाईजर्स विकसित भूखंड निर्मित आवास प्रकोष्ठ कानूनों से भिन्न किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा सकेगा, जो विहित शर्तों के अनुसार किया जाये । इसमें नगदी पैसा एक एकड़ से कम को लेने के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है, क्योंकि इसमें अर्थ शामिल है । इसलिये इसमें आर्थिक पत्र लगना चाहिये । यह हमारे नियमों में है । जब उससे नगद पैसा लेगा, इसमें आर्थिक उपबन्ध नहीं लगाया गया है, इसलिये इस विधेयक को जिन्होंने भी तैयार किया है, वह आधा-अधूरा तैयार किया है, जब आप इसमें आर्थिक उपबन्ध बोल रहे हैं कि एक एकड़ से कम वालें को नगद पैसा भी ले सकते हैं, मूल उपबंध में यह है, उसके बारे में आप क्या करेंगे ? लिखा है कि इसमें जैसे नियम जारी किये जायेंगे, उसके अनुसार शुल्क लिया जायेगा, जब शुल्क लिया जायेगा तो आर्थिक उपबंध इसमें लगना चाहिये कि नहीं लगना चाहिये और 128 ग के स्थान पर 128 क प्रस्थापित कर रहे हैं...।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का कहना है कि माननीय सदस्यों के वक्तव्य के बाद अंत में दूंगा । ऐसा उनका कहना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पढ़ लें ना, यहां पर 128 ग के स्थानपर 128 क है, और 128 क का कहीं उल्लेख नहीं है । आप 128 क में क्या संशोधन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसके पीछे लिख रहे हैं कि राज्य शासन जैसा निर्देश जारी करेंगे, वैसा शुल्क लिया जायेगा । इसमें आर्थिक उपबंध नहीं लगा है । अगर इसमें अर्थ शामिल है, उसको क्यों नहीं लगाया गया है ?

श्री नारायण चंदेल :- सारी चीजों का समाधान हो जाये, उसके बाद आगे बढ़ें।

श्री रामकुमार यादव :- ए हा दिल्ली कस कृषि कानून नोहे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 128 ग में प्रावधान है, गठित नगरपालिका के गरीबों की सेवानिधि से ऐसे दर से शुल्क जमा करने का विकल्प होगा, जैसा विहित किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे दर पर, तो पैसा आयेगा ना ? वित्तीय ज्ञापन होगा कि नहीं ? इसमें वित्तीय ज्ञापन होगा कि नहीं ? इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें वित्तीय ज्ञापन आयेगा ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वित्तीय ज्ञापन आयेगा कि नहीं आयेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इधर क है, इधर ग है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वित्तीय ज्ञापन लगायेंगे तब शुल्क की बात आयेगी। नियम में प्रावधान करेंगे कि किससे कितना लिया जाये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कानून से अलग जाकर नियम थोड़ी बनेगा ? कानून के अंतर्गत ही नियम बनेगा । कानून के अंतर्गत नियम बनेगा तो इनको वित्तीय ज्ञापन लगाकर लिखना चाहिये था कि उसके तहत शुल्क ऐसा-ऐसा लिया जायेगा ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कानून से अलग जाकर नियम नहीं बनते हैं । कानून के अंतर्गत ही नियम बनते हैं । कानून ही अधूरा है तो नियम कैसे बनायेंगे ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वित्तीय नियम तब लागू होंगे, जब राज्य के कोष से खर्च होगा, लेकिन राज्य के कोष से खर्च ही नहीं हो रहा है तो वित्तीय ज्ञापन लगाने की जरूरत ही नहीं है । कैसे लगायेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, जब-जब सदन में मुख्यमंत्री रहते हैं, तब-तब ये लोग ज्यादा रेस रहते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, नगर निगम, नगर पंचायत, अगर उनको आर्थिक सहायता राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार का जहां भी पब्लिक एक्सचेकर से पैसा लग रहा है उसके बारे में वित्तीय ज्ञापन आना चाहिये ।

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- इसमें राज्य सरकार का पैसा नहीं लग रहा है । कहां लग रहा है ? कालोनाइजर्स से शुल्क वसूलने का प्रावधान है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसका आडिट तो राज्य सरकार करेगी ना ? राज्य सरकार को जानकारी देना पड़ेगा कि नहीं कि नगर निगम को कितना पैसा आया है हमने कहां-कहा इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं तो तुगलकी राज्य चल रहा है, वैसा ही चलते रहता, पैसे को खा जाये, बरबाद कर दें, कहीं

भी लगा दें । सरकार के नियंत्रण के लिये वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये । इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, इसमें बहस कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 128 (क) क्या है, बोल दिया कि 128 (क) पढ़ा जाये। इसमें 128 (क) का उल्लेख ही नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है । आगे बढ़ा जाये । जब-जब मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित रहते हैं, तब-तब ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप थोड़ा सुनिये । यदि आपको ऐसे कानून बनाने हैं, जिसमें आप औचित्य भी नहीं बतायेंगे । वित्तीय ज्ञापन में बृजमोहन जी और बोल लेंगे । औचित्य भी यदि नहीं बनायेंगे और शासन की 10 प्रतिशत भूमि की कमी हो रही है जिसमें शासन को सीधे क्षति हो रही है तो आप ऐसी चीजों को अपने बहुमत से बिना बहस करें पारित करा ले। अब मैं बार-बार आपसे पूछ रहा हूं कि इसका औचित्य क्या है ? आप उसको 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत किये हैं तो उसको 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत क्यों नहीं किये ? या इसको क्यों नहीं बढ़ाये ? आपको उसका औचित्य तो नियमत: बताना पड़ेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, अन्य राज्यों में संशोधन कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में किया गया है, राजस्थान में, तमिलनाडु में ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि संशोधन कब किये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप मेरी बात तो सुनो। पहले सुन तो लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप संशोधन क्यों कर रहे हो, उसका औचित्य पूछा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बात तो सुन लीजिये, फिर बोलियेगा। थोड़ा सुन तो लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- जे विषय समझ में आये ते मे बोल।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- समझ आथे। लेकिन मंत्री जी कुछ बोलथे तो सुन तो लो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओला समझ नहीं आथे लेकिन तोला समझाये के कोशिश करथे। थोड़ा सुन ले करके।

सभापति महोदय :- बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, अन्य राज्यों ने उसमें संशोधन करके कम है। मध्यप्रदेश में 15 प्रतिशत से 9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया है। यहां के कॉलोनाइजर की संख्या क्रेडाई द्वारा मध्यप्रदेश समान राज्यों के प्रावधान के साथ निवेदन किया है कि 15 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. और 10 प्रतिशत एल.आई.जी. अत्यधिक है, अन्य राज्यों के नियमों का

अध्ययन कर प्रतिशत निर्धारित किया जाये, इसीलिये हम लोगों ने इसको लाया है कि जैसे अन्य राज्य में है। यहां कॉलोनाइजर को और जमीन मिले जिससे वे अधिक आवास बनाये, जिससे लोगों को उसकी सुविधा हो। इसीलिये इसको किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अन्य राज्यों में कम किया गया है इसलिये हम कम करें। अन्य राज्यों के बहुत सारे विषय बता दूंगा, क्या वह उसके आधार पर विधेयक लायेंगे ? हमारे प्रदेश में हमारी क्या स्थिति है ? हमारे यहां गरीबों की संख्या कितनी है ? हमारे यहां इतनी ज्यादा कॉलोनियां है, जिसकी इन्होंने परिभाषा ही नहीं बताई। हमको उसमें इतने की जरूरत है, इसलिये हम इसको कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में आवासहीनों की या गरीबों की जनसंख्या बम्बई, दिल्ली या दूसरे जो प्रदेश होंगे, उसके मुकाबले होगा, उसके अनुसार से कम ज्यादा करें। आप जितना लिबरल कानून बना सकते हैं, हम कानून का तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रक्रिया जनकविरोधी है, प्रक्रियागत विरोध कर रहे हैं। अब 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत लागू कर दिये और जो 10 प्रतिशत भूमि कम हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं बता रहे हैं। कोई भी औचित्य नहीं बताये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, आपको बता तो दिया। आप सुनते ही नहीं हैं। इसको आगे बढ़ाया जाये। मैं माननीय चन्द्राकर जी को बार-बार बता रहा हूं, इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रश्न का फिर दोबारा पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आपकी बात संसदीय कार्यमंत्री जी को समझ में आ गई ? संसदीय कार्यमंत्री जी आप बता दीजिये।

सभापति महोदय :- चलिये आगे बढ़िये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको दो-तीन चीजें बता देता हूं। एक तो मैं उनके कारण और औचित्य से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिये कि दूसरे प्रदेश में कितने भूमिहीन है, कितने गरीब है, कितने ई.डब्ल्यू.एस. है, कितने एल.आई.जी. है, हमारे यहां कितनी संख्या है, यह महत्वपूर्ण चीजें है, हमको उसके हिसाब से प्रतिशत तय करना चाहिए, न कि मध्यप्रदेश और राजस्थान की तुलना करनी चाहिए। इससे शासन को क्षति हो रही है। दूसरी बात, जमीन कम हो गयी, तो जो प्लाट मिलेंगे वह सस्ते में मिलेंगे। क्या वह बिल्डर को मिलेंगे, कॉलोनी बनाने वाले को मिलेंगे या वह उपभोक्ता को मिलेंगे ? यह किस तरह से होगा, यह इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। अब प्रस्तावना में भी इस संशोधन से क्रेडाई को लाभ होगा, शासन को लाभ होगा, कि उपभोक्ता को इस तरह लाभ होगा ? देखिए, क्रेडाई बिल्डर है, वह रियल इस्टेट के मालिक है। उनको लाभ देने के लिये, उनके नियम प्रक्रिया के लिये, स्वीकृत करने के लिये रेरा बनी हुई है । सवाल यदि सरकार है तो वह गरीबों की चिंता करेगी। इसमें तो गरीबों के लिये जमीन कम हो रही है, शासन को क्षति हो रही है। 10 प्रतिशत जमीन कम हो

रही है। इसमें गरीबों की चिंता कहां पर हो रही है ? जैसे उनका भाषण है, उसमें तो यह क्रेडाई की चिंता के लिये इसे लाये हैं। क्रेडाई लोगों की मांग पर यह कर दिया गया। यह गरीबों की बात करते हैं, संरक्षण देते हैं क्रेडाई को। स्पष्ट नहीं करते हैं कि कॉलोनी क्या है ? नकल करने के लिये भी अक्ल चाहिए, मैं तो ऐसे कानून का विरोध करता हूं। यदि यह स्पष्ट नहीं करते हैं तो अगला कानून भी जो आयेगा, उसको बिना बहस के माननीय संसदीय कार्यमंत्री पारित करने की कामना करेंगे, हम उसको बिना बहस के पारित कर देंगे। धन्यवाद्।

सभापति महोदय:- आपके सुझाव नोट हो गये हैं। श्री शैलेश पाण्डे।

श्री शैलेश पाण्डे:- माननीय सभापति महोदय, ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी कहां गये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- मोहन मरकाम जी हमारे चीफ है, हमारे पार्टी के मुखिया है।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 252 'ख' में प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखूंगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय हमारे कुलदीप भईया, माननीय अरूण भईया ऐसे हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, जो रायपुर, बिलासपुर शहरों से आते हैं। यहां समस्या यह आती है कि कोलोनाईजर को कॉलोनी बनाते हुए 20-20, 25-25 साल हो गया है, लेकिन वह आज तक नगर निगम में हैण्डओव्हर नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यह होता है कि उसमें पहले से 15 प्रतिशत का जो क्लॉज बना हुआ है, उस क्लॉज के अंतर्गत हम उनकी सारी चीजें मॉडगेज करते हैं, उसके बाद वह 15, 20, 25 सालों तक बना ही नहीं पाता है। मेरे पास उदाहरण हैं। आप चाहे तो मैं पटल में रख सकता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महाराज, तें कानून में बात करना।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं कानून में ही बात कर रहा हूँ। आप उसमें मेरी बात तो सुनिए। आप अपनी बात कहना चाहते हैं और हमारी बात क्यों सुनना नहीं चाहते।

श्री अजय चन्द्राकर :- महाराज, तें कानून में बात करना।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं कानून में ही आ रहा हूँ, उस कानून को बनाने का आधार क्या था ?

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्हें सुनने की आदत नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, लोग किसके लिए मकान लेते हैं। लोग कहते हैं कि यह फलाना बिल्डर, फलाना कोलोनाईजर, उसके मकान में नहीं रहते। लोग यह चाहते हैं कि हमें सरकार सरंक्षण, पानी, सड़क दे। लोग यह चाहते हैं कि सरकार हमारे सारे विकास के कार्य करें, लेकिन वह विकास के वंचित हो जाते हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में इतने बड़े-बड़े कोलोनाईजर हैं ही नहीं। माननीय

मंत्री जी, यहां छोटे-छोटे कोलोनाईजर हैं और छोटे-छोटे कोलोनाईजर इन नियमों के चंगुल में फंसकर, आप किसका नुकसान कर रहे हैं ? आप जनता का नुकसान कर रहे हैं। आप उसको नगर निगम की जो सुविधाएं हैं, उनसे वंचित कर रहे हैं। उसमें सरकार की जो सुविधाएं हैं, उससे आप वंचित कर रहे हैं। अगर इसमें हमारे माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार संशोधन ला रही है, उसमें प्रतिशत कम कर रही है। बिल्डर को और ज्यादा सुविधा होगी तो इसमें फायदा किसका है ? वहां रहने वाले कॉलोनी वालों को फायदा है। हमारी देश, प्रदेश की जनता का फायदा है ताकि हम विकास कर सकें। आज आप आसंदी से व्यवस्था दीजिए। माननीय मंत्री जी, आप देखिए, सर्वे करा लीजिए। आप पता कर लीजिए प्रदेश में पिछले 25 सालों से या इनके 15 साल ले लीजिए। इनके 15 सालों में नगर निगम सीमा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जितनी कॉलोनियां बनी हैं, उसमें से कितनी कॉलोनी हैण्ड ओव्हर हुई है। आप खुद करके नहीं गये हैं। आप 15-15 सालों तक कॉलोनियां बनाकर गये हैं, आप खुद करके गये हैं क्योंकि वह बिल्डर छोटा था।

श्री रजनीश कुमार सिंह :-आप बिलासपुर का बता दीजिए। बिलासपुर में कितने ऐसे नियमित होंगे और कितने अनियमित होंगे ?

श्री शैलेश पाण्डे :- देखिए, वह पीड़ा आई न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, विधेयक में भी 15 साल आ गया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आप जिस विषय को बोल रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, हम उसी के लिए व्यवस्था बना रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- यदि आप नाली, पानी, बिजली के लिए बोल रहे हैं तो बिलासपुर में कितने अनियमित कॉलोनी, नियमित होंगे ? यह विधेयक उसी के लिए है क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे :- वह भी होगा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- नहीं। आप उसी को बताईये।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह भी होगा। उससे फायदा होगा। यह क्यों नहीं होगा। अच्छा आप बताईये ..।

श्री रजनीश कुमार सिंह :-मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह विधेयक उसी के लिए है?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आप स्वर्ण जयंती नगर जाईए। आप पता करिये। बाजपेयी केशल आप जाईए, पता करिए। मैं बिलासपुर की ऐसी 10 कॉलोनियों के नाम बता दूंगा जो 20-20 सालों से बनी हुईं हैं, लेकिन नगर निगम में हैण्ड ओव्हर नहीं हुई हैं। माननीय मंत्री जी आप जो आज कानून लाए हैं, सिर्फ इसी कानून के कारण आज तक वह कॉलोनी फंसी हुई है। क्यों, उन्होंने पैसा भी दे दिया। एक बिल्डर ने तो पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद उसका चेक बाउंस हो गया। उसका चेक क्यों बाऊंस हो गया इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। इससे हमारे छत्तीसगढ़ का विकास

होगा। मैं समझता हूँ और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने आज जो कानून लाया है, इस कानून से इस प्रदेश में 20-20, 25-25 साल पुरानी कॉलोनियां को हम हैण्ड ओव्हर करेंगे, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। अब सरकार, नगर निगम उसका विकास कर सकती है। मैं आपके इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का विधेयक क्रमांक 1 और क्रमांक 2, दो विधेयक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों में नहीं बोलना हे। पहिली एके में बोल।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहले एक में बोलूंगा। पहले विधेयक क्रमांक 1 में चर्चा होगी।

माननीय सभापति महोदय, पहले यह कानून था कि प्रत्येक कॉलोनी में ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत जमीन सुरक्षित रखी जायेगी। उनके लिए पहले जमीन सुरक्षित रखी गई। अब इस विधेयक से यह बदलाव किया जा रहा है कि जो पहले 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत था, उसको 6 और 9 प्रतिशत किया जाएगा। यह बिल्डर को क्यों उपकृत किया जा रहा है? क्यों, वहां कॉलोनी से ई.डब्ल्यू.एस. का सिस्टम हटाया जा रहा है । यह बिल्डर लॉबी के लिए किया जा रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं तो किसको उपकृत कर रहे हैं, क्रेडाई को उपकृत कर रहे हैं और कैसे उपकृत कर रहे हैं? उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि एक तरफ वह जमीन कम कर दे। जब जमीन कम कर देगा तो उसके पास अतिरिक्त प्लाट मिल जायेगा, जो E.W.S. का प्लाट अभी तक वह गरीब आदमी को नहीं दिया है और रोक कर रखा है। वह E.W.S. का प्लाट भविष्य में अतिरिक्त रेट में बेचेगा। माननीय मंत्री जी के विधेयक का जो दूसरा भाग है वह भाग यह है कि हेतु निर्मित कालोनाईजर विकसित भूखंड या निर्मित आवास कालोनी को भिन्न अन्यत्र किसी स्थान पर उपलब्ध करायेगा। यानि स्वर्णभूमि कॉलोनी को जो E.W.S. है वह यहां से जाकर छेड़ीखेड़ी में एडजस्ट होगा। जब स्वर्णभूमि की कालोनी बनी तो E.W.S. में जो प्लाट का रेट 2 हजार रुपये था वह आज 8 हजार रुपये है, 8 हजार के रेट में कालोनाईजर बेचेगा। यही कहानी है न और उसका एडजस्टमेंट जाकर छेडीखेड़ी में होगा। उसके बाद जो विधेयक नंबर 2 आ रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके बाद की कहानी विधेयक नंबर 2 में बतायेंगे। यह एडजस्टमेंट आप किसी क्रेडाई को, भू माफिया को, किसी बिल्डर को क्यों दे रहे हैं? भारत समतामूलक समाज है। E.W.S. का व्यक्ति क्यों नहीं रहेगा? आर.टी.आई. में बच्चा जब पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है तो E.W.S. का आदमी क्यों बडी कालोनी में नहीं रहेगा, आप उसको क्यों वहां से हटाना चाह रहे हैं? क्यों E.W.S. में खेल करना चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत बड़ा लोचा है और बहुत बड़ा खेला है। करोड़ो रुपये का वारा-न्यारा होगा। करोड़ों रुपये के बिल्डर के पास मार्ट आ जायेंगे। आप

6 को 9 किये और फिर अतिरिक्त स्थान को ऑप्शनल दे दिये यानि पूरा का पूरा 15 प्रतिशत जो E.W.S. में रूका था, वह पूरा का पूरा 15 प्रतिशत बिल्डर के हाथ में चला जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्डर के हाथ नहीं जायेगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक से पढ के देख लीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, डेवलप कालोनी के अंदर बिल्डर को 15 प्रतिशत अतिरिक्त जमीन बेचने के लिए मिलेगी। यह किस ढंग से हो रहा है यह तो गरीब आदमी की पूरी चीज की लूट है, जनता की लूट है और बिल्डर को उपकृत करने के लिए है। अगर 6 महीने चुनाव के लिए बचा है और अभी भी चंदा की व्यवस्था नहीं की गई होगी तो बहुत अच्छी बात है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सौरभ सिंह जी, आप दूसरे को पहले में क्यों बोल रहे हो ? अभी आप पहले विधेयक में बात करें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति जी, मैंने बात कह दिया। दूसरे विधेयक में इसकी इसकी तीसरी जो कंडिका है, स्टेप नंबर एक, स्टेप नंबर दो और उसके बाद स्टेप नंबर तीन आयेगा।

श्री उमेश पटेल :- अगर आपको दोनों में एक साथ करना था तो आप पहले ही मांग कर लेते दोनों एक साथ प्रस्तुत हो जाता।

श्री सौरभ सिंह :- मैं दूसरे को नहीं बोला हूं। माननीय मंत्री जी दोनों के उत्तर को एक साथ पढ़ दिये हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप दूसरे पर चले गये हैं। टेक्नीकली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप दूसरे पर चले गये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- मैं दूसरे में नहीं गया हूं।

श्री रामकुमार यादव :- ये दोनो हे सरपटहा कर देथे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, 128-गै में संशोधन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसको 128 कै के रूप में उसको पढ़ा जाये। 128 कै क्या है, इसका ही विधेयक में उल्लेख नहीं है तो वह किन चीजों में संशोधन कर रहे हैं। आप स्वयं पढ़ लें। इन्होंने लिखा है कि 128 कै में संशोधन किया जाये और उसको 128 कै पढ़ा जाये। इस पूरे विधेयक में मैं खोज रहा था 128 कै कहीं पर भी नहीं है। अगर जिस चीज में वह संशोधन कर रहे हैं, उसी को इसमें प्रिन्ट नहीं किया गया है, 128 कै कहां है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, प्रिन्ट है, इनको दिखता नहीं है। पूरा प्रिन्ट है, इनको दिखता नहीं है। मैं इनको एक बार और बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जिस भाषा का वह उपयोग कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मेरे को दिखता है। मैंने पूरा विधेयक पढ़ लिया है और मैंने पूरे विधेयक को पढ़ने के बाद..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ऐसे भाषा में माहौल खराब होता है। इनको दिखता नहीं है, वह दो बार बोले हैं।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अब मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करूं, आप अनुमति दीजिए। फिर आप बाद में बोलते हैं कि उत्तेजित होते हो। माननीय सभापति जी, पहले आप आंख को चेक करवाईये कि उनको कैसे नहीं दिखता है। कोई भी भाषा बोल देंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- आप मंत्रियों को हिदायत दें। आप आसंदी से हिदायत दीजिए कि वह संयमित भाषा का उपयोग करें। आप आसंदी से निर्देश दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, क्या मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत पड़ेगी ?

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह कैसे खड़े हो गये, किसकी अनुमति से बोल रहे हैं। क्या यह मछलीबाजार है? यह विधान सभा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मेरा आशय था कि देख नहीं पाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस तरह की भाषा नहीं सुनते। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज, आप बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं। उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, विधेयक पर चर्चा हो रही है और सदस्य अपनी शंकाओं का समाधान न करें तो शंकाओं का समधान करने के चलते उनका उत्तर कैसे आ रहा है, देख लीजिये और आप बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं।

समय :
3.35 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- क्या हो गया।

श्री अजय चंद्राकर :- बैठे-बैठे बोल रहे हैं कि इनको दिखता नहीं, इनको दिखता नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं बैठा हूं। मरे को बैठना ही है, इसलिए मैं बैठा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, ऐसी भाषा विधानसभा में चलेगी क्या?

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज। थोड़ा सा नार्मल हो जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम लोगों का बीच-बीच में मेडिकल चेकअप जरूर करा लीजियेगा। हमारे कुछ मित्रों का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।

श्री अजय चंद्राकर :- हम यहां बैठ कर गाली खायें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने गाली कहां कहा। मैंने तो अध्यक्ष महोदय से कहा कि कभी-कभी हमारा मेडिकल चेकअप करायें।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं वैसी भाषा बालूं। आप समर्थन करिये, मैं बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये न।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाई, आप क्यों बोलेंगे। आप ज्ञानवान हैं। आप ऐसा क्यों बोलेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने मेडिकल चेकअप कराने के लिए कहा। आप कभी-कभी मुस्कुरा लिया करो।

श्री अजय चंद्राकर :- चार दिन से ज्यादा होशियार हो गये हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह कहना चाह रहे थे कि शायद आदरणीय बृजमोहन जी उस पृष्ठ को नहीं देख पाये हैं। जहां पर वह जिस प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं, उसका उल्लेख है।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए दिखता नहीं कह दिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है कि गलत बातों का समर्थन चाशनी में चपेट कर मत करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं नहीं लपेट रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने जिस भाषा का उपयोग किया, उसको आप निकाल कर देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- जलेबी खाओगे तो चाशनी में तो लपेटना ही पड़ेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आशा ऐसी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा क्या बोला कि दिखता नहीं। संबंधित को प्रताड़ित करना चाहिए। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय बृजमोहन जी, अजय जी और आप सबका बेहद सम्मान है।

श्री अजय चंद्राकर :- हम देख रहे हैं कि आप कितना सम्मान करवा रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपका सम्मान करते हैं भाई। आपका सम्मान है।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह खुद कह देंगे कि आपका सम्मान है।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं है भाई। डहरिया जी आपका खुद सम्मान करते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी बहुत विद्वारन हैं। इनको सम्मानित होना ही पड़ेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी आत को बुरा मत मानियेगा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आज तक यदि एक भी बार शून्यकाल में और दूसरे अवसरों पर ऐसी कमजोर भाषा बोली गई। मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं कि आसंदी से संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनका कभी विरोध नहीं किया, न ही आपकी ओर से प्रताड़ना हुई। इसलिए इस विधानसभा में भाषा का स्तर सबसे ज्यादा गिरता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- कोई बात हो तो खेद व्यक्त कर दीजिये। क्या फर्क पड़ता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद का कोई बात नहीं है। मैं तो इन तीनों का बहुत सम्मान करता हूं। बृजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी और आदरणीय शर्मा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और पूरे विपक्ष के सभी लोगों का सम्मान करता हूं। कभी-कभी इन लोगों से सीखने का भी अवसर मिलता है तो मैं सीखता भी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सम्मान करता हूं। मैं आपको कुछ भी बोल देता हूं और मैं एक लाईन बाल देता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं और इन सब बातों के लिए कोई जिम्मेदार है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपके बोलने के बाद मंत्री जी को खेद व्यक्त कर देना चाहिए। हम लोग तो उनके विवेक पर छोड़ते हैं। आपने निर्देश दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको ज्यादा तकलीफ हुई है तो मैं खेद व्यक्त कर देता हूं। खेद व्यक्त करने में कोई ज्यादा थोड़ी जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- बात खतम हो गई। चलिये, जल्दी से खतम करना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन भाई बहुत समय से बोल रहे थे कि 128 (क), 128 (ग)। हम उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। 292 (ख) में संशोधन हो रहा है, जिसमें यह प्रावधान था कि 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है, उसको हम 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत कर रहे हैं। यही तो मैं बहुत समय से बोलना चाह रहा था और इसी को बता भी रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अत: इस विधेयक को पारित कर दिया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप जरा देख लें कि अगर यह 292 (ख) में ही संशोधन कर रहे हैं तो 292 (ख) पहले क्या था? उसका उल्लेख ही नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बता देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और आप क्या संशोधन कर रहे हैं, इसका भी विधेयक में उल्लेख नहीं है। इन्होंने कहा है कि 1 एकड़ से कम का होगा तो उससे शुल्क वसूल किया जायेगा, जैसा विहीत हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह चर्चा पहले हो चुकी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर शुल्क वसमूल किया जायेगा तो वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए और इसमें वित्तीय ज्ञापन भी नहीं लगाया गया है। इस सदन की जो परंपरा है, आपके कार्य संचालन संबंधी नियमों में जो लिखा हुआ है कि अगर उसमें वित्तीय समाहित हो तो उसमें वित्तीय ज्ञापन लगना चाहिए। यह तो शुल्क वसूल करने वाले हैं ओर यह 292 (ख) में संशोधन कर रहे हैं तो 292 (ख) पुराना क्या था और नया 292 (ख) क्या है, इसका भी कहीं पर उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- जिसका संशोधन हो रहा है, उसका उल्लेख होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आप देख लें। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बात समझ रहा हूं। इसका उल्लेख होना चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसको मिस कर रहे हैं। आपके दो संशोधन विधेयक हैं। विधेयक क्रमांक 1, जिसमें 239 (ख) को हम संशोधित कर रहे हैं और विधेयक क्रमांक 2, जिसमें अभी चर्चा ही शुरू नहीं हो रही है, उसमें हम 292-(ख) को कर रहे हैं। मंत्री जी 229 की बात कर रहे हैं जो विधेयक नंबर-2 में है । उसकी बात को कर रहे हैं । हम विधेयक नंबर-1 में जो 339 का संशोधन है उसकी बात को करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने दूसरे वाले का बाद में बोला न ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे अभी भी 229 की बात कर रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जो पहला है उसका कर लो । अगर दोनों में चर्चा करनी है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये । मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि जो पहला विधेयक है जिस पर चर्चा हो रही है उसमें 339-ख का संशोधन है और जो दूसरा विधेयक है उस विधेयक में 292 का संशोधन है तो मेरा यह कहना है कि 339 को पहले चर्चा करके पास कर लें फिर 292 की बात करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों अलग हैं । एक नगरपालिका के लिये है, दूसरा नगर-निगम के लिये है । अब दोनों पर एक-साथ चर्चा करनी है तो मैं दोनों को एक-साथ कर देता हूं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 339 की बात हो रही है और मंत्री जी 292 बोल रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लें कि इस विधेयक की धारा-3 में मूल अधिनियम की धारा 339-ख की उपधारा-1 के खण्ड- (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये । खण्ड- (क) क्या है, जिसके स्थान पर यह स्थापित करना चाहते हैं ? यह तो उल्लेखित होना चाहिए न । अगर हमें यही नहीं मालूम है कि पहले क्या था और उसके स्थान पर अब क्या स्थापित कर रहे हैं । सामान्यत: जब भी कोई संशोधन विधेयक लाया जाता है तो मूल विधेयक में क्या है, इसको भी साथ में दिया जाता है । अगर मूल विधेयक हमें नहीं मिलेगा और आप क्या संशोधन कर रहे हैं ? पुराना क्या था, अगर हमें यह जानकारी नहीं होगी तो हम सदन में बहस कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । भविष्य में इस बात का ख्याल रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी मेरी इस प्रकार की आपत्ति पर निर्देश दिया था कि संशोधन विधेयक के साथ में मूल विधेयक को भी आप सदन में रखा करें । आपने पहले भी यह निर्देश दिया है और आपके इस निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे याद है, पहले भी मैंने यह कहा था कि अगर मूल विधेयक हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे उसके ऊपर में चर्चा करेंगे ? और मूल विधेयक ही नहीं आया है तो हम इसके ऊपर कैसे चर्चा करें?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, अभी मेरे ख्याल से क्रमांक-1, 2023 पर चर्चा हो रही है । आप आगे उसी पर बात करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो चर्चा पूरी हो गयी है । डेढ़ घंटे से यह चल रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सारी बातें स्पष्ट हो गयी हैं अब इस विधेयक को पारित कर दिया जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- तैं हां, हां-नहीं करके पारित करवा ले न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 को 9 कर रहे हैं, ये 10 को 6 कर रहे हैं । हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है कि पहले 15 था, हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है कि पहले 10 था तो हम किस आधार पर इसमें संशोधन को स्वीकार करें ?

अध्यक्ष महोदय :- सचिव जी, इनके पास जानकारी नहीं है । उपलब्ध कराया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप से एक बात का आग्रह है भविष्य के लिए यह स्थायी आदेश जारी हो जाए कि जब कोई कानून, विधेयक या संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय मूल विधेयक उसके साथ में रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- उपाबंध में संलग्न होना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शासन से भी इस बात का आग्रह है कि आप ज़रा दो चार अच्छे विधि अधिकारी रख लीजिए । होता यह है कि हम कानून बना देते हैं और वह फिर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है । हमारी अवमानना होती है और वह राज्य में लागू नहीं होता है । इसलिए यहां विधि मंत्री जी भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं । उसमें वित्तीय उपाबंध नहीं लगा । इसमें पुराना कानून नहीं लगा । जब पुराने कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है और हम संशोधन विधेयक को पारित कर रहे हैं । भविष्य के लिए इस संबंध में आपके स्थायी आदेश जारी होने चाहिए । इस बात का आपसे आग्रह है जिससे कि हमारी विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी, मेरा यही निवेदन है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश जाए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री पहले उसको पूरा चेक कर लें कि विधेयक का प्रारूप सही है कि नहीं । उसके बाद सदन में लाएं, उसके बाद सदन में चर्चा हो तो ज्यादा उचित होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आपने नेता प्रतिपक्ष का सुझाव सुन लिया । आने वाले समय में सभी शासकीय अधिकारियों को निर्देशित करिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बृजमोहन जी भविष्य के लिए बोल रहे हैं । बृजमोहन जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में तो आपको विधेयक रखना पड़ेगा और आप उसको लेकर आएंगे । ये क्या भविष्य में लाएंगे, इनका भविष्य हो गया ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद् और शुभकामनाएं देता हूं । हम सरकार बनाएंगे और उसक बाद इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने अभी के लिए निर्देश दिया है (हंसी) अगले सत्र में क्या होगा वह अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बचा क्या है प्रभु ।

(6) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । चलिए कौन बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो बहुत बोल चुके । चलिए बोलिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे दोनों में तो बोल चुके हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और आप आसंदी पर बैठे हैं । उनके संसदीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन है । ऐसा क्यों है, यह आपको बता रहा हूं । मैंने बोलते हुए आपत्ति ली कि नगर पालिका वाला विधेयक पारित हुआ, उसक उद्देश्य में कहीं पर, क्यों 9 और 6 प्रतिशत किया जा रहा है, यह नहीं लिखा है । बार-बार आपत्ति ली तो जो नगर निगम वाला विधेयक है, उसके उद्देश्यों को डहरिया जी ने पढ़कर सुनाया । विधेयक दूसरा और दूसरे विधेयक के उद्देश्यों को पढ़ रहे हैं और उसको उचित मान रहे हैं और ये ताली भी बजा रहे हैं और आसंदी से एक निर्देश नहीं आ रहा है । सुन लीजिए संसदीय कार्यमंत्री जी, बहुमत तो न मेरे हाथ में है और न ही आपके हाथ में है लेकिन विधेयक दूसरा है और उद्देश्य दूसरे विधेयक का पढ़ रहे हैं । जिसमें मैंने आपत्ति ली थी उस उद्देश्य में नही लिखा है 9 ओर 6 प्रतिशत । आप जो कर लें वह कम है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, असल में दो विधेयक एक साथ आ गया और हमारे तीनों विद्वान सदस्य कन्फ्यूज़ हो गए । पहले विधेयक की चर्चा दूसरे विधेयक में करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, हम कन्फ्यूज़ हो गए । आपके संसदीय कार्य मंत्री काल के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि इस गौरवशाली सदन में यह घटा है। जिसके आप संसदीय कार्यमंत्री हैं और आप समर्थन में खड़े होते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरा सौभाग्य है कि मैं संसदीय कार्यमंत्री हूं और यह सौभाग्य आपको भी मिल चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका सौभाग्य है कि जब आप अगली बार सरकार की बात करते हैं तो आपको अगली बार शराणागति की भक्ति मत मिले । आप फिर से विपक्ष के नेता बनें । यह शुभकामना है ।

श्री अरूण वोरा :- अरे चंद्राकर जी, अगली बार पचहत्तर पार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको अगर 80 पर कहेंगे तो आप 80 पार का नारा लगाओगे । इससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे आप । मोतीलाल जी वोरा के सपनों को आप कभी साकार नहीं कर पाओगे ।

श्री अरूण वोरा :- करूंगा, करूंगा, करूंगा । कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं फिर कह रहा हूं आप विद्वान सदस्य हैं विद्वतापूर्ण भाषण 15 मिनट में खत्म कर दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- जी-जी। मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। इस विधेयक में कुछ नहीं है। नगरपालिका और नगर निगम का अंतर है। लेकिन चूंकि आप आसंदी में नहीं थे, मैं आपको फिर बता देता हूं। 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत क्यों कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य में लिखा है कि लचीला कानून क्रेडाई की जरूरत है। लचीला कानून गरीबों की जरूरत नहीं है। यदि क्रेडाई को देना है तो 9 और 6 प्रतिशत क्यों? जो 3 किलोमीटर की त्रिज्या दे रहे हैं, अब वह दो मिलोमीटर हो जाएगी। पहले दो किलोमीटर थी। उसमें भी उनको सुविधा दे रहे हैं। उद्देश्य के कथन में गोलमाल बात कर रहे हैं। मैं यह सुझाव देता हूं कि गरीब विरोधी यह सरकार जो है, वह 9 और 6 प्रतिशत को शून्य कर दे और उनसे पैसा ले तो उसके लिए भी वित्तीय ज्ञापन भी मत लाए उसको भी खा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस बात को क्रोध से कह रहा हूं कि दुनिया की हर विचारधारा, आप किसी भी विचार धारा का अध्ययन कर लीजिए तानाशाही को बस छोड़कर, तो गरीबों पर केन्द्रित होती है। गरीबों से ही विचारधारा पैदा हुई है। यह पहली सरकार है जो अमीरों को संरक्षण देने के लिए 9 और 6 प्रतिशत ला रही है। इस प्रदेश में अब गरीबों के लिए सरकार नहीं है। शहरी क्षेत्र में कोई आकर रोजी रोटी कमाना चाहेगा तो अब उनको घर नहीं मिलेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह किसके दबाव में लाया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसकी जरूरत क्या है, इसको कोई नहीं बताया ? बोले कि मध्यप्रदेश में हो

गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया। हम गरीबी में कितने हैं, प्रति व्यक्ति इनकम में हम कितने हैं ? यदि संशोधन लाते हैं तो हमारी पृष्ठभूमि को देखकर लाईए। दिल्ली बंबई से इसकी तुलना नहीं होती। हम लोग भी यहां रहते हैं। यह सरकार क्रेडाई सरकार है। गरीबों के हितों की सरकार नहीं है। मैं संशोधन दे नहीं सका। क्योंकि सदन इतनी जल्दी-जल्दी चल रही है, एकदम बुलेट ट्रेन से ज्यादा गति से चलाए हैं, अहमदाबाद, बंबई वाला जो प्रस्तावित बुलेट ट्रेन है, वैसा वंदे मातरम में चल रहे हैं। मैं संशोधन नहीं दे सका नहीं तो मैं इसमें जरूर संशोधन देता। संशोधन की इस जगह में मैं विपक्ष क्यों।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बहुत विद्वान सदस्य हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक मिनट उदाहरण बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, आप बाधा मत बनिए, भाई। जल्दी निपटाना है।

श्री अजय चंद्राकर :- वे बीच-बीच में जाते हैं, फिर अंदर आकर दो लाईन बोलने के लिए खड़े होते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर बीमा कराते हैं तो बीमा की राशि और पंजीयन की राशि ज्यादा रहता है तो गाड़ी मालिक भी उसका पैसा उपभोक्ता से लेता है। उसी तरह से जमीन में टैक्स की कमी करेंगे तो वह उतना पैसा उपभोक्ता को कम लगेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस विधेयक को बहुत बड़े षड़यंत्र के तहत गरीबों के सपनों की हत्या करने के लिए लाया गया है और इसके निहितार्थ, इसके उद्देश्य राजनीतिक है ना कि किसी की सेवा है। यह बिल्डर के दबाव में लाया गया है और इसमें तोलाबाजी हुई है। हम इनके तोलाबाजी को मजबूत करने के लिए सुझाव देते हैं। 9 और 6 प्रतिशत भी गरीबों के लिए मत रखे, उसको शून्य प्रतिशत कर दें। उनको पूरी जमीन बिल्डर से दे दें। इसी आशय के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- गरीबों को छूट मिलने से आपको तकलीफ क्यों हो रहा है, भाई।

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पाण्डे जी।

श्री सौरभ सिंह :- क्यों महाराज, आप इसके पक्ष में हो या विरोध में हो।

श्री अजय चंद्राकर :- दे दो, दे दो, समर्थन दे दो।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- अभी मैं सच-सच बोलना चालू करूंगा तो आप लोग बाहर चले जाओगे।

श्री अजय चंद्राकर :- तै विधेयक में बोल, बाहर मत बोल।

श्री रामकुमार यादव :- तु मन के जमाना में तो पूरा जमीन ला बेच देहौ

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, इसी तरह चमकाते रहते हैं, आप बिना चमके अपना भाषण पूरा करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके रहते नहीं चमकूंगा। माननीय मंत्री जी ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पर अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नगरपालिकाएं हैं और उन नगरपालिकाओं में ...।

अध्यक्ष महोदय :- यहां नगर निगम की बात हो रही है, आप उल्टा चल रहे हैं। नगर निगम संशोधन पर चल रहा है, आप भी नगर निगम संशोधन पर बात करिए। आप दूसरा पेज पढ़ना शुरू करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भैया ने जो अपनी बातें कही है, उन बातों में उन्होंने वही बातें, रिपीट की हैं जो बातें वह कह रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कोई समृद्ध राज्य नहीं है कि यहां पर बहुत रईस लोग रहते हैं। यहां बंबई, दिल्ली या इधर-उधर से पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि वहां से आकर बिल्डर काम करते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य है और यहां पर यहीं का पढ़ा हुआ युवा या यहीं का पढ़ा हुआ इंजीनियर या यहीं का बेटा ठेकेदारी करता है और कालोनाइजर बनता है। वह अपना काम करता है और अपना जीवन-यापन करता है। हमारे प्रदेश में जो अधिनियम लागू होते हैं और जो अभी तक लागू हुए थे। आज पूरे प्रदेश में बहुत सारी कालोनियां बन रही हैं। पिछले 25-30 सालों में जो कलोनियां बनी हैं और उन कालोनियों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को आज तक सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। उनका नगर-निगम की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। हम उनको पानी भी नहीं दे पाते हैं। हम वहां पर कोई कन्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। वहां का कोई विधायक हो या पार्षद हो या सांसद हो, वह वहां पर अपनी निधि से एक रूपये भी नहीं दे पाता है। क्यों? वह इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वह कालोनियां संलग्न नहीं हो पाई हैं। वह कालोनियां क्यों संलग्न नहीं हो पाई? वह इसलिए संलग्न नहीं हो पाई क्योंकि बिल्डर ने एन.ओ.सी. ही जमा नहीं की। उसने एन.ओ.सी. क्यों नहीं दी? क्योंकि नियम इतने कड़े हैं। यदि नियम कड़े रहेंगे तो बिल्डर उतना काम नहीं कर पायेगा। उनका पैसा भी फंसा हुआ है। साथ ही साथ कालोनी का भी विकास नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति बिल्डर की छत्र-छाया में नहीं रहना चाहता है वह तो सरकार की छत्र-छाया में रहना चाहता है। वह नगर-निगम के विकास का हिस्सा बनना चाहता है। वह चाहता है कि उसके दरवाजे पर रोड बने। वह चाहता है कि उसके घर में पानी आये और वह एक अच्छी लाइफस्टाइल से जी सके। उसके लिए माननीय मंत्री विधेयक लाये हैं और उस विधेयक के माध्यम से वह उसमें संशोधन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। विकास के

साथ-साथ उन कालोनियों में जो लोग 20-25-40 साल से रहे हैं उन लोगों को एक अधिकार मिलेगा। वह नगर-निगम में काम कर पाएंगे और उनका वहां पर आना-जाना हो पाएगा। इससे उनके यहां पानी पहुंचेगा। साथ ही उनको सरकार का एक संरक्षण मिलेगा। मैं समझता हूं कि यदि यह संशोधन विधेयक पास किया जाता है तो उससे छत्तीसगढ़ की 1000 कालोनियों में रहने वाले कम से कम 50 लाख लोगों को सीधे-सीधे शहरों में फायदा होगा। मैं मंत्री जी के इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। सौरभ सिंह जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट। इस सरकार में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लहर गिनने में बिरबल को भी पीछे छोड़ दिये हैं। आप इतनी बुद्धि कहां से पा रहे हैं? आप एक स्रोत तो बताइये।

अध्यक्ष महोदय :- यह स्रोत तो बस्तर से आता है।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसे सब कार्यों के लिए स्रोत कहां से आता है?

अध्यक्ष महोदय :- बस्तर में कोई त्रिपाठी जी हैं। वह सफेद मुसली बनाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- राजाराम त्रिपाठी।

अध्यक्ष महोदय :- जी। मेरी जानकारी में।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोण्डागांव वाले।

अध्यक्ष महोदय :- जी। कोण्डागांव वाले।

श्री अजय चंद्राकर :- वह भी सबसे पहली सरकार में सबसे पावरफुल आदमी थे।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी कृषि विभाग के अंतर्गत आता होगा। चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- वर्ष 2000-2003 के बीच उसकी सरकार में तूती बोलती थी।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी तो सफेद मुसली की खेती थी। चौबे जी सफेद मुसली के उनके पैटर्न को किये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- का हे कि राजाराम त्रिपाठी हा नंदा गे रीहिस हवे, तेला आप याद करावत हो। वह पहिली नंदा गे रीहिस।

श्री अजय चंद्राकर :- राजाराम त्रिपाठी और जिंदल जी में हाजिरी लगाने के लिए सब मंत्री जाते थे। हमने देखा है कि जिंदल जी को देखकर मंत्री जी खड़े हो जाते थे।

अध्यक्ष महोदय :- आप उन लोगों के नाम मत लीजिए जो यहां के सदस्य नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने भी उनकी सेवा ली है? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सवाल ही नहीं है। सौरभ जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले विधेयक में आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू-खण्डों/आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या के 10 और 15 प्रतिशत को 6 और 9 प्रतिशत कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। उसको भूल जाइये। आप दूसरी बात कीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- आपने बिल्डर को उपकृत करने के लिए दूसरी जगह दे दी। अब दूसरा विधेयक आया है तो आप बिल्डर को यह गैप भी दे रहे हैं कि वह पैसा जमा करके इस पूरे मामले को रफा-दफा कर दे। यह दूसरा विधेयक इसी चीज के लिए लाया गया है कि कितना पैसा जमा होगा, कहां पर पैसा जमा होगा। कुल-मिलाकर आप इन दोनों विधेयकों से बिल्डर को, जो पुराने भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. में रूके हुए थे, उससे उनको निजात कर दिया।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जेखर जइसने भावना रहिथे वइसने दिखथे। एमन बड़े ला हमेशा फायदा पहुंचाहे। एक विधेयक हा गरीब मन बर हरे, एक अमीर मन बर नो हरे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसका 6 महीने के बाद जो पूर्णकालिक परिणाम मिलेगा, वह इस प्रदेश के लिए देखने लायक रहेगा। बिल्डर लोग जो ई.डब्ल्यू.एस. की जमीन बिना अलॉर्टमेंट करके रखे हुए हैं, जब वह ई.डब्ल्यू.एस. की जमीनें बेचना चालू करेंगे। इस तीसरे क्लॉज का उपयोग फर्जी भुगतान करके किया जाएगा कि नगर-निगम में पैसा जमा कर दिया गया है। कितना पैसा जमा किया गया, किस मूल्यांकन से जमा किया गया, किस गाइडलाइन के आधार पर जमा किया, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्डर अपना मजा कर लिया, क्रेडाई अपना मजा कर लिया । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप प्रदेश की जनता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं । ऐसे विधेयक पर जनता नवम्बर, 2023 में बताएगी ।

समय :
4:00 बजे

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो यह दूसरा विधेयक है, उस विधेयक के खण्ड 2 में "धारा 128-ग" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 128-क" प्रतिस्थापित किया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि धारा "128 क" क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आपने पिछली बार कहा, इसमें तो आपने आपत्ति लगा दी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, धारा "128 क" क्या है, क्या प्रतिस्थापित करना चाहते हैं ? दूसरा, जब एक एकड़ से कम जमीन वाले को आप शुल्क लेने वाले हैं तो इसमें वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए । इसमें दो कमजोरियां होने के कारण यह विधेयक अवैध हो जाएगा इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पास नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले विधेयक में भी उनको बता दिया था कि 128 "ग" का पूर्व में उल्लेख था, जो "128 क" का उल्लेख होना था। उतना तो पहले ही बता चुका हूं, पहले से चर्चा हो गई है । चूंकि इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं हो रहा है, वित्तीय पत्र की जरूरत ही नहीं है । वह पैसा सरकार के पास जमा होगा । सरकार का पैसा खर्च होता है, तब वित्तीय पत्र की जरूरत पड़ती है, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून में इसका उल्लेख नहीं है, वित्तीय ज्ञापन नहीं है तो नियम और निर्देश कैसे बनाएंगे, कहां, कैसे जमा होगा। इसलिए आप गोलमोल विधेयक को पास कर दीजिए, सरकार की मदद कर दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह विधान सभा है । मैं माननीय विधि मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या वित्तीय ज्ञापन तभी होना चाहिए, जब सिर्फ पैसा खर्च होता है या सरकार के एक्सचेकर में पैसा जमा होता है, तब भी वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए । अगर नहीं हैं तो आप पारित कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परन्तु वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए। अगर पब्लिक एक्सचेकर में पैसा आता है या वहां से जाता है तो उसमें वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए । वित्तीय ज्ञापन दोनों विधेयकों में नहीं लगा है और साथ में मैंने जानना चाहा था कि "धारा 128-ग" के स्थान पर "ग" क्या है और "क" क्या है, क्योंकि इन दोनों का उल्लेख नहीं किया है तो हम इस विधेयक को कैसे पारित करें, बस मेरा इतना ही कहना है ।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप कुछ बोल दीजिए और उनको संतुष्ट करिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने फिर से कहा कि दो विधेयकों पर चर्चा हो रही है और दोनों विधेयकों पर मेरे सभी माननीय सदस्य कन्फ्यूज़ हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं हैं, हम लोग स्पष्ट हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इधर की ही बात हो रही है । उसके बावजूद भी वित्तीय ज्ञापन की क्या आवश्यकता हो सकती थी, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह जो निर्देश हैं, वह बिना कानून के बन जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए, निवेदन करिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दोनों विधेयक एक ही किस्म के हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा यह कहना है कि 9 और 6 प्रतिशत को आप चाहें तो शून्य कर सकते हैं । सरकार चाहे तो शून्य कर सकती है, हम अनुमति देते हैं। आप शून्य कर लें, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- क्रेडाई से बात कर लें, जीरों कर लें । जीरों करवा लें, हम पांच मिनट रूक जाते हैं । आप क्रेडाई से बात कर लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्रेडाई से बात करके जीरों करवा लें, जीरों कर देते हैं। आप समय ले लीजिए । बात कर लीजिए, हम जीरों कर देते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी आदेश दे रहे हैं । सुन लीजिए । चन्द्राकर जी सरकार को आदेश दे रहे हैं कि शून्य कर दिया जाये । इनको आदेश देने का पॉवर कहां से आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जीरों कर दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपका आदेश कहां है ? अध्यक्ष जी, आप दिखवा लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है ? आपने कहा है कि सरकार को आदेश दे रहे हैं कि शून्य कर दें । आपको आदेश देने का अधिकार कहां से आ गया ?

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आप बोलिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, "धारा 128-ग" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 128-क" प्रतिस्थापित किया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि धारा "128 क" क्या है ? इसको स्पष्ट करने की कृपा करें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इसमें पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आपसे फिर से आग्रह है, 9 और 6 प्रतिशत को हम शून्य करने के लिए तैयार हैं, आप क्रेडाई से बात कर लीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) विचार किया जाये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाइंटेड बात की है, उसका उत्तर नहीं आया । आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी, उसको मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने सिर्फ सुनने की अनुमति दी है, जवाब देने की अनुमति नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संक्षिप्त सा संशोधन विधेयक है। जिसमें विधानसभा के पूर्व सदस्यों के लिए भत्ते में कुछ आंशिक संशोधन करके प्रस्ताव जोड़ा गया है। हमेशा से परम्परा रही है कि कभी इस पर चर्चा होती नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एक अच्छा विधेयक लाये हैं। हम ऐसे विधेयक को समर्थन करते हैं। लोग चाहे किसी भी अर्थों में ग्रहण करें। लेकिन भईया जी, जी से मैं एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि अभी वह धीमी गति के समाचार है। जमाना 24 गुणा 7 का है। तो आप 24 गुणा 7 का चैनल बन जाईये। हम लोगों के पूरे सदन के 4-5 विषय लंबित है। जिसमें आपको निर्देश जारी करना है। कुछ विषय माननीय अध्यक्ष जी से भी संबंधित है। अगले सत्र का माहौल क्या होगा, नहीं जानते। अभी सत्र का 2 दिन बाकी है। तो आप यह आश्वस्त कर दें कि माननीय विधायकों के जो भी विषय आपके संज्ञान में लाये हैं, मैं इस सत्र में सम्पादित करूंगा, included अध्यक्ष महोदय। आपको धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। आपने खास तौर से भूतपूर्व विधायकों की चिंता की है। उसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- भूतपूर्व की चिंता की उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोला, विशेष तौर पर।

अध्यक्ष महोदय :- वर्तमान की चिंता नहीं कर रहे है, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- वर्तमान वाले चलते रहते हैं। थोड़ा-बहुत देखते हैं, पहले हो गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय अजय जी ने जो सुझाव दिया और जो विधेयक है, वह भिन्न है। विधेयक में जो प्रावधान करने थे, वह प्रावधान किया गया है। इसलिए सदन में लाया गया है। माननीय अजय जी ने जो सुझाव दिए हैं, including speaker, कुछ एक शब्द कहा।

अध्यक्ष महोदय :- including speaker एवं नेता प्रतिपक्ष।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, सिर्फ only speaker. मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता। सिर्फ एक विषय आपसे संबंधित है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- अध्यक्ष जी के साथ नेता प्रतिपक्ष को समाहित किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक विषय सिर्फ आपसे संबंधित है, भाई साहब को मालूम है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आप आसंदी में विराजमान हैं, सदन के अध्यक्ष हैं। तो आपके निर्देशों की कौन अवहेलना कर सकता है। स्वयं नेता प्रतिपक्ष जी बेहद उत्सुकता से अपनी खुद की बात कह रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको आपकी चिंता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह संपूर्ण सदन की चिंता है। केवल मेरी चिंता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आपको सम्मिलित करके कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको 24 गुणा 7 बनने का आग्रह किया हूं। अभी दो दिन बाकी है, अभी धीमी गति का समाचार चल रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह अभी 24 गुणा 7 में आया भी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृहस्पत सिंह जी, इसमें आप कुछ बोलेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अजय जी ने जो चिंता की है। अगर उन सब मामलों में भी यह आश्वासन दे देते कि विधानसभा के सत्र समाप्ति के पहले ऐसा निर्देश जारी हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही की सुनते हैं। आप थोड़ा जोर से कहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कह देंगे कि सभी निर्देश जारी हो जायेंगे, मुझे लगता है कि उसके लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं है । आपको आफिशियल निर्देश जारी करवाने हैं, वह सब की चिन्ता है, हम सब लोग बड़ी जल्दी चुनाव के क्षेत्र में जाने वाले हैं, उसकी अगर घोषणा कर दे तो मुझे

लगता है कि यहां हम 24 तारीख तक सभी निर्देश जारी करके अध्यक्ष जी को सौंप देंगे । मुझे लगता है कि वह उचित होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, हम 31 तक इंतजार कर सकते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, सदन में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- सबसे ज्यादा चिंता धरम कौशिक जी को है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनको तो कुछ चिन्ता हो भी नहीं सकती अध्यक्ष जी । वह अपने पार्टी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इधर के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उधर भी पद संभाल चुके हैं, जितना कानून बनेगा, उतना कानून के दायरे में तो हैं, इसलिये उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो निश्चिंत होकर बैठना चाहिये । क्षेत्र की जवाबदेही, प्रदेश की जवाबदेही, उसकी चिंता करो, अपनी चिंता मत करो और जो मिले उसे स्वीकार करो ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आगे बढ़िये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम सब हां है, लेकिन माननीय जो मिश्री भईया है, सदन के सबसे लोकप्रिय आदमी है, सारे लोग उनका भारी सम्मान करते हैं, हम लोग घोर सम्मान करते हैं । वे 24X4 समाचार चैनल बनूंगा और 24-25 तारीख को मैं रिजल्ट दूंगा,एक भीष्म प्रतिज्ञा उनकी आनी चाहिये । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन) 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयय, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भ्रात्ता, तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सर्वानुमति में आप एक मौखिक निर्देश जोड़िये कि इस विधेयक के साथ माननीय हमारे सब के प्रिय मिश्री भईया जो 24 तारीख को परिणाम देंगे, सभी निर्देशों में । आप आपके कक्ष में । आप निर्देश तो कर दीजिए कि कक्ष में 24 तारीख शाम तक परिणाम देंगे करके ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने 31 तक छूट दे दिया है । श्री टी.एस.सिंहदेव साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा समर्थन नहीं किया।

(8) छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक 2023 (क्रमांक 5 सन 2023)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक 2023 (क्रमांक 5 सन 2023) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । चलिये सौरभ सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो जी.एस.टी. का बिल आया है, एक बिल है, ब्याज एवं शासित के निपटान विधेयक ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- अर्बन बॉडी में जो जैसे दो ठो बिल आया था ना, चारो लोग कन्फ्यूज हो गये थे ।

श्री सौरभ सिंह :- हम लोग कन्फ्यूज नहीं हुये थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां लाया था बेचारा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बेचारा कोई नहीं ।

श्री सौरभ सिंह :- विद्वान मंत्री जी हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी भी जी.एस.टी. का दो-दो बिल आया है । कन्फ्यूज नहीं होना । बिल नंबर 1 है, बिल नंबर 1 पर ही बात करना ।

श्री सौरभ सिंह :- 5 नंबर है, उसी में बात कर रहा हूँ ।

श्री रामकुमार यादव :- जी.एस.टी. के पैसा ल मोदी जी कना मंगा देहव।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, और अभी-भी जी.एस.टी. के दो-दो बिल आये हैं। कन्फ्यूज नहीं होना।

श्री सौरभ सिंह :- कन्फ्यूज नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- यदि बिल नंबर 01 है तो बिल नंबर 01 पर ही बात करना।

श्री सौरभ सिंह :- 05 नंबर है, उसी में बात करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन मोदी जी से जी.एस.टी. के पैसा हा मंगा दहा। जम्मों रोक के राख दे हे। काटत भर हे देयत कुछ नहीं हे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, यह छत्तीसगढ़ स्पेशिफिक बिल है और जो 07 नंबर का बिल आया है, वह केंद्र सरकार का जो बिल आया है, उसको अनुमोदित करके देना है। यह जो बिल है, इसमें माननीय मंत्री जी ने अपने विभागीय प्रतिवेदन में लगभग 04 हजार करोड़ रूपये जी.एस.टी. का दिया था कि जी.एस.टी. का 04 हजार करोड़ रूपये बकाया है। अब यह जी.एस.टी. के बकाया को सुधारने के लिये या बोनस ...

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सौरभ जी, एक मिनट। जी.एस.टी. का बकाया नहीं, वैट का बकाया। यह वैट का वन टाईम सैटलमेंट है।

श्री रामकुमार यादव :- हम मन ला समझे हे ते भुलवाड़ के ज्ञानी हे, ज्ञानी हे कही के। हमन अकेले जा के सुनथन अउन। राजा साहब हवे ता बन गे।

श्री सौरभ सिंह :- हव, बैठ-बैठ। बैठ ए घड़ी बारात जाबो।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसके लिये भी कोई बिल ले आओ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें हम लोग उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा करके व्यापारियों को छूट देकर उसको संशोधित कर फिर उनसे पैसा लेंगे। मेरा यह कहना है कि हम छूट क्यों दें ? वह पहले ही टैक्स चोरी कर रहे हैं। फिर वह टैक्स चोरी का निपटारा करने के लिये एक नया विधेयक ला रहे हैं। क्यों निपटारा ? उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। उनको क्यों छोड़ रहे हैं ? अनुसूची, छोटे बकायदारों के संबंध में सरल क्रमांक 02 में उल्लेख है कि जिनकी बकाया राशि 50 लाख से कम है, उनको 60 प्रतिशत छूट दी जा रही है। क्या इसमें राजस्व का नुकसान नहीं होगा ? यदि आपको छूट देनी है या कोई मामले का निपटारा करना है तो 20-25 प्रतिशत छूट देकर निपटारा कर ले। इनपुट में बदमाशी, इनपुट लेने में बदमाशी, उद्योगपति सब तरह की बदमाशी कर रहे हैं। यहां पर व्यापारी है जो

जी.एस.टी. में कर रहे हैं। दूसरा, अनुसूची के सरल क्रमांक 03 के अनुसार बकाया ब्याज मात्र 10 प्रतिशत लिया जायेगा। 10 प्रतिशत क्यों लिया जायेगा ? कुछ तगड़ा ब्याज ले, कुछ राजस्व आयेगा। वह पहले ही बदमाशी कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। फिर हम उनको बार-बार छूट दे रहे हैं। क्यों अनुकृत कर रहे हैं ? उनसे कड़ाई से पैसा वसूली होना चाहिए, इसके साथ किये जाने का प्रावधान है। ब्याज के कर का हिस्सा वसूली करना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसमें 90 प्रतिशत की छूट को क्यों बढ़ावा दिया जाये ? माननीय मंत्री जी, इसमें लेख आया है कि सरल क्रमांक 04 में बकाया शक्ति को पूरी तरह से छूट देने के नियम कर पटाने वाले के साथ यह अन्याय है। जो ईमानदारी से पटा रहा है, आप उसको लेते जा रहे हैं। जो नहीं पटा रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, इनपुट में चोरी कर रहा है, सारे तरह की चोरी कर रहा है, उसको आप छूट दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह से जो छूट दी जाती है और विधेयक लाकर छूट दी जाती है, यह चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। आने वाले समय में आपका टैक्स कलेक्शन घटेगा और टैक्स कलेक्शन इसलिये घटेगा कि हर आदमी इस दिन का इंतेजार करेगा कि मैं अपना टैक्स नहीं पटाऊंगा और टैक्स नहीं पटाने के बाद, एक दिन आयेगा, मैं एक सरकार को जाकर प्रतिवेदन दूंगा, प्रतिवेदन के बाद सरकार मेरे दबाव में आयेगी, दबाव में आने के बाद, मंत्री जी जिम्मेदार आदमी है तो मैं अन्य बातों को नहीं बोलूंगा, मैं मंत्री जी के लिये दबाव हूं बोलूंगा। वह डेलीगेशन लेकर आयेगा, मंत्री जी से आग्रह करेगा, चुनाव नजदीक है, दबाव देगा और यह बोलेगा कि मैंने जितनी भी जी.एस.टी. की गड़बड़ियां की, उस गड़बड़ियों की छूट कर दी जाये। मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह की छूट की व्यवस्था, इस तरह के बकाया की व्यवस्था न की जाये, यह एक गलत नजीर साबित होगा। यह गलत चीज है और इस गलत चीज का आगे चलकर दूरगामी परिणाम बहुत खराब होगा। धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात रखिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रात के 12 बजे नोटबंदी की गयी। नोटबंदी के कारण हमारे..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 08.00 बजे की गयी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सॉरी 8.00 बजे। नोटबंदी के कारण हमारे छत्तीसढ़ के लघु व्यवसायी और मध्यम व्यवसायी की हालत बहुत गंभीर होते जा रही है। शासन इनके हितों की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध है। इसलिये छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान हेत विधेयक, 2023 लाया गया है। छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है और यहां जी.एस.टी. गंतव्य आधारित कर प्रणाली लागू हुई है जिससे मध्यम, लघु व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं और राजस्व की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। राजस्व की भरपाई के लिए इस विधेयक को लाया गया है। वर्ष 2017 से यह विधेयक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण देश और अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है और जी.एस.टी. अधिनियम

लागू होने के पूर्व राजस्व संग्रहण हेतु विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्य कर अधिनियम और मूल्य संवर्धित कर अधिनियमों के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय विक्रय कर अधिनियम प्रचलित रहे हैं और इन अधिनियमों के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय न्यायालयों में बहुत सारी विवादग्रस्त राशि लंबित पड़ी हुई है और इसका एक मुश्त निपटारा करना है इसी उद्देश्य से इस विधेयक को प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में 12 हजार बकायादारों को भुगतान करना है 3 हजार 785 करोड़ रूपए बकाया है। इसमें कर की राशि लगभग 2 हजार 353 करोड़ रूपए के अतिरिक्त ब्याज की राशि 525 करोड़ रूपए और शास्ति के राशि 907 करोड़ रूपए शामिल है। प्रस्तावित विधेयक में 50 लाख से अधिक बकाया है तो इस विधेयक में उसे 40 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। जिसका 50 लाख से कम है उसको 60 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में ब्याज और शास्ति में कम से कम 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत छूट देने की बात कही गई है। अनेक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में केन्द्रीय उत्पाद कर एवं कस्टम अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र शासन के समान यह विधेयक बनाया गया है और प्रस्तावित विधेयक में 50 प्रतिशत से कम राशि का बकायादार कोई व्यवसायी है उसको 98 प्रतिशत छूट, राहत देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 42226 व्यवसायी हैं। यदि यह विधेयक बनता है तो लंबित बकाया राशि का त्वरित निपटान होगा। शासन की स्थापना व्यय में कमी होगी और यह राजस्व वसूली में सहायता प्रदान करेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

वाणिज्यिक कर(जी.एस.टी.)मंत्री(श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान परिस्थिति में जब देश के कानून के अंतर्गत और जी.एस.टी. कौंसिल के निर्णय उपरांत 5 वर्ष तक जो हमें प्रोटेक्टेड इंकम का प्रावधान था और क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। यदि बीते वर्ष की तुलना में हमारी प्रति वर्ष 14 प्रतिशत आमदनी नहीं बढ़ती है तो वह Compensation की अवधि समाप्त होने के बाद, हमारे बकाया राजस्वों को और त्वरित गति से एकत्रित किया जा सके, उसे जमा कराया जा सके। उस बात को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक को लाया जा रहा है। इसमें माननीय सदस्य सौरभ सिंह जी ने भी कुछ बातों को रखा। आप यहां पूरी राशि ले क्यों नहीं रहे हैं ? आप दण्डित क्यों नहीं कर रहे हैं ? और कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने के बाद, कर निर्धारण करने के बाद, जब वसूली नहीं होती है तो अंतत: जिनके ऊपर टैक्स लगता है, वह कोर्ट की शरण में जाते हैं और न्यायालयों में बड़ी मात्रा में ऐसे प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। जहां जो कर आरोपित किया गया है, उसके संदर्भ में विवाद है कि आपने कहा कि एक लाख दो, हमारे हिसाब से 50 हजार बनता है तब तक हम 1 रुपया भी नहीं देते। कुछ लोगों ने कुछ राशि भी जमा की है। बहुत सारे मामलों में राशि ही जमा नहीं होती। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की जो बात है,

हम लोग बैंकों से भी ब्याज इत्यादि लेने की व्यवस्था को जानते हैं। बैंकों तक में जो पैसा डूबत खाते में माना जा रहा हो, एन.पी.ए. मे चला गया हो, वहां भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का प्रावधान है। यह छत्तीसगढ़ सरकार एक मात्र सरकार नहीं है जो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आगे आ रही है। इसके अतिरिक्त अनेकों राज्यों ने इस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल इत्यादि कई राज्य हैं, including government of India, भारत सरकार ने भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर रखी है। जिसमें उनके पास जो कर जमा होता है, उसके विरूद्ध बकाया के संदर्भ में अगर कोई बात है तो आकर्षक वन टाइम स्कीम, भाई विवाद है, हम नहीं देते, हमारा इतना नहीं बनता, राजस्व की हानि हो रही है, जो हमको राशि मिलती है, उस राशि से व्यवसाय, व्यवसाय कर रहा है। जो लाभ की बात है, वास्तव में बकाया न जमा होने ने सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए, उपभोक्ता के माध्यम से, उपभोक्ता ने जो टैक्स जमा कर दिया वह व्यवसायी के पास पड़ा रह गया और शासन के राजस्व के माध्यम से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे प्रकरणों में जहां बहुत दिनों से मामले लंबित पड़े हुए हैं, उनमें हमने ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई है, यह पहला राज्य है। अनेक राज्यों ने, including government of India ने इस व्यवस्था को लाया है। ताकि आज छत्तीसगढ़ में आप देखें कि हमने बात कि अब हमको 6 से 7 हजार नुकसान होने वाला है। प्रतिवर्ष प्रोटेक्टिव इनकम खत्म के बाद छत्तीसगढ़ को राजस्व की हानि होगी। जो पुराना राजस्व बकाया है, उसको हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें, उस बाबत् इस विधेयक को लाया गया है। इसमें सबकी सहमति हो, हम इस विधेयक को लायें और सेटल करें। अध्यक्ष महोदय, बकाया कितने हैं, इसमें कुल बकाया प्रकरण 42,781 हैं। इसमें से 42,226 ऐसे 98 प्रतिशत प्रकरण हैं जो 50 लाख के नीचे के हैं, शेष प्रकरण 50 लाख के ऊपर के हैं। यह राशि हम जल्द से जल्द ला सकें, हम सेटलमेंट कर सकें। इस बाबत् ये प्रस्ताव लाया गया है। सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि 50 लाख या उससे अधिक है, वहां 60 प्रतिशत आपको भुगतान करना होगा, हम 40 प्रतिशत अनुतोष के रूप में स्वीकार करेंगे। सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर के संबंध में जहां ऐसे कर की राशि 50 लाख रुपये से कम है, वह 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत की छूट है। सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत बकाया ब्याज के संदर्भ मे हम 10 प्रतिशत ले रहे हैं। भाई ने कहा था कि इतना कम क्यों हैं ? केन्द्र सरकार ने जीरो रखा है। महाराष्ट्र में शायद 20 रखा है, हम लोगों ने 10 रखा है। हम लोग भी राहत देकर इसको और आकर्षक कर रहे हैं। जो पेनाल्टी लगनी है उसको हमने जीरो किया है। एक तरह से पूरे देश में राज्यों में अगर देखा जाये तो सबसे आकर्षक यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ये विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसको लागू करने से राज्य को कम समय में बकाया आमदनी वसूल करने में राहत मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2003 (क्रमांक 5 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर :- यह एडॉप्शन का है क्या?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हाँ, दूसरा एडॉप्शन है। जो वहां से आया है। कई रियायतें हैं, कई सरलीकरण हैं। एकाध कड़ाई हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पारित करने के लिए निवेदन करिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चंद्राकर जी, आप बात कर लीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, इसमें कुछ बात नहीं करना है। मैं आपसे 2 मिनट रूकने का आग्रह इसलिए किया कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू में ही पारित कर दिया गया है। यह एडॉप्शन का है। माननीय जी, का एडॉप्शन का ही है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हाँ, एडॉप्शन का है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी, आप भी कह दीजिये कि सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

4.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री सौरभ सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय :- श्री टी.एस. सिंहदेव।

(10) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। आदरणीय अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप राजस्व विभाग की भी भूमिका में हैं। आपने एक विभाग छोड़ दी थी। चलिये, आप उस विभाग को जुड़ा हुआ मान लीजिये। इसमें कुछ बाते हैं, जिसको आप मुझे समझा दीजियेगा। आपने कहा है कि उद्देश्यों में विसंगति है उसको सरलीकरण करना है । उसके पीछे सरलीकरण के क्या उद्देश्य हैं ? आप अधिनियम-(2) के क, ख, ग, घ को देखिये कि पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो । अब यह नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टा देना है । अब यह निवासी प्रमाण - पत्र की पात्रता तो आप किसको निवास प्रमाण-पत्र देंगे ? आप कितने दिन को मानेंगे? किसको मानेंगे ? माननीय मंत्री जी, इसको परिभाषित करना जरूरी है । आपने एक प्रश्न उठा दिया था कि रोहिंग्या आपके ईलाके में कौन से पहाड़ के ऊपर में बस गये हैं करके ? तो सबसे पहले तो आप इसको स्पष्ट कीजिये । दूसरा क्या है जो आवासहीनों संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, जिसके कुटुंब की वार्षिक आय 2 लाख 50,000 रूपये से अधिक न हो । जिसके कुटुंब व्यक्ति केंद्र सरकार-राज्य सरकार उपक्रम सेवा में नहीं हों, न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड एकाउंटेंट, व्यावसायिक सेवा में हो तो यह जो परिभाषा आपने क्राईटेरिया तय किया है । वह केवल पट्टा देने के लिये है कि हमारे प्रमाण-पत्र देने के जो प्रचलित नियम हैं उसके अतिरिक्त आपको परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ? आप एक तो इसको बतायेंगे । दूसरा, फ्रीहोल्ड से अधिकार इसमें (ड.) में है । फ्रीहोल्ड से अधिकार से अभिप्रेत है संहिता में यथापरिभाषित फ्रीहोल्ड का अधिकार । कौन सी संहिता में फ्रीहोल्ड का अधिकार है ? आप हमें इसमें क्यों परिभाषा नहीं बता रहे हैं ? अब जो 165-7 (ख) जो कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी, 158-(4) में अब इस परिभाषा के हिसाब से कोई वेल्यू नहीं रहेगी । आप उसको देख लीजिये

और पूछ लीजिये । 158-(4) की अब क्या वेल्यू रहेगी ? तो फ्रीहोल्ड अभिप्रेत संहिता यानी फ्रीहोल्ड अधिकार संहिता क्या होगी ? आप इसको थोड़ा बतायें । अब कुटुंब के अंतर्गत माता-पिता, पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं रक्त आधारित कोई नातेदार जो आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णत: आश्रित हो, शामिल होंगे । रक्त आधारित अर्थात् माता-पिता के बच्चे चाचा, मामा, दादी, बहन जितने प्रकार के हैं । साहब, आप रक्त आधारित की परिभाषा बताईये । आप मण्डी अधिनियम में उनको पूछिए कि कितने लंबित तक की पहले परिभाषा मानी जाती थी, सोसायटी अधिनियम में कितने लंबित तक को रिश्तेदार की परिभाषा मानी जाती थी ? तो यह अचानक जो पट्टा देने के लिये, सरलीकरण के लिये जो संशोधन ला रहे हैं यह ढ़ेर सारे संदेह उत्पन्न कर रहा है । आप छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बिगाड़ने के चक्कर में हैं । आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है । अब आप थोड़ा सा धारा-(4) में आईये । किसी ऐसी विहीन पात्र व्यक्ति को जिसके अधिरोग में किसी सार्वजनिक पार्क की भूमि, सड़क के किनारे भूमि की सड़क बस्ती, बीच की भूमि या लोकहित के कोई अन्य स्थान की भूमि है को ऐसे स्थान से हटाया जा सकेगा अन्यत्र पट्टा अधिकार दिये जा सकेंगे । उसके बाद है दो - निवासगृहों के प्रयोजन के लिये किसी बस्ती या मकान को जहां धारा-3 के अधीन आवासहीन पात्र व्यक्तियों को व्यवस्थापन किया गया है । लोकहित में अन्यंत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा एवं संबंधित व्यक्ति के पट्टाधिकारों को रद्द किया जा सकेगा । ऐसे व्यक्ति का अन्यत्र स्थापन किया जा सकेगा । प्रावधिक अधिकारी, विहित अधिकारी, अन्य स्वास्थ्य अधिकारी, सुरक्षा, अन्य लोकहित के किसी बस्ती या मकान को हटाने तथा उसका अन्यंत्र व्यवस्थापन करने का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा एवं कलेक्टर इस पर यथोचित निर्णय लेगा । आप मुझे एक बात बताईये । आप एक सर्वे करा लीजिये, आप तो अभी बहुत तेजी से सर्वे करवा रहे हैं। अमरजीत जी 24 तारीख तक जांच करवा देंगे, बेरोजगारों का 01 अप्रेल से सर्वे शुरू हो जायेगा । अभी नियम ही नहीं बने हैं न । कोई प्रोफार्मा नहीं बने हैं, 01 तारीख से सर्वे शुरू हो जायेगा । रायपुर में ठेले लगाते हैं उनमें कितने लोग रायपुर के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं ? आप इसका थोड़ा सर्वे करवा लीजिये । आपकी सरकार तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया बोलती है न । रायपुर का करवा लीजिये । अब आप भूमि अधिकार में, मैंने शुरू में जो पढ़ा कि सार्वजनिक पार्क की भूमि, सड़क किनारे की भूमि, आप आमोद-प्रमोद में नहीं हैं । आप रायपुर में बिना एन.ओ.सी के नेश्नल हाईवे में चौपाटी बना रहे हैं । अब उसको स्थायी पट्टा दे देंगे । वहां कौन लोग काम करेंगे ? एक तरफ आप बिना अधिनियम के तेलीबांधा तालाब के सामने जो ठेला लगाते थे, उनको आपने हटा दिया तो रायपुर में पट्टे का कौन सा कानून लागू है ? दूसरी बात, आप पट्टे की नई परिभाषा, निवास प्रमाण पत्र की नई परिभाषा ला रहे हैं । उसकी जरूरत क्या है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आमोद-प्रमोद के लिए और चौपाटी बनाने के लिए आपकी सरकार में जब राजेश मूणत जी थे तो उन्होंने अनुमति दी थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय डहरिया जी, आप तैं इतिहास बनाए हस मालिक, तोर अभिनन्दन करत हौं । विधेयक काहीं रिहिस हे, उद्देश्य काही रिहिस हे अउ हमन ला पढ़ के सुना देस तैं हा । माननीय विधि मंत्री जी आज मैं आपके नाम का भी उल्लेख करता हूं । आज छत्तीसगढ़ में इतिहास बना है । भारत का संसदीय इतिहास बना है । इसको निवास प्रमाण पत्र देने की पात्रता क्यों है और आप रायपुर में आप इसका सर्वे कराएंगे क्या कि रायपुर में छत्तीसगढ़ के कितने लोग ठेला लगा रहे हैं । यह सदन में आश्वासन नहीं देते हैं तो यह कानून आप जो नारा लगाते हैं उसकी मूल भावना के खिलाफ है । यह छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का षड्यंत्र है और उपकृत करने का षड्यंत्र है । यह जन सेवा नहीं है, यह गरीबों की सेवा नहीं है । अगर यह गरीबों की सेवा होगी तो छत्तीसगढ़ के लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र है । नगर निगम के पास सर्वे है । एक लाख से ऊपर के शहर आपने इसमें रखा है । एक लाख के ऊपर वाले शहरों में सब तरह के सर्वे होते हैं । उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं कि इसको ठेला देंगे, इसको गुमटी देंगे, इसको फ्रीजर देंगे । यह नया फंडा लाने की आवश्यकता क्या है ? यह मेरी समझ से परे है । मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि मुझे इस विधेयक में षड्यंत्र दिख रहा है । मुझे नई परिभाषा जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो आवश्यकता दिख रही है वह संदेह में डाल रही है । आप जो जमीन हटाने बिठाने और पट्टा दे सकेगा लिख रहे हैं, वह एक षड्यंत्र दिख रहा है । मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ की रक्षा करें, इस कानून की जरूरत नहीं है ।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक छत्तीसग नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार 2023 (क्रमांक 8 सन 2023) पर अपने विचार रख रहा हूं । सभापति महोदय, जब भी सरकारें आती हैं । गरीबों को मकान देती हैं । पट्टा वितरण करती हैं और इस पॉलिसी का लगभग हर सारकार पालन करती है । जब हमारी सरकार आई । छत्तीसगढ़ में लगभग 15 वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार आई । माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिगण सभी ने विचार किया कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम किस प्रकार से आवास दे सकते हैं, किस प्रकार परमानेंट पट्टा दे सकते हैं । इस पर विचार किया गया । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में लाखों लोग हैं उनके पास न कोई छत है, न उनके पास कोई जमीन है और वे गरीब हैं । इसका उदाहरण हमारे सामने जब कोरोनाकाल आया, तब ये चीजें बाहर आईं । अजय भइया इस पर टोकेंगे नहीं, कोरोना की बात बीच में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि कोरोना महामारी में पता चला कि गरीबी कितनी है । आपने पांच दिन, छः दिन का अचानक लॉकडाउन कर दिया तो 6-7 दिनों में ही भीड़ बाहर आ गई कि राशन नहीं है, खाना नहीं है । मतलब आप सोचिए कि आप भी विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र से हैं, मैं अपने क्षेत्र से हूं । ऐसे लोग जिनके पास दो वक्त के खाने का पैसा नहीं है, दो वक्त का अनाज नहीं है । ऐसे लाखों लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं । जो 5-6 दिन का लॉकडाउन हुआ, उस 5, 6

दिन में आपको याद होगा, इतने लाखों लोग बाहर आ गए। आप जरा यह सोचिए कि कितने लाखों लोग हैं जिनके पास पट्टे नहीं हैं, जो बेजा कब्जे में रह रहे हैं या वह किसी प्रकार से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। हमारी सरकार उनके लिए पट्टा दे रही है। पहले हर कोई व्यक्ति भूमिहीन, भूमिहीन की बात करता था लेकिन उसमें आवासहीन का उल्लेख नहीं होता था। संशोधन विधेयक की खूबसूरती यह है कि उसमें आवासहीन लोगों के लिए भी पट्टे देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। माननीय सभापति महोदय, अधिनियम 1984 में सिर्फ विक्रय पर प्रतिबंध था जबकि इस कानून में विरासत के अतिरिक्त सभी अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा की स्थिति में संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे गरीबों का भला होगा, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का भला होगा, यह ऐसे भलाई के जो विधेयक हैं, जिसमें वह अपना जीवनयापन कर सके, वह अपने सपनों का घर बना सके, महल बना सके, मैं समझता हूं कि ऐसे विधेयक का सर्व सम्मति से स्वागत करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, राजस्व के मामलों में मैं बहुत पारंगत तो नहीं, पिता जी कहते थे वे रेवेन्यू लॉ में एक्सपर्ट माने जाते थे। आज अपने दायित्व के निर्वहन में मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने कुछ बातों को उठाया है। Eligibility criteria के बारे में भी प्रश्न उठाया है। कोर्ट क्या है, उसके बारे में भी प्रश्न उठाया है और परिवार की परिभाषा क्या होगी, उसके संदर्भ में भी बात उठाई है।

श्री अजय चंद्राकर :- रक्त संबंध।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ब्लड लाईन क्या होगा, मातृत्व साईड में जाएगा या पितृत्व साईड में जाएगा। मैं आपके प्रश्नों की उत्तर देने का और आपको संतुष्ट करने का भी प्रयास करता हूं। यह घोषणा पत्र में भी है, शासन की यह मंशा भी है कि आवासहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराई जाए। केन्द्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी राशियां निर्धारित है कि अगर आप घर बनाना चाहें तो हम आपको यह राशि उपलब्ध करायेंगे। इतने वर्गफुट में इतना, इतने वर्गफुट में इतना, इतना राशि आप लगाओगे, इतना राशि सरकार देगी, इत्यादि। इन सबके के साथ जुड़ा हुआ है, आपके पास जमीन है क्या ? आपने आवासहीन के लिए योजना ले आई लेकिन भूमि है या नहीं, इसका कहीं प्रावधान नहीं हो पाया। सर्वप्रथम यह जो विधेयक लाया जा रहा है, इसका अर्थ ही वहां से चालू होता है कि यह भूमिहीनों की परिभाषा के तहत नहीं, उसको परिवर्तित करके आवासहीनों के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है ताकि जिनके पास शहरी क्षेत्र में घर नहीं है, उनको पहले तो जमीन उपलब्ध कराईए, फिर घर बनेगा। आप पैसे भी दे रहे हो, आप व्यवस्था भी कर रहे हो, आप इतना हिस्सा बनाने के लिए दे रहे हो, कहां बनाएंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब, इससे सहमत हैं। लेकिन मैंने जो पूछा था वहां से शुरू कीजिए। निवास प्रमाण पत्र की पात्रता, जब निवास प्रमाण पत्र बनाने के प्रावधान हैं तो पात्रता की परिभाषा क्यों ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं क्रमश: आ रहा था कि पहले क्यों ? विधेयक लाने की जरूरत क्यों ? आपने यह भी कहा। विधेयक लाने की आवश्यकता क्या है, सारा कुछ तो है। विधेयक लाने की बुनियादी आवश्यकता....।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें सहमत हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी। वह बात हो गयी कि उसकी आवश्यकता है। फिर हम लोगों ने यह देखा कि लैण्ड रेवेन्यू कोर्ट है, आपके पास अन्य प्रावधान हैं, आपने नियम बना रखे हैं लेकिन समय-समय पर नये नियम या कई नियम बनते चले जा रहे हैं। वर्ष 1986 में नियम बने, वर्ष 1998-99 में नियम बने, वर्ष 2000 और 2019 में नियम बने, समय और परिस्थिति के हिसाब से लगातार नियम बनते चले जा रहे हैं। यह नियमों में था। इसको नियमों से संकलित करके अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट। मंत्री जी, आपने जिन वर्षों के नियम बताये हैं और आप इसको अधिनियम कर रहे हैं तो आपने जो पुराने नियम बनाये थे, क्या इसके आने के बाद वे सारे नियम निरसित माने जाएंगे?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यदि वे नियम इस अधिनियम में आ गये तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या वे नियम निरसित माने जाएंगे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ए की जगह एक आ जाएगा, बी की जगह बी जाएगा और सी की जगह सी आ जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, माननीय मंत्री जी, मैं आपके उद्देश्य से सहमत हूं। यदि हम कानून बना रहे हैं और जो आवासहीन हैं तो उनके लिए आपने निवास प्रमाण की जो परिभाषा तय की है क्या वह परिभाषा छत्तीसगढ़ में हमको जिन चीजों में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उन सब में लागू रहेगी ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से पहले यह नियम 1 लाख से अधिक आबादी की शहरों में था। अभी यह नियम समस्त अर्बन बॉडीज में लागू होगा। जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं, उन सबमें यह नियम लागू होगा। फ्री होल्ड अधिकार, अंतरण, सरकारी पट्टेदार, नगरीय क्षेत्र को छत्तीसगढ़ भू राजस्व के अनुरूप परिभाषित किया जा रहा है जिससे कि अधिनियम में संहिता की एकरूपता रहे। कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ और देखने में आ रहा था और इसके पहले अर्बन बॉडीज

भी इस बात पर डील कर रहे थे। वर्ष 2021 में उन्होंने यह कहा कि इस जमीन के मामले को हम भी देख रहे हैं। हम राजस्व विभाग से भी सीधे तौर पर संबंधित हैं। अब इसे आप ही देखिये। वर्ष 2021 के बाद अर्बन बॉडीज ने यह लिखकर दिया कि ये राजस्व के मामले हैं और आप इसको डील कीजिए। हम इसको नहीं करेंगे। पूरे नियम के माध्यम से अधिक से अधिक एकरूपता आये और आज के समय में हम लोगों की समझ में जितना आ रहा है उसको इसमें समावेश किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, यह जनता की समझ में आना चाहिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यही तो हम लोगों का काम है। यह बहुत कठिन काम है लेकिन हम लोगों का ही काम है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, जैसा हमें लगता है, जैसा हमें समझ में आ रहा है यह नहीं, यदि कानून आप बना रहे हैं तो उसके प्रभाव का उल्लेख होना चाहिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी, उसका प्रभाव यह होगा कि यह समस्त नगरीय क्षेत्र में लागू होगा। आपने जो नियम के लिए कहा तो चुटका आ गया है, वह नियम निरसित होगा। इस कानून के द्वारा पूर्व में पट्टे शासित माने जाएंगे। यह बात इस कानून की धारा-14 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और जिसका आगे उल्लेख भी है। कई सवाल पूछे गये। पहले मैं सामान्य बोल देता हूं फिर सवालों के जवाब देता हूं। क्षेत्रफल और प्रक्रिया के विवरण को नियम के द्वारा विहीत किये जाने का प्रावधान रखा गया है। अधिनियम-1984 में सिर्फ विक्रय पर प्रतिबंध है जबकि इस कानून में विरासत के अतिरिक्त सभी अंतरण भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति में संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ लेने का प्रावधान किया जा रहा है। अधिनियम-1984 में भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने के लिए शासकीय भूमि के अवैध अतिक्रमण के व्यवस्थापन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया और राशि उल्लेख है। इन प्रक्रियाओं को संहिता के अंतर्गत ही किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। जहां तक आपको स्मरण होगा कि 125 प्रतिशत भी अंकित है और 200 प्रतिशत भी अंकित है। हमारे यहां जो जो सर्कुलर गया है वह 152 प्रतिशत का है तो 125 प्रतिशत लगाएंगे या 200 प्रतिशत लगाएंगे या 152 प्रतिशत लगाएंगे ? अब 152 प्रतिशत लगेगा और जो अलग-अलग प्रावधान थे, वह विलोपित होंगे। अत: विद्यमान नियम में प्रावधानों की संगति को दूर करने के लिए तथा भू राजस्व संहिता के अनुक्रम में सामंजस्य लाने के लिए नवीन विधि लाना आवश्यक है अतएव उपरोक्त नियम की आवश्यकता है। आपके जो प्रश्न थे कि दूसरे राज्यों से जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं तो वह लोग राज्य में आने के पट्टे से वंचित रहेंगे। एक समय-सीमा की बात आएगी और इसका प्रावधान नियम में किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से नियम में उल्लेखित रहेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, जब आप नियम और निर्देश बनाएंगे तो उस समय विधान सभा नहीं चल रही होगी। असली बात यही है और जिसकी मैंने मांग की कि इससे डेमोग्राफी बिगड़ेगी। आपको इसको परिभाषित करके अधिनियम में लाना चाहिए कि इस अवधि के बाद का देंगे।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- इस संबंध में केबिनेट में भी चर्चा हुई थी । वह रूल्स में आ जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विधान सभा में ला सकते हैं । आपने एक, दो जगह लिखा है, अभी उसमें कहूंगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- मुझे भी यह चिन्ता थी । जब इसमें चर्चा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, इसका हमें ध्यान देना है । शासन पूरी तरह से इस बाबत् सजग है और यह प्रावधान रहेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें समय-सीमा डाल दीजिए, अभी तो आप घोषणा कर सकते हैं कि इसमें समय-सीमा इतनी रहेगी, इस अवधि तक के लोगों को इस साल से पट्टा देंगे ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जो परिभाषा है और कौन मूल निवासी रहेगा, इसके लिए यह बात आई थी कि आप इसके माध्यम से नई व्यवस्था ला रहे हैं तो कोई भी नई व्यवस्था नहीं आएगी । छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रमाणित है तो जो उनकी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी व्यवस्था के तहत दिया जाएगा । नया कुछ भी नहीं हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपने कहा कि सामान्य प्रशासन के नियम लागू रहेंगे, वह इसमें कहीं पर नहीं लिखा है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- डोमीसाईल सर्टिफिकेट किस आधार पर देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मौखिक बोलना अलग चीज है । विधेयक में कहीं नहीं है और यही चिन्ता है, जिसको मैंने भाषण में कहा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- आप चिन्ता न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, आपके एक्ट में ही उल्लेख नहीं है और मौखिक बात की क्या चिन्ता और नहीं चिन्ता । असली चिन्ता तो वही है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- हाऊस के रिकार्ड में आ रहा है, हम लोग सरकार की तरफ से बोल रहे हैं । उसको हल्के में नहीं लेना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है राजा साहब, मैं लेजिस्लेशन के कार्य में राजनीति में नहीं पड़ना चाहता । विधान सभा के कितने आश्वासन हैं, उस दिन मैंने संसदीय कार्य विभाग की बजट चर्चा में कहा था । आप सचिवालय से निकलवाकर देख लीजिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, भूमि के उपयोग की भी बात आ रही है । हम शहरों के विकास के साथ यह देखते हैं कि आज हमें जो खुली भूमि लगती है और आज किसी विभाग को या शासन के प्रयोजन के लिए हमको आवश्यकता महसूस नहीं होती है । 10-15-20 साल बाद स्थिति एकदम परिवर्तित सी दिखेगी । हम उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, अनुमान नहीं लगा पाते । आज दबाव है कि दीजिए, दीजिए, दीजिए । कल दूसरी व्यवस्थाएं आ जाती हैं तो उसके लिए हमें करना है । ऐसे लोगों को, जिनको अगर पट्टा भी दिया गया है या उनका कब्जा भी है तो उनको शासन उन उपयोगों के लिए जो आपने ये-ये विभाग पढ़ा था, अगर उसकी आवश्यकता रहती है तो उनको दूसरी जगह जमीन देकर वहां से हटाया जा सकेगा । May, Shall नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, आज आप राजस्व मंत्री हैं । आपके ध्यान में एक बात ला देता हूं । आप यह बताईए कि चकबंदी क्यों असफल हुई या पूरी क्यों नहीं की जा सकेगी? सिर्फ इसलिए कि बड़े लोगों को लाभ हो रहा था, छोटे लोगों को ऐसी जगह जमीन दी जा रही थी, जहां बेचारे को कुछ सुविधा नहीं थी तो कुछ प्रभावशाली थे, वे चकबंदी के समय सामने की जमीन, मूल्यवान जमीन रख लिए। आप कभी बता रहे हैं कि हटाया जा सकेगा, यदि आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो इसका भी दुरूपयोग होगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट है कि किसी आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति के लिए खाली नहीं कराया जाएगा । अगर शासन के उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता रहती है तो हटाया जाएगा । यह परिभाषा में लिखित है। अगर इस-इस के लिए है तो कलेक्टर यह कर सकेगा । उस परिस्थिति के लिए उसका प्रावधान किया गया है । मैंने निवास प्रमाण-पत्र के बारे में बता ही दिया कि इसकी पात्रता में कोई बदलाव नहीं है और पट्टा प्राप्त करने की परिभाषा परिभाषित की गई है । मैंने स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के बारे में भी बता दिया । स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संहिता की धारा, अधिनियम में उल्लिखित है कि लैंण्ड रेवेन्यू कोर्ट के हिसाब से है । इसमें यही प्रावधान है । इसमें और कोई हिडन एजेंडा नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए, हिडन एजेंडा है या नहीं है, यह मैं नहीं जानता। मैंने कहा कि मैं लेजिस्लेशन के कार्य में किसी तरह का आरोप नहीं लगाऊंगा । लेजिस्लेशन माने लेजिस्लेशन होता है, लेकिन आपने जिन बातों को कहा कि नियम में शामिल हो गए तो आपको उसको अधिनिमित कर देना था कि इस तारीख तक के पट्टे को देंगे और जमीन बेचा जा सकती है, उपयोग नहीं की जा सकती, हटाया जा सकता है, इसको आपको स्पष्ट करना था । बाकी आपके पास 71 सदस्यों का बहुमत है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मेरी शंका है कि जिन लोगों ने ज्यादा जमीन कब्जा किया है, ऐसी भूमि को क्या पट्टा देंगे ? दूसरी बात, नजूल भूमि को पट्टा देंगे क्या ? गोचर भूमि को पट्टा देंगे क्या या चराई भूमि को पट्टा देंगे, यह भी स्पष्ट करें ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- सभापति जी, शहरी क्षेत्र में गोचर भूमि तो कहां हैं ? कहीं-कहीं बची होगी । जो सरकार के नियम हैं, उनको कहीं शिथिल नहीं किया जा रहा है । अगर गोचर भूमि के लिए यह प्रावधान है कि हर गांव में कम से कम दो प्रतिशत भूमि गोचर के लिए सुरक्षित रहेगी तो वह रहेगी, उस कानून में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। हर गांव में मेरी जानकारी में कम से कम दो प्रतिशत भूमि गोचर के लिए रहनी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, मैं आपको इसका अनुभव बता देता हूं । पहले गोचर भूमि कितनी थी और उसको दो प्रतिशत किसने किया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, मैं इसका अनुभव बता देता हूं। पहले गोचर भूमि कितनी थी और उसको 2 प्रतिशत किसने किया ? जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो आप यह बोलिये कि 2 प्रतिशत से कम नहीं करेंगे। आपकी सरकार ने 4 प्रतिशत को 2 प्रतिशत किया था।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें परिवर्तनीय नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या बात कर रहे हैं साहब ? परिवर्तन किया गया है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- cut of date की भी बात आई है। cut of date हमेशा समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। इसलिए हमने उसमें कोई फिक्स डेट नहीं दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसा निजाम चाहे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप नजूल का बता दें और परिवार की परिभाषा बता दें।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(11) छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

समय :

5.03 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मेरा एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको सर्वसम्मत करेंगे, उसमें बात नहीं है। परन्तु मैं नियम प्रक्रिया के तहत एक मांग कर देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अध्याय 10 में विषय 67(2)(क) में है- यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे, जैसा मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव कर रहे थे, उसके विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लेखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी पहल है। मैंने पहले ही अपनी मंशा बताई कि हम समर्थन करेंगे। हम इसको चौथा स्तम्भ मानते हैं। यह मूल विधेयक है, यह वितरित हुई, मैं ईमानदारी से कह रहा था कि आप जिस तेजी से चलाया, मूल विधेयक को ठीक से पढ़ने का अवसर नहीं मिला। उदेद्श्य पर हमारी असहमति नहीं है। लेकिन चौथे स्तम्भ के लिए आ रहा है और एक अच्छी पहल हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक निश्चित अवधि के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये। देश में प्रेस कौंसिल आफ इण्डिया है, देश में एडिटर गिल्स काम करती है। देश में कई जन संचार यूनिवर्सिटी है।

प्रख्यात स्वतन्त्र पत्रकार है, इसमें अधिनियम में उल्लेखित सम्पादक, उप संपादक हैं। छत्तीसगढ़ के कई मीडिया हाऊस बहुत प्रतिष्ठित हैं। बरसात में फिर से विधानसभा बैठेगी। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या यह विधेयक आवश्यक सरंक्षण दे रही है या नहीं दे रही है ? जो उस वर्ग में काम करते हैं, उनका अभिमत लिया गया है कि नहीं लिया गया है या किसी प्रान्त में बनी हो या मीडिया की स्वतंत्रता की परिभाषा एडिटर या प्रेस काऊंसिल कुछ और समझती हो, सुरक्षा के लिये उनके कोई सुझाव हों, हमारा यदि कानून पहला हो, मैं नहीं जानता किसी देश या प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे तो उसको बोलेंगे, मेरा यह यह कहना है, इसको अगले सत्र के लिये हम इसको सर्वसम्मत करेंगे । इसको निश्चित अवधि के लिये प्रवर समिति को सौंप दिया जाये, मैंने जो बात और बिन्दु कही है, उस पर विचार कर लें । जो मीडिया के कर्मी है, प्रमुख लोगों से यहां विचार कर लें, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कानून बनेगा । सरकार की जो मंशा है, वह सफल होगी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रवर समिति के बारे में हॉ या नहीं बोल दीजिए ?

श्री भूपेश बघेल :- प्रवर को क्यों सौंपा जाना चाहिये, इसके बारे में आपने चिंता जाहिर की है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रवर को सौंपा जाये, यह कहा है मैंने ।

श्री भूपेश बघेल :- सौंपा क्यों जाना चाहिये, इसके बारे में आपने प्रकाश डाला है। जो बात आपने सदन में उल्लेख किया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ । हमने एक समिति बनाई, इस समिति के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफताब आलम जी की अध्यक्षता में समिति बनी । इसके सदस्य उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती अंजना प्रकाश जी थी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजूरामचन्द्रन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे ललित सुरजन जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, श्री प्रकाश दुबे जी, श्री रूचिर गर्ग जी, महाधिवक्ता विधि विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक आदि सम्मानित सदस्य थे । अध्यक्ष महोदय, इसकी कुछ बैठकें दिल्ली में हुई, कुछ बैठकें छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में की गई, विभिन्न पत्रकार संगठन से इसकी चर्चा की गई । एक प्रकार से इसको जनसुनवाई कह सकते हैं । अलग-अलग शहरों में इसकी चर्चा की गई और उसके सुझाव आमंत्रित किये गये । इस प्रकार से एक सशक्त प्रारूप बना । अजय चन्द्राकर जी, जिन बातों का उल्लेख सदन में कर रहे थे, उसकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने का औचित्य नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप माननीय, थोड़ा सा मूल विधेयक में कुछ मांग कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे लोगों को एकाध बार प्रशिक्षित कर दीजिए । अच्छा है खड़े होते हैं, तो लगता है कि किसी गंभीर चर्चा में भाग तो लें । मुझे टोक रहे हैं, बोल रहे हैं बोलते हैं, मैं क्या बोलू ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम

माननीय मुख्यमंत्री जी ने समिति में रखे हैं, अच्छे नाम है, मैंने उद्येश्यों पर भी कह दिया कि समर्थन करेंगे। एक तरह की इसे जनसुनवाई कही है, उन्होंने यह नहीं बताया कि एडिटर गिल से चर्चा किये हैं, प्रेस काऊंसिल से चर्चा किये हैं, छत्तीसगढ़ के प्रेस क्लब से हमने चर्चा की है, फलाना जनसंचार यूनिवर्सिटी से हमने अभिमत मंगाये हैं, इस संबंध में कोई कानून प्रचलित है, उसका भी उस समिति ने अध्ययन किया । इसका कहीं पर विरोध नहीं है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात भी दो मिनट सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना अच्छी है, यह सिर्फ बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- वह बता रहे हैं ना । वह तो समर्थन कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब एक बात है, मूल विधेयक को भी ऐसी चर्चा कर दें । प्रवर समिति किसको दी जाती है, आप सपने में स्व. पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित श्यामाचरण जी शुक्ल को देखना कि इस विधेयक में उसकी बहस होती है, पूछना ।

अध्यक्ष महोदय :- भावना अच्छी है कि नहीं है, उसे पहले बता दो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सपने में पूछना । विधेयकों में कभी-कभी ऐसी मांग होती है । संसदीय कार्यमंत्री जी, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ । प्रवर समिति को सौंपने की मांग कभी-कभी होती है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मुख्यमंत्री जी की भावना अच्छी है कि नहीं है, उसका जवाब दो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोगों ने तो सर्वसम्मत करने की बात की है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सपने में देखना और पूछना ।

श्री अमितेश शुक्ल :- किसी भी पत्रकार का सामना ही नहीं करते हैं । आप लगातार टोक रहे हो और बात कर रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषय या विधेयक बहुत कम आते हैं, कभी-कभी आते हैं। अभी 5 विधेयकों पर चर्चा हुई, हमने नहीं कहा कि उसको प्रवर समिति को सौंपिये। इसको इसलिये कह रहे हैं कि यह अपनी तरह का अलग प्रवृत्ति का विधेयक है। यदि छत्तीसगढ़ को यह कानून बनाने का श्रेय जा रहा है, मैं नहीं जानता यह दूसरे प्रदेशों में होगा। मैंने कई संस्थाओं के नाम बताये, कई चीजों के नाम बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह एक तरह से जन सुनवाई मत का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देकर कहे कि इतने मीडिया हाऊस, मीडिया से जुड़े इतने संस्थान, इतनी संस्थाएं है, जिनसे इस समिति ने चर्चा की है। हम एक निश्चित अवधि के लिये प्रवर सिमति घोषित कर सकते हैं और जब अगली बार विधान सभा बैठेगी तो सब काम को छोड़कर इसको पारित करेंगे। इतना ही आग्रह है, बाकी तो आपकी मर्जी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये। उन्होंने अपनी बातों को पुख्ता करते हुए कहा कि संबंधित लोगों से, चाहे वह प्रेस ट्रस्ट हो, चाहे और संस्थाएं हो, चाहे यहां के हमारे प्रेस के साथी हो, उनसे चर्चा की गयी या नहीं की गयी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि इसके लिये ही समिति बनी थी। दूसरी बात, आपने कहा कि इनसे चर्चा करके अभिमत ले लेना चाहिए और तब तक सेलेक्ट कमेटी को दे देना चाहिए, अभी हमारे पास अवसर है, अगला विधान सभा सत्र होगा तो इसको ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर में स्पष्ट है कि चर्चा हो चुकी है। जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी थी। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में माननीय ललित सुरजन जी का नाम, यहां हम सब बैठे हैं ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर साहब, एक मिनट। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भूपेश बघेल पर भरोसा किया है, आप भी भरोसा करना सीखिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- यह महाधिवक्ता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहीं एलीगेट नहीं किया। मैंने इतना ही कहा जिसके लिये आदरणीय चौबे जी खड़े हुए। एक तरह की जन सुनवाई हुई, मैंने यह आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के बजाय यह सुनिश्चित कर लें कि इतने तरह के संस्थान, जन संचार के संस्थान है, रायपुर प्रेस क्लब है या प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया है, एडिटर्स गिल्ड है या और भी काई प्रतिष्ठित संस्थान है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जन सुनवाई नहीं, उन्होंने तो एक समिति बनाई है। वह जन सुनवाई नहीं है, समिति है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब आपको हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर भी भरोसा नहीं है। वकीलों पर भरोसा नहीं है, सारे विद्वानों पर भरोसा नहीं, आखिर आपको अपने आप पर भी भरोसा है या नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अब मैं हाथ-पैर जोड़ता हूं। मैं अपनी सारी बहस वापस लेता हूं। अब आप इसको चर्चा कर के पारित करवा ले, अब इसमें बहस भी नहीं करते।

एक माननीय सदस्य :- नहीं, हाथ जोड़े के लात जोड़ही..।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप कुछ भी टोके जा रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना चर्चा के सर्वसम्मत में पारित कर देते हैं। विधायक जी.।

एक माननीय सदस्य :- नेता जी.।

श्री कवासी लखमा :- यह नेता प्रतिपक्ष जी को नेता नहीं बोल सकते।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- (व्यवधान) इनको जबरन नेता बनाये हैं। ये उनको नेता नहीं मानते, केवल आप दोनों नेता बन जाते हो। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता प्रतिपक्ष को विधायक बोल दोगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) ऐसा होता है, बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कौशिक साहब नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी विपक्ष ..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठायेंगे ना।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, पूरे विपक्ष के लोगों ने उन्हें नेता बनाया है..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अपने नेता पर भरोसा नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और इस विधेयक पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संदर्भ में, उनको हमको सुरक्षा देनी चाहिए। माननीय विद्वान सदस्य, अजय चन्द्राकर जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा है कि उसको प्रवर समिति को भेजा जाये। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, उन्होंने बताया कि जस्टीस आफताब आलम की अध्यक्षता में ड्राफ्ट समिति बनाई गयी थी। यदि उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जाती ताकि पूरे प्रदेश को भी जानकारी होती।

श्री भूपेश बघेल :- जाली रिपोर्ट थोड़ी न है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो जितना पारदर्शी बने उतना अच्छा है।

श्री नारायण चंदेल :- अच्छा है, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी..।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, एक मिनट फिर आप बोल लेना। मुझे जो जानकारी है और जो पत्रकार मित्र भी जानकारी दे रहे थे कि जो रिपोर्ट का अधिकांश प्रमुख हिस्सा है, उसको विलोपित कर दिया गया है। हम चाह रहे थे कि वह रिपोर्ट अक्षरश: आ जाती तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता कि उन्होंने रिपोर्ट में किस-किस बात की अनुशंसा की है ? और उस आधार पर हम आगे बढ़ते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बृजमोहन जी आ गये हैं। जितना माननीय अजय जी बोल चुके हैं वह फिर रिपिट होगा। मुझे इस बात का दु:ख है कि अजय जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को जिस प्रकार से विधायक जी कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो मैं शाब्दिक रूप से सॉरी बोलता हूँ मेरी टंग स्लिप है, मेरी भावना वैसी नहीं थी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए। यह अच्छी बात है। यह जो जस्टिस आफताब आलम के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उसके सदस्य थे और जैसा कि मैंने ललित सुरजन जी का नाम बताया, वह बड़े पत्रकार थे। मैं आपको प्रकाश दुबे के बारे में बताना चाहूंगा कि वह पहले एडिटर गिल के अध्यक्ष थे। वर्तमान में सदस्य हैं और मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में बैठकें हुईं, वहां सब लोगों से चर्चाएं हुईं। छत्तीसगढ़ में प्रेस क्लब में भी चर्चा हुई। हम अंबिकापुर भी गये थे। सारे पत्रकारों से चर्चा की गई, यह इंटरनेट में उपलब्ध है। इंटरनेट से भी सुझाव आया, लिखित सुझाव आया और माननीय नेता जी, आप सुन लीजिए। यह इंटरनेट में उपलब्ध है। जैसे यहां पारदर्शिता की बात कही गई तो यह इंटरनेट में उपलब्ध है आप यह देख लीजिए कि किसने, क्या-क्या सुझाव दिया। तो उसमें मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि यह बिल आया है और इसे आगे बढ़ाया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बने। हम इसके विरोधी नहीं हैं, परंतु इस सरकार के भरोसे यह कानून नहीं होना चाहिए। आज पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में इतने पोर्टल हैं इतनी ज्यादा वेबसाईट्स हैं, इतने स्वतंत्र पत्रकार हैं। आपने कह दिया कि जिसको यहां की मान्यता प्राप्त होगी, उन्हीं को यह सुविधा मिलेगी। सबसे पहले इससे ज्यादा कोई परेशान होते हैं तो ग्रामीण पत्रकार परेशान होते हैं

श्री भूपेश बघेल :- पहले चर्चा तो आने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण पत्रकार, प्रताड़ित होते हैं। उनको जेलों में डाला जाता है।

मेरा आपसे इस बात का आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की कौन सी कमेटी ने इसके ऊपर में सुझाव दिये हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- मैंने बताया कि आप सदन में लेट पहुंचे।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय बृजमोहन जी, आप लेट आएं। उन्होंने बताया था।

श्री दलेश्वर साहू :- पहले ही इन सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने बताया कि वह फिर रिपिट होगा और सारी बातें आ गईं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, अगर इसको सदन के पटल पर रख दें।

श्री भूपेश बघेल :- यह इंटरनेट में उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों, अब बड़ी अजीब बात हो रही है कि यह इंटरनेट में उपलब्ध है, आप देख लें। यह सदन के पटल पर क्यों नहीं आ सकता ? यह सबसे बड़ी

पंचायत है। आपने किससे-किससे सुझाव लिया, इसमें किससे-किससे, क्या कहा, किस प्रकार का कानून बनाना है। जरा, इस मामले को लेकर और इसलिए इसके ऊपर में पुनर्विचार करना चाहिए। जो माननीय अजय जी ने कहा है कि प्रवर समिति को भेज दें। हमारे पत्रकारों, छत्तीसगढ़ की समिति बनाकर उनसे मांग लें कि आपके क्या-क्या सुझाव हैं, इसमें और क्या संशोधन होना चाहिए, उसके बाद इसे पारित करें तो यह एक अच्छा विधेयक है। इस विधेयक में कोई कमियां और त्रुटियां नहीं रह जाए और विशेष रूप से जो प्रभावशाली पत्रकार हैं, उनको तो इसकी सुविधा मिल सकती है, परन्तु जो ग्रामीण पत्रकार हैं जो वेबसाईट वाले हैं, जिनको मान्यता देना भी सरकार के ऊपर है कि जो सरकार के विरोध में है, उनको मान्यता नहीं मिलती। आज भी ऐसे हजारों पत्रकार हैं जो मान्यता के लिए नंबर लगाए हुए हैं और उनको मान्यता नहीं दी जा रही है। इसलिए इसके ऊपर में पुनर्विचार करें। इसके ऊपर में लोगों से सलाह, सुझाव ले लें ...।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बृजमोहन भाई लेट आएं तो वह पूरा समझ नहीं पाये। अजय चन्द्रकार जी ने सबसे पहले अपना भाषण शुरू किया तो यह कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, हम बोल रहे हैं कि हम भी समर्थन करेंगे।

श्री अमितेष शुक्ल :- उन्होंने समर्थन करेंगे कहा तो इसमें पुनर्विचार किस बात का हो रहा है ? जब उन्होंने समर्थन बोला है तो पुनर्विचार किस बात का हो रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय,यह एक अच्छा विधेयक है। हम चाहते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, परंतु केवल सत्ता पोषित पत्रकारों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। यह सबको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए इसके ऊपर में पुनर्विचार करना चाहिए, सबसे सलाह लेनी चाहिए और हम प्रवर समिति को भेजकर, इसे प्रस्तुत करवाएं तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए हमारे सदस्यों ने विचार के समय ही आपत्ति ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार किसी पार्टी सत्तापक्ष या विपक्ष का नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होते हैं। जो बृजमोहन जी ने सत्तापक्ष के लोग पत्रकारों को लाभान्वित करने की बात की है, इससे सदन सहमत नहीं है और इनका वक्तव्य मेरे ख्याल से उचित नहीं था। हमारे बहुत बड़े विद्वान साथियों ने बात कही है।

श्री दलेश्वर साहू :- जब बृहस्पत सिंह जी बोलते हैं तो आपकी आत्मा इतनी कलबला क्यों जाती है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां की बातचीत थी, यह मूल विधेयक को हमने समर्थन देने की बात कही। माननीय रविन्द्र चौबे जी ने बात को थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश की, हम नाम में भी सहमत थे, प्रक्रिया में भी सहमत थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक तरह की जनसुनवाई है तो मैंने कहा कि ये संस्थायें हैं, इनसे चर्चा हुई या नहीं हुई। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये मूल विधेयक है और वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का है। मूल विधेयक में यदि आपके पक्ष की आपेक्षित गंभीरता नहीं होगी तो हम बिना चर्चा के सर्वसम्मत पारित कर देते हैं। आप यह सुनिश्चित कीजिए नहीं तो बिना चर्चा के सर्वसम्मत पारित कर दीजिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विधेयक है और मूल विधेयक है। यदि चर्चा के लायक वातावरण आप नहीं बना सकते तो उसको सर्वसम्मत से पारित मान लीजिए। हम यही बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पारित मान लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, एक लाईन की बात है कि क्या आप इस विधेयक के विरोध में हैं या पक्ष में हैं ? यह पत्रकारों के लिए कानून लाया गया है, इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आप साफ-साफ बोलिये न। एक तरफ आप आप बोलते हैं कि पत्रकारों के पक्ष में पारित कराना चाहते हैं और दूसरे तरफ आप विरोध करते हैं, दोनों में से एक बात बोलिये, आप इस विधेयक के विरोध में हैं या पक्ष में हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करवा दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक को सर्वसम्मत पारित करवा दीजिए। हम नहीं बोलेंगे, इधर का कोई नहीं बोलेगा, आप उधर से बोलवा लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभी पत्रकार लोग सुन रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनने दो न।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके भाषण की रिकार्डिंग भी हो रही है कि आप पत्रकारों के विरोध में क्या-क्या बोल रहे हैं। फिर आप कल पेपर भी पढ़ लीजियेगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इन्हीं का भाषण उनको समझ में आता है, बाकी लोगों का समझते ही नहीं हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने सारे सुझावों के साथ बात की शुरूआत करते हुए कहा, आपत्ति नहीं कह रहा हूं, इसको प्रवर समिति को सौंपना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो जिज्ञासा थी कि चर्चा नहीं हुई, कमेटी नहीं थी, अभिमत नही लिया गया, समय नहीं दिया गया, सारी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही। हम सब लोग चाहते हैं, आपने भी कहा, सर्वसम्मति से भी पारित करेंगे। वह भी हमारे परिवार के जिसको

लोकतंत्र में हम लोग चौथा स्तम्भ कहते हैं। गांव के कुछ पत्रकारों के सुरक्षा के बारे में आदरणीय बृजमोहन जी ने कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक मिनट यहां पर रोक लीजिए। उससे आगे मैंने प्रस्ताव कर दिया है। आपका दल माननीय मुख्यमंत्री जी के विधेयक पर चर्चा के लिए वातावरण तैयार नहीं है। हम सर्वसम्मत से पारित करते हैं। आप उसके लायक वातावरण नहीं बना रहे हैं कि उनका हित हो, उसमें हम सुझाव दे सकें। इसलिए हम सर्वसम्मत से पारित करते हैं, आप पारित करवा लीजिए। आपकी तरफ से बोलवा लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप एक लाईन में बोलिये कि क्या आप इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं ? आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, दो में से एक करिये। आप एक तरफ विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम समर्थन में बोल रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- वह भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इस बात को समझते हैं। वह अच्छा सुझाव दे रहे हैं, उसको आप मानिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बहुत सारे बिन्दु ऐसे हैं जिन बिन्दुओं को देखकर लगता है कि ये खाली राजाश्रित पत्रकारों के लिए विधेयक लाया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के बारे में बातचीत की जा रही है या बाकी सब लोगों से सुझाव लेने के बारे में बातचीत की जा रही है। उसके ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करना चाहिए। क्योंकि मूल विधेयक है और हमारे मूल विधेयक को कई राज्य लेंगे। उसके आधार पर वह भी बनायेंगे। अगर यह विधेयक निष्पक्ष विधेयक जैसा विधेयक बने तो निश्चित रूप से यह उपयोगी होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, बृजमोहन जी बेहद वरिष्ठ भी हैं और legislature के हमारे जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बिन्दुवार बहुत सारे बिन्दुओं पर चर्चा हो सकती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चर्चा नहीं करनी है, आप उधर से बुलवा लीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- चलिये, आप बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, इधर से बिल्कुल नहीं सुनना है, बस उधर से बोलेंगे तो अच्छा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया कि केवल विचार किया जाए। अभी नाम आयेंगे, बिंदुवार चर्चा होगी, खंडों पर विचार होगा, सदन में चर्चा होगी, सारे विद्वान सदस्यों के सुझाव आयेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, हम लोग विद्वान नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज आपको क्या हो गया है?

श्री अजय चंद्राकर :- कुछ नहीं हुआ है।

श्री अमितेश शुक्ल :- इनका ब्लड प्रेशर चेक कराया जाय। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- [xx][14] व्यवस्था है। आप उधर जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप फोटो खींचवाने के समय कहां थे?

श्री अजय चंद्राकर :- आपके लिए विधानसभा पर्यटन है। हम लोगों के लिए दायित्व है। आप यहां [xx] आते हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, वह चुनकर आए हैं। उन्होंने जो कहा उसको विलोपित किया जाना चाहिए। यही आदमी विद्वान नहीं है। सब यहां चुनकर आये हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। यहां जितने सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं। इन लोगों को 2-2 लाख लोगों का बहुमत है।

श्री कवासी लखम :- अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि [xx] आते हैं, [xx] आते हैं। यह पूर्व मंत्री का बेटा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, वह बहुत बड़ा पंचायत मंत्री रह चुके हैं। यह घोर आपत्तिजनक है।

श्री अमरजीत भगत :- यह उसको नीचा दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यहां जो भी आये हैं, वह पूरा जनादेश के साथ यहां आए हैं। हां जो भी बैठा है, वह जनादेश के साथ बैठा है। आप उनको इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप 2 मिनट मेरी बात लीजिये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, चंद्राकर जी माफी मांगे।

श्री कवासी लखमा :- अध्यख जी, वह पूर्व मुख्यमंत्री का नाती हैं और पूर्व मंत्री का बेटा हैं। इनका माफी मांगना चाहिए। (व्यवधान) खाने वाले लोग हैं। वह भीख मांगने वाला आदमी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया। बैठ जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। उनको [xx] के लिए कहा। सड़कों में [xx] के लिए कहा गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये, बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यहां जो भी सदस्य पहुंचा है, वह सबके जनादेश से पहुंचा है। आप इनको अपमानित कर रहे हैं। आप 2 लाख लोगों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने इनको जनादेश के साथ यहां पहुंचाया है। अगर वह यहां उपस्थित हैं तो उन 2 लाख लोगों के बहुमत के साथ यहां पहुंचे हैं। आप किसी भी सदस्य को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते ।

---

[14] [xx] अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

अध्यक्ष महोदय :- पटेल जी। बैठिये।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, उनको माफी मांगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, बैठिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यहां केवल एक ही व्यक्ति का दिल नहीं है, सब व्यक्ति का दिल है।

श्री कवासी लखमा :- वहां यहां ऐसी फोकट नहीं आए हैं। वह [xx][15] आए हैं, यहां [xx] हैं बोलते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ब्राम्हण का अपमान किया है। उन्होंने एक ब्राम्हण विधायक को सदन में [xx] आए हैं कहा।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पति जी, आप बैठ जाइये। आप प्लीज बैठ जाईये। बृहस्पति जी, मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप अनावश्यक इस तरह से बीच में बात करने की कोशिश करते हैं, उससे सामने वाला अपना विचार भूल जाता है। कृपया अपने आप को संभालकर रखें।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं वही तो बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं, उसको आप सुनिये। इस संदर्भ में जितने भी बातें हुई हैं, मैं दोनों तरफ के साथियों के विचारों को विलोपित करने का निर्देश देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम अमितेश शुक्ल जी को बहुत प्यार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब अमितेश जी के बारे में बात मत करिये। प्लीज।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- अमितेश से चर्चा शुरू हुई है और फिर अमितेश जी में आ गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात तो कह ही नहीं रहा हूं। हम उनकी कमी भी महसूस कर रहे थे। वह फोटो शूट में भी नहीं थे। इन्होंने सिर्फ [xx] के लिए बोला है कि आप [xx] लीजिये, क्योंकि वह उपवास हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको अब छोड़िये न। लखमा जी, बैठिये। विधेयक की महत्ता को देखते हुए नियमों को शिथिल कर मैंने आज ही विचार करने की अनुमति प्रदान की है। माननीय सदस्य द्वारा विचाराधीन विधेयक को प्रवर समिति में सौंपे जाने के संबंध में जो प्रस्तावकर्ता सदस्य के विचार एवं विभागीय मंत्री, संसदीय जी के विचार और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात् मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं समझता। तद्नुसार आपकी आपत्ति व प्रस्ताव को अमान्य करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। (मेजों की थपथपाहट)

---

[15] [xx] अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मुझे आमंत्रित कर दिया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मिनट। अध्यक्ष जी ने आपका नाम नहीं पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने पुकारा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर जिस प्रकार से विधानसभा के नियम प्रक्रिया के संबंध में ..। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी का आदेश है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यख महोदय, वह आसंदी के आदेश का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी का अपमान है।

श्री कवासी लखमा :- यह क्या तमाशा बनाकर रखे हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह क्या तमाशा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, आसंदी के आदेश का पालन होना चाहिए। आप जिनको अनुमति दें, वही बोले। आपके आदेश का पालन हो।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार खड़े हो जाते हैं । यह क्या तरीका है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब इसका पुर:स्थापन हो रहा था तभी हमने कहा था कि मूल विधेयक है और मूल विधेयक होने के कारण इसको पढ़ने का, समझने का, सलाह लेने का किसी को अवसर नहीं मिला है और इसलिये माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा कि इसके ऊपर हमको गंभीरता से विचार करके क्योंकि चौथा स्तम्भ पत्रकारों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और यह गंभीर मामला है । उन्होंने एक सुझाव दिया । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरनेट में दिया हुआ है, इनको पढ़ना चाहिए न । ये कौन सी बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिए । मैंने भी अपने विचार दिये हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने विचार दिये हैं और अगर यही विचार है कि इस विधानसभा में इसी प्रकार से विधेयकों पर और मूल विधेयकों पर विचार होगा तो हम यह निर्णय करते हैं कि हम सदन में बैठेंगे परंतु हम किसी चर्चा में भाग नहीं लेंगे । आप सर्वसम्मति से इसको पारित कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं और अभी भी आपसे आग्रह करते हैं कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की सुरक्षा के संदर्भ में

कानून है । आप पूरे प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं ? इसमें आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ? लोग प्रश्न करेंगे । आप 15 सालों तक उनकी सुरक्षा के लिये कुछ नहीं कर पाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- जो प्रश्न होगा उसका हम उत्तर दे देंगे । हम मुख्यमंत्री जी की भावना से सहमत हैं । सर्वसम्मति का अभिमत दे दिया है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने...। (व्यवधान)

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आप हमेशा नेता जी को पटा लेते हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े 4 सालों में इस सरकार को पत्रकारों की सुध आयी है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको तो 15 सालों में भी नहीं आयी थी । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो 15 साल की बात ही नहीं की थी । इनको साढ़े 4 साल में सुध आयी और दूसरी बात हमारा जो सुझाव था वह हमने प्रस्तुत होने के पहले रख दिया है कि यह-यह कमी है और इसलिये प्रवर समिति को भेजा जाये और आप पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो बिल ला रहे हैं । चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ का सवाल है, मीडियाकर्मियों का सवाल है और इसलिये पूरी तैयारी से यह बिल चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो, कोई संशय मत हो इसलिये हमारे सदस्यों ने सकारात्मक सुझाव रखे हैं । हम इसका समर्थन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष इसको टालना क्यों चाहता है ? क्या आपको कोई गिल्टी है ? हमने प्रश्न नहीं किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने सर्वसम्मत बोल दिया न ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरा फिर से आग्रह है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कई चीजों के लिये विशेष सत्र बुलाया है । इसके लिये भी विशेष सत्र बुला लीजियेगा । उसमें हम रहेंगे । आप एक महीने बाद विशेष सत्र बुला लीजिये । हम उसमें भाग लेंगे ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आखिर पत्रकारों का मामला है, आप लोग इसको क्यों टालना चाहते हैं ? (व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी की व्यवस्था देने के बाद भी ये बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- पत्रकारिता जगह यह जानना चाहता है कि आखिर उनके मामले को आप क्यों लटकाना चाहते हैं ? क्यों टालना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी प्रतिपक्ष से आग्रह है । बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । पूरे पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल है । हम लोग छोटे-छोटे विधेयक लाते हैं । हम एक लाईन का संशोधन लाते हैं । प्रतिपक्ष की तरफ से आप सबके सुझाव आते हैं, 3-3, 4-4 सदस्य अपनी बात कहते हैं और इस महत्वपूर्ण विधेयक में जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम तो सम्मान कर रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप सम्मान करिये लेकिन हम चाहते हैं । चूंकि आपने कहा कि बिंदुओं पर...।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने चर्चा का वातावरण ही नहीं बनाया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपकी बात सुनेंगे । सारा वातावरण है । सभी सम्मानित सदस्य हैं । मेरा फिर से आग्रह है कि आप बोलिये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । पत्रकारों के सम्मान का सवाल है । प्रतिपक्ष को भागना नहीं चाहिए, टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसमें भाग लेना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम भाग नहीं रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री ने चूंकि एक समिति गठित की गयी है । उसने दौरा किया, सबका जिक्र किया और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि वह समिति की रिपोर्ट क्या है, वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दें तो कहा कि इंटरनेट में देख लो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- चर्चा में आ जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- समिति की जो रिपोर्ट है । (व्यवधान) वह पढ़ने को मिलेगी तो हम उसमें चर्चा कर सकेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या कभी भी जो विधेयक पेश होता है तो क्या उसमें कोई रिपोर्ट सबमिट होती है ? वह चर्चा में आयेगा कि उसमें कितने...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर आप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे । वह भी चर्चा का विषय बनेगा । हम पढ़कर उस विषय पर बहस कर पायेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह सवाल ही नहीं है न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जवाब दे रहे हैं कि इंटरनेट में देख लो । यह आपकी गंभीरता है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, इसमें चर्चा हो गयी । सब हो गया है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, यह कोई विधेयक नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको चर्चा में भाग लेना है तो लीजिये और नहीं लेना है तो चुपचाप बैठे रहिये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही कहा कि यह चौथे स्तम्भ से जुड़ा हुआ विधेयक है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये हम चाहते हैं कि आपने जो समिति बनायी थी उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर आये । सारे सदस्य उसका अध्ययन करें । उस रिपोर्ट में है क्या ? उन्होंने किस-किस चीज की अनुशंसा की है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप चर्चा करिये न । आप चर्चा से भागते क्यों हैं?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जानकारी है कि उसके अनशंसा के अधिकार की बात को आपने विलोपित कर दिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप नेता जी हैं इसीलिये मैं आपको बोल रहा हूं । ये बार-बार खड़े हो जा रहे हैं । ये बार-बार बाधित कर रहे हैं । यह क्या तरीका है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपनी कुछ बातें रखी हैं । इंटरनेट पर पढ़ने के लिए भी तो हमको समय चाहिए या नहीं । मैंने कहा कि विशेष सत्र बुला लीजिए । आप इंटरनेट में कौन कौन सी वेबसाइट पर है, उसकी जानकारी हमको दे दीजिए ? कहां-कहां पर कौन-कौन सी रिपोर्ट है, यह हमको दे दीजिए । हम इस विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं । सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहते हैं परंतु जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 से 20 पत्रकारों को जेल में डाला गया है । आज भी अंबिकापुर का एक पत्रकार 2 साल बाद जेल से छूटा है । अब मैं कहना नहीं चाहता । यह जो बिल है यह ऐसा बिल बने कि पत्रकारों के हितों की रक्षा हो सके ।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देते हैं जो ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं । उसको क्यों टालना चाहते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- देश में क्या हो रहा है ? देश में क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- देश में क्या हो रहा है, सारी मीडिया को खरीद लिया गया है ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- गोदी मीडिया वाले ऐसी बात मत करो कम से कम।

श्री रविन्द्र चौबे :- देश में मीडिय को दबाया जाता है और यहां के कानून को आप इस प्रकार से रोकने का प्रयास करते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या तकलीफ है आपको ?

श्री नारायण चंदेल :- हम यहां के लिए कानून बना रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- चर्चा से लगातार भागने की कोशिश है । गोदी मीडिया पर भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पुरानी घटना का जिक्र कर देता हूं, आपको स्मरण दिला रहा हूं । रायपुर के एक पत्रकार राजनारायण जी को लॉकअप में डाल दिया गया और जब मामला विधान सभा में उठा तो कहा गया कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तेजित थे (व्यवधान) यह विधान सभा में जवाब आया था ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक तरफ आप कहते हैं कि समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ भागने का प्रयास करते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, अगर आप चर्चा करेंगे तो ये सारे विषय आएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रिपोर्ट तो दो । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप चर्चा कीजिए ना, चर्चा से भाग क्यों रहे हैं ? यह तो भागने की कोशिश है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप समर्थन में हैं या विरोध में, इस बात को स्पष्ट कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप बैठ जाइए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुमत का दुरूपयोग करना है तो कर लो ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, क्या आप इसको मानते हैं कि हम इंटरनेट पर पढ़ लें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- ये क्या तरीका है ? जब भी आसंदी से मुझे पुकारते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- ये क्या तमाशा है, माननीय अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप सबकी बात सुन ली है । अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देने दीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम इंटरनेट पर पढ़कर बहस करें ।

श्री भूपेश बघेल :- [xx] बात कर रहे हैं भाई । (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- जब आसंदी ने बोल दिया है कि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो फिर ये तो आपका अपमान है अध्यक्ष जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आसंदी के फैसले को चुनौती देना ठीक नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मूल विधेयक का [xx] बनाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपने पूरे विचार प्रस्तुत कर दिये हैं । अब उनके विचार सुन लीजिए । बात खत्म हो गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, हम कानून बनाने के लिए बैठे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनको सिर्फ बोलने के लिए है, सुनने का नहीं है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने 15 सालों में पत्रकारों के लिए कोई कानून नहीं बनाया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमको देश माफ नहीं करेगा । हमको पत्रकार भी माफ नहीं करेंगे कि हमने गलत कानून बनाया । इसके लिए कोई माफ नहीं करेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- वैसे भी आपको माफ नहीं करेंगे आपने 15 साल में तो कोई कानून बनाया नहीं ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने 15साल में पत्रकार सुरक्षा विधेयक नहीं लाया और आज हम ला रहे हैं तो आपत्ति क्यों हो रही है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में मीडिया कर्मी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मीडिया कर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा मीडिया कर्मियों तथा मीडिया संस्थानों के सम्पत्ति की क्षति या नुकसान से रोकने एवं इससे संबंधित एवं इसके अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । हिंसा का कार्य मीडिया कर्मी के जीवन को क्षति या खतरा कारित करता है तथा मीडिया कर्मियों या मीडिया संस्थानों की सम्पत्ति की क्षति या नुकसान से राज्य में अशांति निर्मित हो सकती है । अत: मीडिया कर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा ऐसी हिंसक गतिविधियों से मीडिया कर्मियों या मीडिया संस्थानों की सम्पत्ति की क्षति होने या नुकसान होने से रोकने तथा इससे संबंधित तथा इसके अनुषांगिक विषयें के लिए उपबंध करना आवश्यक हो गया है । अतएव उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मीडियाकर्मी की सुरक्षा के संबंध में विधि के अधिनियमत किया जाना आवश्यक है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और अजय जी ने कहा कि यह शायद देश का पहला है, यह देश में पहला नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र में बन चुका है। हमारा राज्य दूसरा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें सभी सदस्यों से भाग लेने के लिए मैं आग्रह करता हूं। यदि एक सदस्य को आपकी बात समझ में नहीं आए और उन्होंने कोई बात कह दी तो इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। मैंने फिर कहा कि यह पारदर्शी ढंग से रखा गया है और शुरू से ही सब कार्यों को इंटरनेट में डाला गया है। अब उसको पकड़कर बृजमोहन जी कुछ और बोलना शुरू कर दिए। इस विधेयक में सब कुछ है। जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हमारे गांव में पत्रकार रहते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसमें सबका रजिस्ट्रेशन होगा। यह तो आरोप ही लगा दिए कि जो राज्य सरकार पर आश्रित होगा, ऐसा नहीं है। इसमें अधिमान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं, उसके बाद जो रजिस्टर करेंगे, वह पत्रकार हैं, जो लोग मीडिया में काम करते हैं, वह सब शामिल हैं। कोई छूटा नहीं है, यह सब के लिए है, जितने पत्रकार हैं और मीडिया में जो-जो काम करते हैं, चाहे वह फोटोग्राफर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे संवाददाता हो, चाहे उसके प्रतिनिधि हो, ऐसे लोग जो उसमें ना हो लेकिन यदि 6 महीने

की भीतर में यदि किसी पेपर में कॉलम ही लिख दिए, तब भी उसको यह कानून सुरक्षा प्रदान करेगी। इसको बहुत विस्तार से देखा गया है और पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पत्रकार हैं, उनसे चर्चा हुई, जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी, सारे सदस्य थे। यहां बैठक हुई है, अंबिकापुर भी गये। सब लोगों से बात करके, सारे संगठनों से बात करके यह निष्कर्ष निकाला गया और उसके बाद इस विधेयक को लाया गया है, जो मूल अधिनियम है वह सबकी भावनाओं को समाहित किया गया है। सबसे बात की गयी है तब लाया गया है। मै सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह विशेष अवसर है। इसमें आप यदि किसी से नाराज होकर भाग नहीं लेंगे तो यह उचित नहीं है, यह अवसर तो कोई बार-बार आना नहीं है, मूल विधेयक तो कभी-कभी आता है। ऐसे विधेयक में यह बड़ा दिल करके इस चर्चा में भाग लें, अजय जी से भी कहना चाहूंगा, बृजमोहन जी से भी कहना चाहूंगा, शिवरतन जी से भी कहना चाहूंगा और नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही। उनसे आग्रह करूंगा अपने सदस्यों को समझाएं, ऐसे बैठे रहेंगे, भाग नहीं लेंगे, यह कोई बात हुई क्या ? ऐसी नाराजगी थोड़ी चलती है। जब सदन होता है तो बहुत सारी बातें आती है। परिवार में हर प्रकार के सदस्य रहते हैं, यहां 90 सदस्य हैं, सब एक ही प्रकार के सोचें, एक ही प्रकार के खाएं, एक ही प्रकार के कपड़ा पहनें, ऐसा तो नहीं होता। सब अलग-अलग प्रकार के रहते हैं, अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग-अलग पृष्ठभूमि है, सब अपने ज्ञान के अनुसार बात रखते हैं और सभी सदस्य विद्वान होते हैं। अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं तो इसमें बुरा क्यों मानना चाहिए। मैं विपक्ष के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक में भाग लें, अपने सुझाव दें, क्योंकि पहला मूल विधेयक है, इसमें आगे जाकर हो सकता है कुछ कठिनाई आए। इसमें संशोधन भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि संशोधन नहीं होंगे। पहले जो विधेयक बने थे, उसमें आज संशोधन हो रहे हैं। आज राजस्व विभाग में, नगरीय प्रशासन विभाग में संशोधन लाएं। यह तो मूल विधेयक है, इसमें चर्चा में भाग लें और अपने जो अनुभव है, अपने जो ज्ञान हैं, उसके माध्यम से बात रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि वे लोग भी इसमें भाग लें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे आग्रह किया है, मेरा भी आग्रह है कि प्रतिपक्ष चर्चा में भाग लें। माननीय अजय चंद्राकर जी।

श्री उमेश पटेल :- आईए-आईए।

श्री भूपेश बघेल :- गुस्सा छोड़िए।

श्री अमरजीत भगत :- मान जाईए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप अनावश्यक उकसाने की कोशिश मत करिए। यह गलत बात है।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदन के नेता हैं, उन्होंने आप लोगों से आग्रह किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी लक्षित नहीं करता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि गंभीर विषय में भी, हम लोग ज्ञानवान नहीं हैं, यह सदन ऐसा है कि जिसमें रोज सीखते हैं। हमने कल भी व्यवस्था का प्रश्न किया था। यदि हम जान रहे होते तो हम परसों व्यवस्था का प्रश्न नहीं लेते और किसी की बात को गलत नहीं कहते। यह जो नई परंपरा विकसित हो गई है कि हर बात में माननीय मंत्रिगण जितना खड़े होते हैं और हमें शून्यकाल में भी बोलने नहीं देते हैं। अभी भी मैं तकनीकी बात कर रहा था। आपने उसको अस्वीकार कर दिया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह कहा था कि हम इसलिए चर्चा में भाग नहीं लेंगे क्योंकि सदन में चर्चा का वातावरण नहीं है। हमने एलीगेशन नहीं किया था। हमने उद्देश्यों पर नहीं कहा था। चूंकि आपने बोलने के लिए कहा और आसंदी का निर्देश है, दल का भी एक निर्देश है। मैंने इसको कुछ-कुछ पढ़ा था। मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा था। मैं इमानदारी से बोल देता हूं। चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं सबसे आखिरी पेज पर ही बात कर लेता हूं। पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता। चूंकि अब तय हुआ है कि नहीं बोलना है तो मैं अपने दल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति समर्थन व्यक्त करता हूं। हम आपके विधेयक की मंशा पर भी समर्थन व्यक्त करते हैं। हमारे दल का निर्णय है कि हम आपकी बात को सुनेंगे। आप अपनी बात अच्छे से रख रहे हैं और यह अच्छा प्रयास है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे या मैं इस विधेयक को पास कराऊं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बाकी सदस्य नहीं बोलेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं उनको नहीं बोलवाऊंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में है एवं पत्रकारगणों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

१

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 में विषय सूची की संख्या 23 है। यह अधिनियम क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों है और यदि किसी सदस्य की शिकायत होती है तो उसके लिए समिति का गठन किया जाएगा और उसको न्यायालय के अधिकार भी प्राप्त होंगे। वह अनुशंसा भी कर सकते हैं, आदेश भी कर सकते हैं और दण्डित भी कर सकते हैं। इसमें ये सारे प्रावधान रखे गये हैं। मीडियाकर्मी के बारे में, मीडिया संस्थान के बारे में इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। मीडियाकर्मी से जो अभिप्रेत हैं, उसमें संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उपसंपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, संपर्कीय, व्यंग्य, व्यंग्य चित्रकार, अनुवादक, शिक्षु, प्रशिक्षु, मीडियाकर्मी, समाचार संकलनकर्ता अथवा स्वतंत्र पत्रकार हैं। जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत् स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता हेतु अर्ह हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार संकलन से अभिप्रेत, जिसमें स्ट्रींगर या अभिकर्ता भी शामिल है। नियमित रूप से समाचार या जानकारी संकलन कर किसी मीडियाकर्मी अथवा मीडिया संपादन को प्रेषण करता है। अधिमान्यता की बात कही गई कि इसमें अधिमान्यता किस प्रकार से मिलेगी। इसमें सुरक्षा की योजना है, सुरक्षा के उपाय हैं और प्रताड़ना की श्रेणी में कैसे आएंगे, हिंसा से अभिप्रेत क्या है, संत्रास से अभिप्रेत क्या है, लोक सेवक से अभिप्रेत क्या है, मीडियाकर्मी की पंजी और पंजी से अभिप्रेत क्या है, ये सारे नियम इसमें हैं। मीडियाकर्मी कैसे पंजीकृत होंगे, उसके बारे में भी इसमें विस्तार से दिया गया है। उसके लिए क्या-क्या अर्हताएं हैं, उसके बारे में इस विधेयक में प्रावधान रखे गये हैं। उसका नवीनीकरण किस प्रकार से होगा, अधिमान्यता पत्र कितने वर्ष का रहेगा, इसके बारे में भी इसमें विस्तार से दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मीडिया के स्वतंत्रता, संरक्षण और संवर्धन के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं चाहे समाचार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पोर्टल के लिए भी नियम बने हुए हैं। जो-जो मीडिया में लगे हुए हैं उनके पंजीयन की प्रिक्रया किस प्रकार से होगी। यदि शिकायत होती है तो उसकी किस प्रकार से जांच होगी ? गलत शिकायत पायी जाएगी तो उसके भी निराकरण का प्रावधान है । शासन की समिति बनेगी, यदि उससे संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें अपील का प्रावधान किया गया है । इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव है । पत्रकार तो हमेशा से योगदान देते रहे हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई में राजनेताओं के, सामाजिक नेताओं के जितने योगदान हैं, उतने ही योगदान हमारे मीडिया का भी रहा है । उस समय आप देखेंगे तो चाहे महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता की हो, नेहरू जी ने पत्रकारिता की हो, बाल गंगाधर तिलक हो, सभी लोगों ने पत्रकारिता की । हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं । इन सबका योगदान देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद भी रहा है । ऐसे समय में जब अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं तो

ऐसे में उनको सुरक्षा प्रदान करना शासन की जिम्मेदारी हो जाती है और बड़े समय से यह मांग हो रही थी कि पत्रकारों को सुरक्षा दी जाये । उसी परिप्रेक्ष्य में अनेक बार सह बात उठती रही है चाहे वह श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से हो, चाहे प्रेस क्लब के माध्यम से हो । देश में भी जिस प्रकार से स्थिति बनी, छत्तीसगढ़ में भी पत्रकारों के साथ जो स्थिति बनी तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून लाने का निर्णय लिया । दूसरी बात यह है कि 2019 में इस समिति का गठन कर दिया गया था, बीच में दो साल कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी यह अधिनियम बड़ी मेहनत से बनाया गया । इसमें किसी सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया है, अगर उनके सुझाव आते तो मैं उनकी बातों का भी उत्तर देता । मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि इसको सर्वसम्मति से पारित करेंगे । आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित हो रहा है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज की तारीख स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है । मैं पूरे सदन से अपेक्षा करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 23 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 23 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पारित किया जाये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि आज महत्वपूर्ण विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ है और यह देश में नज़ीर बनेगी । उसके लिए सभी सदस्यों को और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । इससे जुड़े हुए जस्टिस आफताब आलम और तमाम सदस्यों ने इसमें महीनों मेहनत की और उसमें हमारे अधिकारीगण भी थे, उन लोगों ने भी मेहनत किया और जिन-जिन साथियों ने सुझाव दिया, उसके बाद यह अधिनियम बना है और आज इस पवित्र सदन में पारित हुआ है तो सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, सभी को बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(12) <u>छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023)</u>

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस संशोधन विधेयक को देखेंगे तो पूरी नई भू राजस्व संहिता बन रही है और आपने आधे घंटे का समय दिया है। आप देख लीजिये कि यह संशोधन विधेयक कितना मोटा है। संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 10 पेज का है। यदि आप कहे तो मैं आपको दे देता हूं।

माननी अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कुछ बातों को ही बोल देता हूं। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तिय को पट्टाधृति अधिनियम 2023, आवासहीन को आवास देने हेतु शासकीय सहायता दिया जाना है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माफ करेंगे, क्रमांक 10 वाला विधेयक।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओह सॉरी, सारा एक ही में दबा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, "मौरूसी कृषक की हैसियत में" का लोप होना है। औचित्य बताया गया है कि मौरूसी कृषक का अध्याय विलोपित किया जा चुका है। जब विलोपित किया जा चुका है तो फिर संशोधन क्यों ? आपने लिखा है विधि व्यवसायी अधिनियम 1879, "विधि व्यवसायी" से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधि व्यवसायी 1879 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 प्रतिस्थापित किया जाये। यह उचित तो लगता है, लेकिन इन दोनों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ेगा ? "आम्रकुज" इसमें छोटा सा संशोधन है। यदि आप कहें तो उसके प्रभाव को पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पढ़ दीजिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आम्रकुज में लिखा है, जो प्रभाव पड़ेगा। संहिता की धारा में आम्रकुज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है एवं फलोद्यान की परिभाषा पूर्व से अधिनियम में है, जो आम्र वृक्षों को भी सम्मिलित करती है। सिर्फ आम्रकुज शब्द को हटाने के लिए जबर्दस्ती लेजिसलेशन की जरूरत क्या है ? इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, " मान्यता प्राप्त अभिकर्ता" अब इसको पढ़ूंगा, इससे अच्छा यह है कि उपधारा के (द) के उप खण्ड (1) के पश्चात शब्द "के" के स्थान पर "या" प्रतिस्थापित किया जाये। परिभाषा के लिए एक स्थिति पर्याप्त है। माननीय राजा साहब, जब एक स्थिति पर्याप्त है, तो "और" "या" में, चूंकि आपको लेजिसलेसन करना है। आप कोई ऐसा चीज लाया करें जिससे जनता पर प्रभाव पड़े। प्रशासन में कुछ चुस्ती आये। क्षेत्र से अभिप्रेरित, तो क्षेत्र की परिभाषा में इसका जो प्रभाव पड़ेगा "घ" के बाद जो क्षेत्र हैं, इस अर्थ में संहिता की किसी धारा में प्रासंगिकता नहीं है। इसमें वर्णित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बाहर है। बिलकुल बाहर हैं। मध्य क्षेत्र उल्लेखित है, विंध्य क्षेत्र उल्लेखित है, तो विलोपित कर रहे हैं। अब " फ्री-होल्ड" को परिभाषित करने हेतु यह जोड़ा जाना आवश्यक है, जो आप जोड़े हो। भू-राजस्व संहिता एवं अन्य उप कर को छोड़कर सभी विलगामों से मुक्त भूमि स्वामी अधिकार, यह आपका जो फ्री-होल्ड के अधिकार की परिभाषा है, मैंने इसके शहरी क्षेत्र में भी आपत्ति ली थी। आप जो चीज कर रहे हैं। मैं पत्रकार अधिनियम में भी आपत्ति इसलिए कर रहा था ताकि उससे और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता था। जहां पर पारदर्शिता की जरूरत है, सरकार पत्रकार का नाम लेकर अपने हाथ में नियंत्रित करती है तो उसका उदेद्श्य खत्म हो जाता है। आपने धारा 33 में, किसी भी व्यक्ति को स्वयं हाजिर होने के लिए आदेश नहीं किया जा सकता तब तक यह पूरी धारा है। उसमें उपधारा 2 का लोप किया जाये। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत राजस्व न्यायालय में भी कार्य संचालित होते हैं, हित व्यक्ति के निवास स्थान तथा लोक परिवहन की सामान्य व्यवस्था विस्तार से दूरी के उद्धार पर बनाये गये प्रावधान की व्यावहारिकता कम है, इसिलये विलोपित करने का प्रावधान है । मेरे को थोड़ा सा बताईयेगा कि जो आप लिखे हैं वह कैसे व्यावहारिक हो जायेगा ? दूरी

को व्यावहारिक बनायेंगे, यह क्या है ? भू-राजस्व में संशोधन आप किसानों से संबंधित चीजें करिये, दूरी कम ज्यादा होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा ? जब पहले से प्रावधान है तो संशोधन की जरूरत है ? मैं जनहित में देख रहा हूँ । आपके प्रशासन की दृष्टि से फ्री होल्ड करेंगे, 6 से 9 करेंगे, बिल्डर्स के लिये ला रहे हैं, फोकट में देंगे, ला रहे हैं, ऐसे तो आप कर रहे हैं, उस दृष्टि से किसी के लिये तो अच्छी बात है । मैं तो बोला कि 71 के इस क्रूर बहुमत में आप सब कर सकते हैं । अब अनुसूची एक्ट के प्रावधानों में नियम तक बातिल परिवर्तित न कर दिये जायें, जब तक प्रभावशील होंगे । मानो इस संहिता में कलेवर में अधिनियमित किये गये हैं, अब उसकी जगह में धारा 40 पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात 40 अनुसूची एक्ट के नियमों का प्रभाव अनुसूची 1 में नियम संहिता के अधीन बने नियमों की तरह, अब आप उसका प्रभाव देखिये । अनुसूची के नियम में परिवर्तन के लिये स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित है, अन्य नियम की भांति ही व्यवस्था का प्रस्ताव है। अपील आवेदन की अवधि की गणना सरलीकृत किया गया है । अब इसमें आप लिखे हो, (क) (ख) 47 में (ग) परन्तुक भी उसमें है, दो परन्तुक भी है, अब यह बताईये कि न्यायालय के लिये अलग-अलग अवधि आवश्यक नहीं है, सर्वेक्षण के मामलों में अपील हेतु व्यवस्था किया जाना आवश्यक है । सिविल न्यायालय में अपील की, राजस्व न्यायालय में अवधि न्यायालयों से कम है, यह बताईये साहब कि इसे 60 दिनों के भीतर ही किया जाना है, यह किसके लिये है ? किसानों के लिये है कि पट्टेधारी है जिसको देंगे, उसके लिये है ? आप इन बातों को स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं कि अपील जो करेंगे, सीमा को जो करना है तो कितने लोगों के लिये है, किन-किन लोगों के लिये है, किन-किन वर्गों के लिये है, किन-किन कामों के लिये अपील की अवधि है, आप बाद में बोल देंगे यहां रिकार्ड हो रहा है, हम इसको नियम में बतायेंगे, इतना लंबा संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भू-राजस्व संहिता में नहीं आया है, जितना लंबा संशोधन दिया है । आपने स्टाईल से आधा घंटे का समय निर्धारित करवाया है । यह किसानों से और छत्तीसगढ़ के आम लोगों से जुड़ा विषय है । आपके मूल अधिनियम के संशोधन में कहीं पर नही लिखा है किस अपील के लिये आप समय को कर रहे हैं, उसी तरह से क्रेडाई के लिये आ रहा है । यह भी बता देंगे । आप क्रेडाई से बड़े प्रभावित हैं । आप नहीं है, आपकी सरकार प्रभावित है। अब 50 में कोई भी आवेदन जो उसमें संशोधित किये हों, उप धारा के परन्तुक के खंड 2, के स्थान पर निम्नानुसार प्रभावित किया जाये, किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन 60 दिवस के भीतर की जा सके । इससे अवधि में एकरूपता आयेगी । राजस्व न्यायालय के आदेश में सिविल न्यायालय का भी उस तरफ उल्लेख है, कौन-कौन से प्रकरण में आपने 60 दिन की अवधि की है, उप धारा के शब्द बंदोबस्त अधिकारी के जगह में बंदोबस्त आयोग, जिला सर्वेक्षण अधिकारी में भू अभिलेख प्रस्तावित किया जाये । यह डाईंग केडर हो गये हैं क्या ? अधिकारी के नाम बदल दिये तो क्या प्रभाव पड़ेगा ? जो नाम उल्लिखित हो गये, वह डाईंग कैडर हो गये हैं, जो नये दो पद आपने गिनाये हैं, वह नया सेट अप में स्वीकृत हुआ है क्या ? इनको

क्या-क्या अधिकार प्रत्योजित है ? सिर्फ नाम भर बदल रहे हैं या अधिकारों के प्रत्यायोजन में कोई परिवर्तन आने वाला है ? इससे किसान को क्या सुविधा मिलने वाली है कि बिल्डर को सुविधा मिलने वाली है, आपके पट्टाधारी को जो पट्टा देने वाले हैं ना, जो आप डेमोग्राफिक बात कर रहे हैं, उसको सुविधा मिलने वाली है ? अपील में 51 में भी वही बात है, अब 52 में भी, परन्तुक आदेश के निष्पादन एक बार आगामी सुनवाई के एक माह जो पहले हो, तक की जा सकेगी, प्रावधान में किये गये भ्रामक समयसीमा की गलती सुधारना जरूरी है । आपने दो बार 60-60 दिन का उल्लेख कर दिया, क्या भ्रामक इसमें बचा है ? कौन सी भ्रामक गलती थी, आप अपने ही कानून को भ्रामक बोले रहे हैं, मैं अब क्या शब्द उपयोग करूं कि भू-राजस्व संहिता क्या भ्रामक कानून से चल रही थी ? इससे आगे बढ़ें, पन्ना पलटना पढ़ता है राजा साहब, मैं क्या बताऊं ? 102 में, नियत किया गया भू-राजस्व या लगान लोप किया जाये। धारा 82 के होने के कारण यह धारा अनावश्यक दोहराव है। धारा 82 में मात्र नगरेत्तर क्षेत्र के लिये प्रावधानित थी परंतु वर्तमान में धारा 82 नगरीय क्षेत्र के लिये भी प्रावधानित है। साहब, यह लगान है, अपने पास कितनी तरह का लगान है ? एक ही तरह का है या दो तरह का है या तीन तरह का है ? ग्रामीण क्षेत्र में डायवर्टेट भूमि में लगान लगेगा या नहीं लगेगा ? यदि शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि अंकित है तो आप उसका लगान माफ कर रहे हैं कि आप डायवर्टेट भूमि में माफ कर रहे हैं ? किस तरह के लगान के लिये धारा 82 का उल्लेख है। क्योंकि आपने इसमें नगरीय क्षेत्र लिखा है। आप किस तरह के लगान को माफ कर रहे हैं, उसको आपने इसमें परिभाषित तो नहीं किया है। उसके बाद बंदोबस्त या पट्टों के अधीन नियत किया गया भू-राजस्व लगान चालू रहेगा, लोप किया जाये। अच्छा अब यह बताये कि पट्टे से लगान। लगान के बारे में जो लिखा गया है, हम लोग लगान क्यों लेते हैं ? हमने ब्याज को जीरो कर दिया, लेकिन लगान को जीरो क्यों नहीं करते ? यदि आप राजस्व मंत्री है, आप राजा महाराजा है तो आप थोड़ा-सा यह बताईये। माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिये, कोई भी सरकारें लगान को माफ क्यों नहीं करती ? राजा साहब, लगान हमको अपने स्वामित्व का बोध कराता है कि यह हमारी जमीन है हम इसका लगान देते हैं। चाहे हम आठ आना दे, चार आना दे, बारह आना दे। अब आप पट्टे की भूमि को लगान से मुक्त कर रहे हैं। त्रुटि सुधार की जटिलता, कलेक्टर की मंजूरी से अनावश्यक विलंब अंतर्निहित है। यह ऊपर वाला है 82 से 85, यह प्रावधानित थी और नगरीय क्षेत्र के लिये भी प्रावधानित है। उसके बाद शुद्धिकरण अधिकारी, अशुद्ध प्रविष्टिकरण, त्रुटि की सुधार की जटिलता दूर करने के लिये प्रस्ताव लाया गया है, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी से अनावश्यक विलंब भी होता था। यह बताईये आपने त्रुटि सुधार में जो शब्द उपयोग किया है। इतने लंबे विधेयक को आप आधे घण्टे के लिये लाते हैं। मैंने बोला न कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद भू-राजस्व संहिता में यह आज तक का सबसे बड़ा संशोधन है। अब भू-अभिलेखों में इसमें गलत बंदोबस्त त्रुटि नहीं है या हम इसको बंदोबस्त त्रुटि माने। यदि बंदोबस्त त्रुटि है तो कलेक्टर तो अनुमति देते नहीं थे। बंदोबस्त त्रुटि के लिये एस.डी.एम. अधिकृत थे। जब कलेक्टर की

अनुमति को हटा रहे हैं और वह पहले से एस.डी.एम. के पास था तो वह किसानों की त्रुटि कैसे नहीं सुधर रही है ? इसमें त्रुटि सुधार में स्पष्ट लिखिये। मैंने वही बोला न कि बस पट्टे का त्रुटि सुधार है या स्वामित्व का त्रुटि सुधार है या सभी ग्रामीणों को इसकी सुविधा मिलेगी ? क्या इसमें कोई समय सीमा तय होगी कि इतने दिनों में हर तरह के त्रुटि सुधार कर लिये जायेंगे ? सीमा चिन्हों का सन्निर्माण, नगरीय क्षेत्र नियत की जायेगी, उसका सीमांकन किया जायेगा। अभी तो आप लिडार तकनीकी ला रहे हैं। आप उसमें 50 करोड़ रूपये रखे हैं। वह 50 करोड़ में नहीं होगा । आप मुझको किसी गांव में चांदा मोनारा दिखा दीजियेगा। यहां बुजुर्गवार किसान बैठे हैं, क्यों चौबे जी। किसी समय में राजस्व विभाग के कोटवार लोग चांदा को पोतते थे। हम तो कम से कम 30 साल से चांदा तो पोतते नहीं देखे होंगे। नया पटवारी अभिलेख है, उसमें चांदा कहां पर है, वह दिखता भी नहीं। यह जो भू प्रबंधन की व्यवस्था है, वह पहले जो भू-प्रबंधन था वह ज्यादा प्रभावी था। आप जितनी चीजें बोल रहे हैं ना कि आवश्यक उप धाराएं विलोपित हो गयी थी, इन्हें पुनर्स्थापित करना उचित है, सीमा चिन्हों के अनुसरण के प्रावधानों के लिये यह प्रस्ताव है। यह कितना हास्यास्पद है। आपका जो संशोधन है वह कितना हास्यास्पद है, यह बताईये। पुरानी व्यवस्था थी, आवश्यक उप धाराएं विलोपित हो गयी थी। उसको थोड़ा बतायेंगे कि कब से विलोपित हो गयी थी। आप थोड़ा सा यह बताईयेगा कि यदि विलोपित थी तो आज तक भूमि प्रबंधन कैसे चलता था । आपने उसके लिये नया प्रावधान किया है। अब 158 में भूमि स्वामी है, किसी पट्टे के स्थान पर कृषि प्रयोजन के पट्टे प्रतिस्थातिप किया जावे। 13. मूल अधिनियम की धारा 158 में- (एक) उप-धारा (4) में शब्द "किसी पट्टे" के स्थान पर शब्द "कृषि प्रयोजन के पट्टे" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(5) गैर-कृषि प्रयोजन पर आवंटित शासकीय भूमि में फ्री-होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति, उस भूमि के संबंध में, भूमि स्वामी होगा।" आप ईमानदारी से मुझको यह बताईए कि किसी जमाने में बी.एस.सी. पास होते थे तो सरकार उनको जमीन देती थी। यदि बी.एस.सी. पास होते थे तो उस समय बहुत कम लोग पास होते थे। कितने साल से छत्तीसगढ़ बनने के बाद या छत्तीसगढ़ बाद आपने कितने लोगों को कृषि का पट्टा दिया ? सिलिंग में निकली जमीन भी ज्यों की त्यों रखी है। वह जमीन एक बार बंटी, दुबारा नहीं बंटी। मैं यह बता देता हूँ कि मेरी भी सिलिंग में जमीन निकली है। खैर मेरी तो बंट गई, लेकिन यह जो चीजें आप कह रहे हैं, वह सही नहीं है। आप पट्टा दे ही नहीं रहे हैं या यह बोलें कि हम पट्टा देने वाले हैं। यह चुनाव साल है इसलिए इसको ला रहे हैं तो यह बात अलग है।

14. मूल अधिनियम की धारा 162 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"162-क. शासकीय भूमि का व्ययन- राज्य सरकार, स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, रिक्त शासकीय भूमि को फ्री-होल्ड अधिकार पर, और/या रियायती निर्बंधनों के तहत् पट्टे पर, आबंटन के लिए नियम बना सकेगी ।" वाह, वाह, वाह यह है आपका असली संशोधन, जिसके

लिए आप इतना बड़ा सुधार लाए हो। आपका हीडन एजेंडा यह है। यह किसानों के हित के लिए नहीं है। यह आपके राजनीतिक उद्देश्य के लिए है। भूमि आवंटन संहिता के अंतर्गत प्रावधानित करने हेतु यह प्रस्ताव अभी तक विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से चल रहा था। क्या है बस्तर में भी भूमि आवंटन में कई कलेक्टर निपट गये थे। मैं नाम ले दूंगा कि कई लोग चल रहे थे तो अब आपने निर्दोषों की जगह में कानून बना दिया कि अब हम जमीनों का जंतर-मंतर कर सकते हैं आपको बधाई हो। पट्टे पर आवंटन के लिए नियम बना सकेगी। तो कहीं पर भी बना लेंगे क्योंकि आप इसको शासकीय भूमि लिखा है। आपने शहर ग्रामीण, ऐसा परिभाषित नहीं किया है। जंगल, वंगल कुछ भी। तो आप बढ़िया बांटिए और आप किसको बांटेंगे, कितने को बांटेंगे, देखना अभी रात भर में आवेदन लग जाएगा। क्योंकि आपके नियम रात भर में बनते हैं। बेरोजगारों के लिए एक तारीख से नियम बन जाएंगे। यह इतनी तेज गति की सरकार है 24 तारीख तक खाद्य विभाग की जांच हो जाएगी। अब आपने मूल अधिनियम की धारा 165 में वसीयत को लिखा है। मूल अधिनियम की धारा 165 में -

(एक) उप-धारा (6) के खण्ड (एक) एवं (दो) में, शब्द उधार के पश्चात् शब्द "या वसीयत" अन्त:स्थापित किया जाए। साहब, इसको भी नियम निर्देश में लेंगे क्या? वसीयत बहुत विवादास्पद चीज है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, भईया थोड़ा जल्दी कुछ करो। आपके तरफ के भी और इधर भी सब खिसकते जा रहे हैं। माननीय बृहस्पत सिंह जी आ गये हैं। माननीय बृहस्पत भईया, इन्हें नमस्ते करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ओ का करके, आथे जथे, फिर थोड़े देर में फेर आ जथे। फेर कुछ बोलथे, फेर चले जथे। थोड़ा-थोड़ा देर में का करे बर जाथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय डहरिया जी, क्या है मेरा स्वभाव थोड़ा गड़बड़ है। क्या है लेजिसलेशन कार्य चलता है तो मैं आजू-बाजू भी नहीं बोलता। मैं विषय में ही बोलता हूँ।आप समझ रहे हैं।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- मैं तो बताया कि अभी सबसे ज्ञानी, जे हवए ओ हमर विधान सभा में एके आदमी हावए। ओकर बाद बृजमोहन हे। दु आदमी ज्यादा ज्ञानी हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने अच्छा विधेयक लाया है। आपके हिडन एजेंडा में और कुछ बोलना चाहता था, पर मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहा है कि आपकी सरकार में लेजिसलेशन के लायक वातावरण नहीं है। यहां गंभीर चर्चा के लिए वातावरण नहीं है और जब लेजिसलेशन की बात होती है, गंभीर चर्चाओं की बात होती है तो ऐसे वातावरण निर्मित होते हैं तो मैं तुरंत पलायन करता हूँ और अपने आप को अक्षम पाता हूँ। मैं यह जिम्मेदारी डहरिया जी, बृहस्पत सिंह

जी या एक मंत्री जी बैठते हैं, उनको नहीं देता। यह मेरे में व्यक्तिगत दोष है। मैं अपने व्यक्तिगत दोष को स्वीकार करते हुए, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, धन्यवाद्।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहित (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर अपनी बात रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ उससे पहले कहना चाहूंगा। पूरे समय सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, जनता को बार-बार कार्यालयों, तहसील ऑफिस, एस.डी.एम. ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में चक्कर न लगाना पड़े। तहसील ऑफिस में, एस.डी.एम. आफिस में, कलेक्टर ऑफिस में चक्कर न लगाना पड़े।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है? किस धारा में संशोधन है? इससे क्या फायदा होगा? जो कारण और उददेश्य लिखते हैं, उस कारण और उद्देश्य में लिखा जाता है कि ये संशोधन करने से ये-ये फायदा होगा। मैं पूरा विधेयक सुबह से देख रहा हूं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।

श्री शैलेश पांडे :- मैं वही तो बता रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, एक व्यक्ति फोन में बात कर था। उसकी पत्नी ने कहा कि किससे बात कर रहे हो, वह बोला कि रांग नंबर है, रांग नंबर से बात हो रही थी। उसको बात करते हुए 20 मिनट हो गया, 20 मिनट से बात कर रहा था। रांग नंबर है तभी तो 20 मिनट में समाप्त हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जितना काम रहे हैं, रांग नंबर ही कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- उनकी बात थी। जब उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है और आधे घंटे से भाषण दिये जा रहे हैं तो किस बात का भाषण दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किस चीज में संशोधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको फायदा होगा और क्यों ला रहे हैं। उसके उद्देश्य और कारणों में नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- महाराज साहब, बतायेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर में बतायेंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय मंत्री जी, अपने उत्तर में बतायेंगे न। आपको समझ ही नहीं आ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि क्योंकि माननीय मंत्री जी का मूल विभाग नहीं है इसलिए उसके बारे में हम उनसे कुछ जयादा समझना भी नहीं चाहते और वह समझा भी नहीं पायेंगे। क्योंकि मूल विभाग के मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप बैठिये। पांडे जी, अपनी बात प्रारंभ करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल विनियोग है। अपने माननीय मंत्रीगण और विधायक गण की एक अलग से बैठक लेकर अच्छी तैयारी करवा लीजिए ताकि विनियोग में कोई मत बोल पायें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जनता को कई बार तहसील, एस.डी.एम. कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है। किसलिए जाना पड़ता है ? क्योंकि जो हमारे नियम, कानून बने हुए हैं, उसमें समस्यायें हैं या कह लीजिए कि जटिलाएं हैं। अगर उन समस्याओं, जटिलताओं को सरल किया जा रहा है तो यह जनहित का ही तो विषय है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। इस चीज पर विचार कहां किया जायेगा। इस चीज पर विचार विधान सभा में ही किया जायेगा जहां पर नियम कानून बनाये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य राज्य है। बहुत सारे नियम, कानून हमारे आदिवासी भाई-बहनों को संरक्षण देने के लिए बने हुए हैं। उनके लिए सख्त कानून बने हुए हैं। उन कानूनों पर समय-समय पर विचार किया जाता है, समय-समय पर हमारी सरकार विचार करती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शैलेश जी, क्या आप समझें कि इस विधेयक में क्या है ? आप जरा समझो तो बता दो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह बता रहे हैं, आपको समझ ही नही आ रहा है तो क्या करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से नहीं होता।

श्री शैलेश पांडे :- मैंने जो समझा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सदस्य ने समझा है, उसी को बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? आपको समझा तो रहे हैं।

सभापति महोदय :- कृपया शांत रहें।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, जो समझा है उसको गद्य रूप में प्रकट कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शैलेश जी को 5 साल बाद समझ में आयेगा कि मैं क्या बोला था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह बिल्कुल सब समझते हैं।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें 90 दिन तक का प्रावधान है कि 90 दिन में ये काम किया जायेगा। इसके लिए 100 दिन, 70 दिन लगेंगे। अगर उतने दिनों में निराकरण करने के लिए शासन ने नियम बनाया है कि 60 दिन के अंदर उन समस्याओं का या

उन प्रकरणों का निपटारा किया जायेगा तो उसमें पहला उल्लेख जो किया गया है, धारा 47, 50 और 51 में बदलाव करके किया है। अपील पुनरीक्षित एवं पुनर्रावलोकन की समय-सीमा में एकरूपता लाते हुए 60 दिवस निर्धारित किया जाता है। इसमें पहली बात यह निकलकर आती है। दूसरी बात जो निकलकर आती है धारा-52 में बदलाव करके स्टे की समय-सीमा को एक माह किया जा रहा है। इसमें स्टे लग जाता था। स्टे लगने के बाद पता लगा कि वह भटक रहा है और आ ही नहीं पा रहा तो उसका काम ही नहीं हो रहा। इसको तय किया गया कि उसको एक माह में कर देना है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों में दोहराव हो जाता है। यहां से भी हो रहा है, वहां से भी हो रहा है। वहां से भी ये चीज हो रही है, नीचे से भी यही चीज हो रही है। रिवीजन की जरूरत नहीं है। ये विसंगतियां जो होती हैं, विधि विभाग का, शासन का यही काम होता है कि उन विसंगतियों को दूर करें। इसमें देखिये कि कितनी अच्छी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके लिए एक सूचना है माननीय अमितेश शुक्ल जी अच्छा नाश्ता कर रहे हैं।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, भू-राजस्व निर्धारण में संबंधित धारा 98, 101, 102, 103 का लोप संहिता में उसके दोहराव के दूर करने के लिए किया जा रहा है। यानि कि 98, 101, 102, 103 जो कंडिकायें हैं वह दोहराव पैदा कर रही हैं । दोहराव का मतलब क्या हुआ कि वह एस.डी.एम. के पास जाकर भी काम करायेगा, वह कलेक्टर के पास से भी जाकर काम करायेगा। अब वह ऐसा नहीं करायेगा। अब इन कंडिकाओं का विलोपन किया जा रहा है। अब वह एक ही काम करेगा। अब वह एम.डी.एम. के पास जाकर काम करायेगा। इसके लिए इसमें संशोधन लाया गया है। पांच साल से पुराने त्रुटि में सुधार की धारा 115 में कलेक्टर की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। पूर्व मंजूरी में प्रावधान को विलोपित किया गया है। इसकी जटिलता को खतम किया गया है। इस विधेयक में सारी बातें लिखी हुई हैं। यह जनहित का विधेयक है। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत सारी बातें हैं। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं बहुत सारी बातों का उल्लेख कर सकता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, मिलेट मिशन के अच्छा व्यवस्था हे।

श्री शैलेश पांडे :- दो मिनट। एक बड़ी सुंदर विषय है। सुंदर विषयों को सुनना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- बृजमोहन जी, अब वह समझा रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, धारा 165, 166, 170 में ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धारा 165, 166, 170 में क्या लिखा है? आप यह बता दीजिये।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उसी का ज्ञानवर्द्धन करिये न। थोड़ा सुनिये न। वह बता रहे हैं, उसको आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं।

श्री शैलेश पांडे :- में बदलाव किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। यह हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों के लिए धाराएं हैं। इसको विलोपित की गई है। क्योंकि उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि इससे वसीयत के द्वारा भूमि गैर-अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को अंतरित होने में स्पष्ट प्रतिबंध लगेगा। इसमें साफ उल्लेख है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये मन आदिवासियों का जमीन तक बेचवाओगे कइथे। अनुमति दे देते थे। अब आिदवासियों की जमीन दूसरे को नहीं बिकेगा। समझ गये न। इसका ध्यान रखिये।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एकाध और बताईये।

श्री शैलेश पाडे :- साथ ही किसी भी अवैध बिक्रीनामा बन जाने पर भी नामांतरण को स्पष्ट रूप से रोका जायेगा। ऐसे बहुत सारे भू-माफिया घूमते रहते हैं, जो एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद उनको थोड़ा-बहुत पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद वह फंस जाता है। फिर वह साल, दो साल, तीन सालों तक भटकता रहता है। इस विधेयक में बहुत सुंदर उल्लेख है। इस विधेयक में जो संशोधन है, वह जनहित के लिए है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन लाया है, उस विधेयक का मैं पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय :- पांडे जी, धन्यवाद। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, हो गया। हो गया। (हंसी)

सभापति महोदय :- एक मिनट में अपनी बात रखिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोल रही ही हूं। सारी बातें शैलेश पांडे जी ने बोल दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन मैं जो 1959 संशोधन विधेयक है, उसके अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166 और 170 में बोलूंगी। पिछली सरकार ने इसमें संशोधन ला दिया था, जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज बहुत ज्यादा आक्रोशित था और उस आक्रोश को देखते हुए उनके हित के लिए यह संशोधन कानून लाया गया है और यह संशोधन मूलत: अतिक्रमण, नामांतरण, बंटवारा पर है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र मगरलोड बलॉक में माननीय अजय चंद्राकर जी भी जानते हैं। बहुत ज्यादा अतिक्रमण, बहुत ज्यादा नामांतरण और बंटवारा की समस्या है।

श्री अजय चंद्राकर :- बहन जी, एक सेकंड सुन न। तोर constituency मा मोहंदी मा बहुत अतिक्रमण होथे, ओला हटवा तो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ओ अतिक्रमण नई होथे। ओ हर दो गांव के गुट के झगड़ा हे।

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, अतिक्रमण होथे।

सभापति महोदय :- चलिये, बोलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ता तैं हर अतिक्रमण काबर करवाथस। अतिक्रमण मत करवा।

श्री अजय चंद्राकर :- ओकर constituency में होथे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओकर constituency में जाकर तोला अतिक्रमण नई करे बर हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अतिक्रमण नहीं, सड़क में बैठा दिये थे। धरना में बैड़ा दिये थे।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, जब कोई और बोलता है तो आप मुंह फूला लेते हैं और जब आप टोकते हैं तो कुछ नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो तीन दिन से चुपचाप बैठा हूं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, अपनी बात रखें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भैया, वह तीन दिन से चुप बैठा हूं बोल रहा हूं। बताईये। (हंसी)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, जिसमें अतिक्रमण में प्रतिबंध लगाना है और अवैध बिक्रीनामा नहीं कर सकते, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो वसीयनामा है। गैर-अनुसूचित जाति को यदि वसीयतनामा किया जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह सारी बातें राजस्व न्यायालय के द्वारा विभागीय परिपत्र समय-समय पर भी जारी किया गया है, इसको कानूनों के रूप में लाया गया है । कानूनों के रूप में लाये जाने से उसमें स्पष्टता आयेगी और हमारे किसान जो हैं, वे इसके कारण बहुत परेशान रहते हैं । उनको बार-बार तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और निश्चित तौर से हमारे माननीय मंत्री जी ने इस कानून में स्पष्टता और क्रमबद्धता लाने के लिये और चूंकि इसमें सरलता आयेगी और सरलता आने से एक समय-सीमा निर्धारित होगी और उस समय-सीमा के अनुसार यदि उनको मालूम रहेगा, पता रहेगा तो बार-बार चक्कर लगाना, परेशान, निराश, हताश की जो भावना है वह नहीं बनेगी और हमारे आदिवासी भाई-बहन बहुत सीधे-सज्जन, सरल रहते हैं और उनके पास ऐसे भी आर्थिक संकट रहता है और यदि बार-बार उनको इस ढंग से कार्यवाही के लिये जाना पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कई बार वे कर्ज में भी लद जाते हैं । कई बार उनकी जो जमीन-जायदाद है उसको भी बेचना पड़ता है तो यह जो विधेयक संशोधन लाया गया है तो निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के संरक्षण की व्यवस्था की गयी है । यह बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत मानवीयता से संबंधित विषय है और इस पर हमारे माननीय सरकार ने ध्यान दिया है इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद । माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब एक मिनट । आपने अपने बजट में कोटवारों का मानदेय बढ़ाया

है और आप इस विधेयक को पढ़ लीजिये । इसमें पटेलों के पूरे अधिकार को खत्म कर दिया है तो भू-राजस्व संहिता में पटेल के जो-जो अधिकार थे। आप पहले सुनिश्चित कीजिये कि वह पटेलों के अधिकार यथावत रहेंगे और नहीं तो बढी हुई तन्ख्वाह वापस लीजिये । जब उनको बढ़ाते हैं, यह डबल स्टेण्डर्ड बंद कीजिये । उद्देश्यों में लिखा है, वह पढ़ लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी । सब बातें माननीय चंद्राकर जी और पांडे जी ने कर दी है । आप अतिसंक्षिप्त में अपनी बात कहिये ।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इतनी सारी बातें उठा दी हैं । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक किसी को समझ में नहीं आया तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है । हम पारित कर देते हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- पारित कर दीजिये । छोड़िए । आप प्रस्ताव करिये ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित कर दें तो अच्छा है नहीं तो मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हो जाये । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटेलों के जो अधिकार Redundant हो गये हैं उनको हटाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बढ़िया है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 24 इस विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी पारित करने हेतु निवेदन करें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी बातें थीं । जो होतीं तो आदान-प्रदान हो जाता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस अधिकारी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा । जिसने ऐसा विधेयक बनाया कि किसी को समझ में नहीं आया । (हंसी) ऐसे विद्वान लोग हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत सरल चीजें थीं और बहुत उपयोगी चीजें हैं लेकिन वह इतना लंबा है और इतनी बात हो गयी तो अब इसको छोड़ दें । मुझे भी ज्ञानवर्धन हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा लग रहा है, पारित कराईये ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- सर्वानुमति से करना है ? (हंसी)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(रात्रि 6 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2023 (चैत्र-2, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.)

सचिव

दिनांक 22 मार्च, 2023

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं